रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—78

REGISTERED NO. D-(D)-78

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 1978 (श्रावण 7, 1900)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 1978, (SRAVANA 7, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 जून 1978

सं० ए० 12019/1/76-प्रशा-II—सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सहायक अधीक्षक (हाल०) श्री जगदीश लाल को आयोग के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (त० सं०) के पद पर तदर्थ आधार पर 19-6-1978 से 31-8-1978 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं ।

प्र० न० मुखर्जी,
उप सचिव, कृते सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 जून 1978

सं० ए० 38014/8/76-प्रशा०-III—संघ लोक सेवा आयोग में सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक तथा तदर्थ आधार पर कार्य करते हुए अनुभाग अधिकारी श्री को राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक विभाग के का० ज्ञा० सं० 73-स्था०(क) दिनांक 24 नवम्बर, 1973 के अनुसार 30-6-78 के अपराह्न से वार्द्धक्य निवर्तन आयु हो जाने के कारण सरकारी सेवा से निवृत्ति की सहर्ष अनुमति प्रदान की गई है ।

प्रभात नाथ मुखर्जी,
उप सचिव (प्रशासन प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-1, दिनांक 6 जुलाई 1978

सं० ए-19021/7/78-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री आर० डी० त्यागी, भारतीय पुलिस सेवा (1964-महाराष्ट्र) को दिनांक 26-6-78 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विशेष पुलिस स्थापना) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते हैं ।

के० के० पुरी, उप-निदेशक
(प्रशासन)

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 जुलाई 1978

सं० वाई-11/72-प्रशासन-5—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर, श्री वाई० पी० सभरवाल, तकनीकी सलाहकार (लेखा एवं आयकर) की सेवाएं दिनांक 12-6-78 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को वापस सौप दी गई है ।

महेन्द्र कुमार अग्रवाल,
प्रशासन अधिकारी (लेखा)

महानिदेशालय, के० रि० पु० बल

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 जुलाई, 1978

सं० ओ० दो०-1070/77-स्थापना—राष्ट्रपति ने चिकित्सा अधिकारी, डाक्टर (श्रीमती) सुशीला बागड़ी, ग्रुप सेंटर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आवाड़ी (मद्रास) का त्यागपत्र दिनांक 6 मई 1978 अपराह्न से स्वीकार कर लिया ।

ए० के० बन्द्योपाध्याय,
सहायक निदेशक (प्रशासन

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110024, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—हरिद्वार को स्थानांतरण हो जाने पर श्री आर० आर० भारद्वाज ने 29 अप्रैल, 1978 के अपराह्न से के० ओ० सु० ब० यूनिट बोकारो स्टील लिमिटेड के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने 9 मई, 1978 के पूर्वाह्न से के० ओ० सु० ब० यूनिट बी० एच० ई० एल०/एच० ई० ई० पी०/हरिद्वार के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री डी० के० मुकर्जी को के० ओ० सु० ब० यूनिट एच० एफ० सी० एल० नामरूप (आसाम) को स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने 25 मई, 1978 के पूर्वाह्न से उसी पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

2. नामरूप से स्थानांतरण होने पर श्री पी० पी० मित्रा ने उसी तारीख से के० ओ० सु० ब० यूनिट एच० एफ० सी० एल० नामरूप (आसाम) के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री के० एल० लुके को के० ओ० सु० ब० यूनिट विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट का स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने 26 मई, 1978 के पूर्वाह्न से उसी पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—आई० एस० आर० ओ० थुम्बा से स्थानांतरण हो जाने पर श्री इन्दर मोहन ने 24 अप्रैल, 1978 के पूर्वाह्न से के० ओ० सु० ब० यनिट, बी० एच० ई० एल० (एच० ई० ई० पी०) हरिद्वार के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—के० ओ० सु० ब० यूनिट एच० एम० टी०, श्रीनगर से स्थानांतरण होने पर श्री जे० आर० गुप्ता ने 29 मई 1978 के पूर्वाह्न से के०ओ० सु० ब० मुख्यालय नई दिल्ली के सहायक कमांडेंट (भर्ती) के पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से स्थानांतरण होने पर श्री के० पी० नायक ने 6 मई 1978 के अपराह्न से के० ओ० सु० ब० यूनिट एफ० सी० आई० न्यू जलपायगुरी के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री एल० वी० जोसफ को के० ओ० सु० ब० यूनिट आई० एस० आर० ओ० थुम्बा का स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने 25 मई, 1978 के अपराह्न से उसी पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री जी० एस० जोहल को के० ओ० सु० ब० यूनिट आई० ओ० सी० बरौनी का स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने 28 मई, 1978 के पूर्वाह्न से उसी पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री एन० जी० डी० गुप्ता को के० ओ० सु० ब० यूनिट, बी० सी० सी० एल० झरिया कर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने 25 मई, 1978 के पूर्वाह्न से उसी पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

दिनाक 6 जुलाई 1978

सं० ई-32015(1)/4/78-कार्मिक—के० ओ० सु० ब० में अपनी पुनर्नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर ले० कर्नल एस० एस० देश पाण्डेय (सेवा निवृत्त) ने 18-5-78 (अपराह्न) से के० ओ० सु० ब० यूनिट एफ० सी० आई० (अब एफ० सी० एफ०) ट्राम्बे के कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० ई-38013(2)/1/78-कार्मिक—बरौनी से स्थानांतरण होने पर श्री अशोक दरबारी, भा० पु० से० ने 5 जून, 1978 के पूर्वाह्न से के० ओ० सु० ब० यूनिट कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कलकत्ता के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया और उसी तारीख से ले० कर्नल एस० एम० लाल को भार मुक्त किया गया ।

सं० ई-38013(2)/1/78-कार्मिक—पिम्परी से स्थानांतरण होने पर श्री वी० के० अग्निहोत्री, भा०पु०से० ने 15 मई, 1978 के अपराह्न से के० ओ० सु० ब० बम्बई के ग्रुप कमांडेंट के पद का कार्यभार ले लिया ।

रा० च० भोपाल,
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० 10/13/76-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति श्री डी० पी० खोबरागडे को, महाराष्ट्र बम्बई में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में तारीख 15 मई, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर अस्थाई तौर पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करतेहैं। उनका मुख्यालय बम्बई में होगा।

सं० 11/1/77 प्रशा०-I—राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश, शिमला में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक और इस समय संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय मे सहायक निदेशक के पद पर तदर्थ रूप में कार्यरत श्री बी० डी० शर्मा को तारीख 27 मई, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़, चण्डीगढ़ में जनगणना निदेशक के कार्यालय में नियमित आधार पर अस्थायी तौर से सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है। उनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में ही रहेगा।

सं० 11/1/77 प्रशा०-I—राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल मे जनगणना कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक और इस समय जनगणना कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सहायक निदेशक के पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत श्री एम० के० मजूमदार को तारीख 27 मई, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक जनगणना कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मे अस्थायी तौर से नियमित आधार पर सहायक निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है। उनका मुख्यालय लखनऊ में ही रहेगा।

सं० 11/1/77 प्रशा०-I—राष्ट्रपति, बिहार, पटना में जनगणा कार्य निदेशक के कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक श्री एस० के० पाठक को तारीख 31 मई, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशो तक मणिपुर, इम्फाल में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में अस्थायी तौर से नियमित आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका मुख्यालय इम्फाल में होगा।

दिनाक 10 जुलाई 1978

सं० 2/1/75 म० पं० (प्रशासन-I)—राष्ट्रपति, तमिलनाडु और पांडिचेरी मे जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय मे सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) और इस समय सिक्किम, गंगटोक मे जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में तदर्थ आधार पर उप निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर कार्यरत श्री ए० एस० डागे को सिक्किम, गंगटोक में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में 7 जून, 1978 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर अस्थाई क्षमता में उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका मुख्यालय गंगटोक में ही रहेगा।

सं० 2/1/75 म० पं० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति, केरल मे जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) और इस समय तमिलनाडु और पांडिचेरी, मद्रास मे जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय मे तदर्थ आधार पर उप निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर कार्यरत श्री एम० थंगाराजू को तमिलनाडु और पांडिचेरी, मद्रास में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में 5 जून, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर अस्थाई क्षमता में उपनिदेशक, जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका मुख्यालय मद्रास में ही रहेगा।

सं० 2/1/75-म० पं० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति, उड़ीसा में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) और इस समय दिल्ली में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में तदर्थ आधार पर उप-निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर कार्यरत श्री जगदीश सिंह को दिल्ली में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में 5 जून, 1978 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर अस्थाई क्षमता में उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका मुख्यालय दिल्ली में ही रहेगा।

सं० 2/1/75-म० पं० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति, कर्णाटक में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) और इस समय गोवा, दमन और दीव, पणजी में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में तदर्थ आधार पर उप-निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर कार्यरत श्री एस० राजेन्द्रन को गोवा, दमन और दीव, पणजी में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में 6 जून, 1978 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर अस्थाई क्षमता में उपनिदेशक, जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है। उनका मुख्यालय पणजी म ही रहेगा।

सं० 10/23/77-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में अन्वेषक, श्री आर० सी० कथूरिया को तारीख 24 मई, 1978 के पूर्वाह्न से छः मास की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उसी कार्यालय में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर अनुसंधान अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है।

सं० 10/23/77-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में अन्वेषक, श्री यू० एस० चतुर्वेदी को तारीख 24 मई, 1978 के पूर्वाह्न से छः मास की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उसी कार्यालय में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर अनुसंधान अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं० 10/23/77-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में अन्वेषक, श्री पी० सी० पाण्डे को तारीख 24 मई, 1978 के पूर्वाह्न से छः मास की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उसी कार्यालय में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर अनुसंधान अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है।

पी० पद्मनाभ,
महापंजीकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 8 जुलाई 1978

नस्ती क्रमांक बीएनपी/ई/स्पैशल/34—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-8-76 के अनुक्रम में श्री सी० एन० लक्ष्मणराव, सहायक अभियन्ता (वातानुकूलन) की प्रति-नियुक्ति की अवधि विद्यमान शर्तों पर, दिनांक 16-2-78 तक बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (म० प्र०) में बढ़ाई जाती है।

पी० एस० शिवराम,
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 1978

क्रमांक प्रशासन-I/5-5/प्रमोशन/77-79/कार्यालय आदेश 179/593—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 25013/7/77-एस्टा(ए) दिनांक 26-8-77 के नियमों के अधीन 20 वर्ष की अर्हक सेवा के पूर्ण होने पर इस कार्यालय के स्थानापन्न लेखाधिकारी श्री ब्रज भूषण, राजकीय सेवा से 30-6-78 अपराह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए है।

श्री ब्रज भूषण 11-5-1949 को राजकीय सेवा में प्रविष्टि हुए थे तथा उनकी जन्म तिथि 17-10-1928 है।

क्रमांक प्रशासन-I/5-5/प्रमोशन/कार्यालय आदेश 180/595—अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा स्थानापन्न लेखाधिकारी श्री आर० सी० शर्मा राजकीय सेवा से 30 जून, 1978 अपराह्न से सेवानिवृत्त किए जाते हैं।

उनकी जन्म तिथि 12-6-1920 है।

हस्ता० अपठनीय
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्र०)

कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम)

इलाहाबाद, दिनांक 29 जून 1978

का० आ० सं० प्रशासन/11-144/(XIII)/68—महा-लेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रथम, इलाहाबाद ने श्री दया नन्द जोशी, अनुभाग अधिकारी को 5-6-1978 से आगामी आदेश पर्यन्त इस कार्यालय में स्थानापन्न लेखाधिकारी नियुक्त किया है।

उ० रामचन्द्र राव,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार, जम्मू व काश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 6 जुलाई 1978

सं० प्र०-I/60(57)/78-79/1428-29—महालेखाकार जम्मू व कश्मीर ने आगामी आदेश तक के लिए इस कार्यालय के अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्य श्री बंसी लाल चक् (22-1-1933) को 3-7-1978 के पूर्वाह्न से लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

एम० एम० मुबारकी,
तरित उप महालेखाकार
प्रशासन तथा अधिकरण

कार्यालय महालेखाकार, कर्नाटक

बेंगलूर, दिनांक 24 जून 1978

सं० स्था० I/ए 4/78-79/211—महालेखाकार, इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थायी/स्थानापन्न अनुभाग अधिकारियों को उसके वरिष्ठों के बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, अगले आदेश जारी होने तक, लेखा अधिकारी पद में, उस पद का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से केवल अस्थायी रूप में पदोन्नत करते हैं।

सर्वश्री
1. आर० वीरास्वामी
2. एस० अनंतरामन्

एम० ए० सौन्दरराजन,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय, महालेखाकार केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 3 जुलाई 1978

सं० स्थापना प्र० 7/9-86/खण्डII 108—श्री ए० पद्मनाभ अय्यर, स्थायी अनुभाग अधिकारी (लेखा और लेखापरीक्षा) को 1 जुलाई, 1978 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक लेखा अधिकारी के पद में स्थानापन्न करने के लिए नियुक्ति करने को महालेखाकार केरल संतुष्ट हुए हैं।

एस० जयरामन्,
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार, राजस्थान

जयपुर, दिनांक 3 जुलाई 1978

सं० प्रशा० - II / जी० जी० न/455 महालेखाकार राजस्थान ने श्री ओम नारायण नाग, अनुभाग अधिकारी को 12/6/78 (पूर्वाह्न) से अग्रेतर आदेश के जारी होने तक इसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

र० अ० बोरकर,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय मुख्य निरीक्षक उत्तरी रेलवे
नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1978

सं० प्रशा०/17-14/77/8898—अधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा सेवा के स्थायी सदस्य सर्वश्री रामकृष्ण गुप्ता और मुलकराज कपूर को आगामी आदेश तक क्रमशः 14-4-78 और 14-6-78 पूर्वाह्न से स्थानापन्न तौर पर लेखा परीक्षा अधिकारी 840–40–1000–द० अ०–40–1200 के वेतनमान में इस कार्यालय में नियुक्त किया जाता है ।

रघुनन्दन जोशी,
मुख्य लेखापरीक्षक

केन्द्रीय सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र, महानिदेशालय

बम्बई, दिनांक 4 जुलाई 1978

सं० 5/11/78-प्रशासन—महानिदेशक ने श्री डी० सी० दास को स्थाई रूप से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर इस कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र में 14 जून 1978 से नियुक्त किया है ।

डा० एस० एस० रामस्वामी,
उप महानिदेशक

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 1978

सं० 12(53)/61-प्रशासन (राजपत्रित)—सहायक निदेशक (ग्रेड-I) पद के स्थाई अधिकारी एवं लघु उद्योग विकास संगठन में उप निदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे श्री डी० आर० मलहोत्रा के निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर उन्हें राष्ट्रपति दिनांक 31 मई, 1978 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

सं० 12(182)/61-प्रशा०-I(राज)—राष्ट्रपति, लघु उद्योग विकास संगठन में निदेशक (ग्रेड-II) (रसायन), श्री आर० एन० चक्रवर्ती को दिनांक 31 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक लघु उद्योग विकास संगठन में निदेशक (ग्रेड-) (रसायन) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री चक्रवर्ती ने दिनांक 31 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, रांची में निदेशक (ग्रेड-II) (रसायन) पद का कार्यभार छोड़ दिया और दिनांक 31 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से ही शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान रांची में निदेशक (ग्रेड-I) (रसायन) पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० ए-19018(346)/78-प्रशासन (राजपत्रित)—राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय कार्यचालन प्रभाग, के उप निदेशक श्री जी० रवीन्द्रन को राष्ट्रपति दिनांक 15 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक के लिए लघु उद्योग विकास संगठन में उपनिदेशक (डाटा बैंक) (भारतीय सांख्यिकी सेवा का ग्रेड-III) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री जी० रवीन्द्रन ने दिनांक 15 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) में उप निदेशक (डाटा बैंक) पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

दिनांक 30 जून 1978

सं० 12(186)/61-प्रशासन (राजपत्रित)—लघु उद्योग सेवा संस्थान, मद्रास में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (चर्म/पादुका) श्री आर० श्रीनिवासन को राष्ट्रपति दिनांक 12 जून, 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक लघु उद्योग विकास संगठन में उप निदेशक (चर्म/पादुका) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री आर० श्रीनिवासन ने दिनांक 5 जून, 1978 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग सेवा संस्थान, मद्रास, में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (चर्म/पादुका) के पद का कार्यभार छोड़ दिया और दिनांक 12 जून, 1978 (अपराह्न) से लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचुर, में उप निदेशक (चर्म/पादुका) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

वी० वेंकटरायलु,
उपनिदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 1978

सं० 12(676)/71—प्रशासन (राजपत्रित)—कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के श्री जी० रामन, निदेशक (ग्रेड-I) को राष्ट्रपति जी दिनांक 1 जनवरी, 1978 (पूर्वाह्न) से 12 मार्च, 1978 तक की अवधि के लिए कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) में ही औद्योगिक सलाहकार (आधुनिकीकरण) के रूप में तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री जी० रामन ने दिनांक 1 जनवरी, 1978 (पूर्वाह्न) से कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) में निदेशक (ग्रेड-I) (यांत्रिक) पद का कार्यभार छोड़ दिया और दिनांक 1 जनवरी, 1978 (पूर्वाह्न) से ही उसी कार्यालय में औद्योगिक सलाहकार (आधुनिकीकरण) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

3. श्री जी० रामन को राष्ट्रपति जी दिनांक 13 मार्च, 1978 से अगले आदेश जारी होने तक औद्योगिक सलाहकार (आधुनिकीकरण) के पद पर नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 30 जून 1978

सं० 12(93)/61-प्रशासन (राजपत्रित)—केन्द्रीय औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता में प्रतिनियुक्ति से वापसी पर श्री एस० के० घोष ने दिनांक 16 जून, 1978 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना में निदेशक (ग्रेड-II) पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० 12(324)/62-प्रशासन (राजपत्रित)—राष्ट्रपति, कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली में स्थायी सहायक निदेशक (ग्रेड-II) और स्थानापन्न उप निदेशक (जी० ए० डी०), श्री वी० वेंकटरायलु को निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30 जून, 1978 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत होने की सहर्ष अनुमति देते हैं।

दिनांक 1 जुलाई 1978

सं० 12(568)/68-प्रशासन (राजपत्रित)—लघु उद्योग विकास संगठन में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) श्री पी० डी० मेयी को राष्ट्रपति जी दिनांक 8 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक लघु उद्योग विकास संगठन में उप निदेशक (कांच/सिरेमिक्स) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री पी० डी० मेयी ने दिनांक 1 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली में सहायक निदेशक पद का कार्यभार छोड़ दिया और दिनाक 8 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद में उप निदेशक (कांच/सिरेमिक्स) पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

दिनांक 4 जुलाई 1978

सं० 12(233)/61-प्रशासन (राजपत्रित)—शाही भूटान सरकार में माचिस उद्योग विशेषज्ञ के रूप में छः महीने की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के परिणाम-स्वरूप श्री के० सी० नारायणन् ने दिनांक 19 जून, 1978 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद के निदेशक (ग्रेड-II) पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

2. श्री के० सी० नारायणन् की सेवाएं दिनांक 19 जून, 1978 (अपराह्न) से शाही भूटान सरकार को सौंप दी गईं।

महेन्द्र गुप्त,
उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय, हथकरघा विकास आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 1978

स० 50011/30/76-डी० सी० एच० (अनुभाग)-II)—राष्ट्रपति, हथकरघा विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग के बुनकर सेवा केन्द्र, बम्बई में पुनर्नियुक्त निदेशक श्री डी० एस० वी० अय्यर की उसी केन्द्र में पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, उन को 30 जून, 1978 के अपराह्न से इस पद को छोड़ने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

(कु०) आर० साहनी
उप विकास आयुक्त (हथकरघा)

पटसन आयुक्त का कार्यालय

कलकत्ता, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० जूट (ए)/147/65—पटसन आयुक्त एतद्द्वारा श्री के० पी० दास के सहायक निदेशक (आर्थिक) के रूप में प्रोन्नत होने के फलस्वरूप दिनाक 28-6-1988 (पूर्वाह्न) से रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में श्री एम० के० हजरा निरीक्षक (अतकनीकी) को इस कार्यालय में एक तदर्थ स्थानापन्न ग्रुप "बी" (राजपत्रित) सहायक निदेशक (निर्यात) के तौर पर नियुक्त करते है।

के० के० बनर्जी,
प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० सी०-5388/707—श्री आर० एल० करवान, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 650-30-740-35-810 -द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में 28 फरवरी 78 (पूर्वाह्न) से अधिकारी सर्वेक्षक (ग्रुप 'बी' पद) के पद पर स्थानापन्न रूप में सं० 70 (बन) पार्टी (उ० म०) देहरादून में नियुक्त किया जाता है ।

सं० सी०-5389/718-ए०—श्री ए० बी० सरकार, मैप क्यूरेटर को श्री एन० आर० बोस, स्थानापन्न एवं लेखा अधिकारी जो 27-4-78 (पूर्वाह्न) से छुट्टी पर चले गए हैं, के स्थान पर पूर्वी सर्किल कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता में 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान मे स्थानापन्न एवं लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 27-4-78 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है ।

सं० 5837/707—निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से पूर्णतया तदर्थ आधार पर अनन्तिम रूप से अधिकारी सर्वेक्षक (ग्रुप 'बी' पद) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	यूनिट/कार्यालय	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री नन्द रंजन चौधरी, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड	सं० 62 पार्टी (पू० म०) कलकत्ता	10 मार्च 1978 (पूर्वाह्न)

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	यूनिट/कार्यालय	नियुक्ति की तारीख
2.	श्री जी० एल० शर्मा, ड्राफ्टसमैन डिवीजन/सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 1 आरेखण कार्यालय (मा० प्र०) देहरादून ।	28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
3	श्री पी० वी० गणेश, ड्राफ्टसमैन डिवीजन/सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 4 आरेखण कार्यालय (द० स०) बैंगलूर ।	7 अप्रैल 1978 (पूर्वाह्न)
4.	श्री पी० एस० विष्ट, सर्वेक्षण सहायक सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 15 पार्टी (स० प्र० सं०) हैदराबाद ।	1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
5	श्री एन० श्रीनिवास, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	द० म० स० का० हैदराबाद	13 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
6.	श्री डी० पी० गोश, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 11 पार्टी (पू० स०) रांची ।	31 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
7.	श्री बन्सीधर घिल्डियाल, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 26 (फोटो) पार्टी (उ० स०) देहरादून ।	31 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
8.	श्री सांति रंजन मुखर्जी, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 77 (फोटो) पार्टी (द० पू० स०) भुवनेश्वर ।	31 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
9.	श्री जय प्रकाश सिह तोमर, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 20 (फोटो) पार्टी (उ० स०) देहरादून ।	31 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
10.	श्री सुबोध रंजन विश्वास, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 30 (फोटो) पार्टी (पू० स०) कलकत्ता ।	10 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
11.	श्री सुकुमार दास, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	अ० एवं वि० निदेशालय हैदराबाद ।	7 अप्रैल, 1978 (अपराह्न)
12	श्री जानमन एच० दास, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 4 पार्टी (प० स०) अजमेर ।	3 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
13.	श्री दिलीप कुमार चौधरी, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 30 (फोटो) पार्टी (पू० स०) कलकत्ता।	30 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
14.	श्री मृणाल कान्ति गुहा, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 10 आरेखण कार्यालय (द० पू० स०) भुवनेश्वर ।	31 मार्च 1978 (पूर्वाह्न)
15.	श्री आई० एम० गणपति, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	अ० एवं वि० निदेशालय हैदराबाद ।	1 मार्च 1978 (पूर्वाह्न)
16.	श्री के० के० खेरा, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 26 (फोटो) पार्टी (उ० स०) देहरादून ।	28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
17.	श्री प्रेम सागर चोपड़ा, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सीमा सेल (म० स० का०) नई दिल्ली ।	28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
18.	श्री एस० जी० अग्रवाल, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 26 (फोटो) पार्टी (उ० स०) देहरादून ।	31 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
19.	श्री प्रमोद चन्द सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 45 पार्टी (म० स०) जबलपुर ।	28 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
20.	श्री रामदास चक्रवर्ती, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 45 पार्टी (म० स०) कलकत्ता ।	10 मार्च 1978 (पूर्वाह्न)
21.	श्री वी० एस० रावत, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 46 पार्टी (म० स०) जबलपुर ।	30 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	यूनिट/कार्यालय	नियुक्ति की तारीख
22.	श्री बी० एल० चौधरी सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 74 पार्टी (द० पू० स०) राँची ।	29 अप्रैल, 1978 (पूर्वाह्न)
23.	श्री प्रीतम सिंह, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 73 (ए० पी० एफ० पी० एस०) पार्टी (सर्वेक्षण हवाई), नई दिल्ली ।	30 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
24	श्री राम पाल गुप्ता, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 58 पार्टी (प० स०) अजमेर ।	6 मार्च 1978 (पूर्वाह्न)
25	श्री टी० एन० नैथानी, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 20 (फोटो) पार्टी (उ० स०) देहरादून ।	28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
26.	श्री चिमन लाल, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 68 (ज्वार-भाटा) पार्टी (ज्यो० एवं अनु० शा०), देहरादून ।	27 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
27.	श्री डी० एन० पाण्डे, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 23 पार्टी (उ० स०) मसूरी ।	13 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
28.	श्री कुन्दन लाल करारहा, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, देहरादून ।	10 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
29	श्री जीवन कृष्ण दास, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 11 आरेखण कार्यालय (द० पू० स०) भुवनेश्वर ।	31 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
30.	श्री एन० इय्यादुरई, ड्राफ्टसमैन डिविजन । सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 4 आरेखण कार्यालय (द० स०), बैंगलूरू ।	1 मार्च 1978 (पूर्वाह्न)
31.	श्री जैकब कुजुर, ड्राफ्टसमैन डिविजन, सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 11 आरेखण कार्यालय (द० पू० स०) भुवनेश्वर ।	3 मार्च 1978 (पूर्वाह्न)
32.	श्री सी० वी० कुट्टी कृष्णन, सर्वेक्षण सहायक सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 17 पार्टी (द० स०) बैंगलूरू ।	1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
33.	श्री रवि मोहन, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, देहरादून ।	30 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
34.	श्री समरेन्द्र नाथ दत्ता, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 10 आरेखण कार्यालय (द० पू० स०) भुवनेश्वर ।	31 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
35	श्री चमन लाल, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 75 पार्टी (द० पू० स०) मधुपुर ।	30 मार्च 1978 (पूर्वाह्न)
36.	श्री राखाल चन्द्र चक्रवर्ती ड्राफ्टसमैन डिविजन/ सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 1 आरेखण कार्यालय (मा० प्र०) देहरादून ।	28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
37.	श्री मुकन्द राम फुलेरा, ड्राफ्टसमैन डिविजन/ सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 1 आरेखण कार्यालय (मा० प्र०) देहरादून ।	28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
38.	श्री डी० वी० वायली, ड्राफ्टसमैन डिविजन/ सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 3 आरेखण कार्यालय (प० स०) जयपुर ।	1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	यूनिट/कार्यालय	नियुक्ति की तारीख
39.	श्री हरी राम सिंह, ड्राफ्टसमैन डिविजन/ सलेक्शन ग्रेड ।	मा० प्र० निदेशालय देहरादून ।	28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
40	श्री सुदर्शन लाल, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 26 (फोटो) पार्टी (उ० स०) देहरादून ।	31 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
41.	श्री जे० पी० अहुजा, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	म० सर्किल कार्यालय जबलपुर ।	29 अप्रैल, 1978 (पूर्वाह्न)
42.	श्री एम० एम० जैन, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	अ० एवं वि० निदेशालय हैदराबाद ।	23 अप्रैल, 1978 (पूर्वाह्न)
43.	श्री एस० एन० कुमार, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 51 पार्टी (द० म० स०) हैदराबाद ।	20 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
44.	श्री डी० आर० शर्मा, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	अ० एवं वि० निदेशालय हैदराबाद ।	20 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
45.	श्री एस० डी० चटर्जी, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 34 पार्टी (प्रा० मा० उ०) हैदराबाद	1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
46.	श्री जी० मुखर्जी, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 18 पार्टी (पू० स०) रांची ।	31 मार्च, 1078 (पूर्वाह्न)
47.	श्री उदय सिंह, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 46 पार्टी (म० स०) जबलपुर ।	6 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
48.	श्री एस० डी० सेमवाल, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 13 पार्टी (प० स०) मसूरी ।	3 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
49.	श्री एम० एस० बाल, सर्वेक्षण सहायक, सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 33 पार्टी (उ० स०) देहरादून ।	28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
50.	श्री एस० के० कर, ड्राफ्टसमैन डिविजन/ सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 2 आरेखण कार्यालय (उ० स०) देहरादून ।	28 फरवरी 1978 (पूर्वाह्न)
51.	श्री अजीत कुमार सरकार, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 37 पार्टी (पू० स०) कलकत्ता ।	10 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
52.	श्री जान मुन्डु, ड्राफ्टसमैन डिविजन/ सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 10 आरेखण कार्यालय (द० पू० स०) भुवनेश्वर ।	6 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न)
53.	श्री एन० एल० हसीजा, सर्वेयर सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 14 पार्टी (ज्यो० एवं अ० शा०) देहरादून ।	12 मई, 1978 (पूर्वाह्न)
54.	श्री एस० पी० गोयल, वैज्ञानिक सहायक, सलेक्शन ग्रेड ।	ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, देहरादून ।	27 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
55.	श्री एम० एस० नागाराजन, वैज्ञानिक सहायक, आर्डिनरी ग्रेड ।	सं० 68 (ज्वार-भाटा) पार्टी (ज्यो० एवं अनु० शा०) देहरादून ।	27 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	यूनिट/कार्यालय	नियुक्ति की तारीख
56.	श्री जे० एस० उबेराय, ज्योडेटिक कमप्यूटर सलेक्शन ग्रेड ।	ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, देहरादून ।	27 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
57.	श्री मलखान सिंह वर्मा, ज्योडेटिक कमप्यूटर, सलेक्शन ग्रेड ।	सं० 68 (ज्वार-भाटा) पार्टी (ज्यो० एवं अनु० शा०) देहरादून ।	27 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न)
58.	श्री टीका राम जोशी, वैज्ञानिक सहायक, आर्डिनरी ग्रेड ।	सं० 19 पार्टी (ज्यो० एवं अ० शा०) देहरादून ।	12 मई, 1978 (पूर्वाह्न)
59.	श्री सन्तोख सिंह, ज्योडेटिक कमप्यूटर, आर्डिनरी ग्रेड ।	सं० 19 पार्टी (ज्यो० एवं अ० शा०) देहरादून ।	12 मई, 1978 (पूर्वाह्न)

के० एल० खोसला,
मेजर जनरल,
भारत के महासर्वेक्षक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1978

सं 10/141/77-एस० III—महानिदेशक, आकाशवाणी श्री के० के० अग्रवाल, को उच्च शक्ति प्रेषित्र आकाशवाणी अलीगढ़ में दिनांक 7-6-78 से सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

हरजीत सिंह
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक,

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० 4(111)/77-एस०-I —महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा कुमारी तसरिंग डोलकरे काबू को आकाशवाणी, लेह में 12-6-1978 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

नन्द किशोर भारद्वाज,
प्रशासन निदेशक,
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० ए० 12026/1/78-प्रशासन I—निदेशक, प्रकाशन विभाग, श्री के० सी० सिंघल, लेखाधिकारी को 3 जुलाई, 1978 से 40 दिन का अवकाश प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप श्री जी० डी० मदान स्थायी लेखाकार को प्रकाशन विभाग में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से लेखाधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री जी० डी० मदान को लेखाधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के दावे का अधिकार नहीं देती। वरिष्ठता के मामले में उनकी यह नियुक्ति ग्रेड में भी नहीं जोड़ी जायेगी।

इन्द्रराज सिंह,
उपनिदेशक (प्रशासन)

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० ए० 19012/1/78-सिडबन्दी I—प्रमुख परीक्षक कार्यालय उत्तरीय रेलवे, नई दिल्ली के लेखा परीक्षा अधिकारी श्री देव राज को फिल्म प्रभाग बम्बई में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 26-6-78 के पूर्वाह्न से प्रति-नियुक्ति आधार पर तीन बरसों के लिये नियुक्त किया है।

दिनांक 6 जुलाई 1978

सं० ए० 24013/18/78-सि० I—फिल्म प्रभाग के प्रमुख निर्माता ने फिल्म प्रभाग के स्थानापन्न सिलेक्शन ग्रेड सहायक अनुरक्षण अभियन्ता श्री बी० व्ही० कृष्णन, को दिनांक 15-5-1978 के पूर्वाह्न से श्री टी० कृष्णन स्थाई अनुरक्षण अभियन्ता को छुट्टी मंजूर करने की वजह से स्थानापन्न अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर नियुक्त किया है।

[एम० चन्दन नायर,
प्रशासकीय अधिकारी,
कृते प्रमुख निर्माता

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 जून 1978

सं० ए० 20012/3/70-एकरही (ए०)—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक, श्री अमल मुखर्जी को इस निदेशालय में 30-4-78 (अपराह्न) से अगले आदेश तक बिल्कुल अस्थाई आधार पर क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस० के० मुखर्जी,
उप निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० ए० 19010/23/76-(एच० क्यू०)/प्रशासन-I—सरकारी मेडिकल स्टोर डिपू, मद्रास को बदली हो जाने के फलस्वरूप श्री डी० एस० डेसिकन ने 16 जून, 1978 पूर्वाह्न से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उप सहायक महानिदेशक (स्टोर) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2 श्री वाई० के० अग्रवाल ने 16 जून, 1978 पूर्वाह्न से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप सहायक महानिदेशक (स्टोर) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

दिनांक 7 जुलाई 1978

सं० ए० 12025/2/77-(सी० आर० आई०)/प्रशासन-I—राष्ट्रपति, डा० भूप सिंह को 2 जून, 1978 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, कसौली में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

शाम लाल कुठियाला,
उप निदेशक प्रशासन
(सं० व प०)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 978

सं० ए० 12026/7/78एस० आई०—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डीपो, बम्बई में आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर काम कर रहे श्री एम० बी० नेरूरकर को 23 जून, 1978 पूर्वाह्न से इसी डीपो में सहायक डीपो प्रबन्धक (बी० ग्रुप) अराजपत्रित के पद पर नियुक्त किया है।

संगत सिंह,
उप निदेशक प्रशासन (स्टोर)

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 4 जुलाई 1978

सं० ए० 19025/61/78 प्र०-III—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री भवानी प्रसाद पट्टनायक को इस निदेशालय में बम्बई में दिनांक 31 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग-II) नियुक्त किया गया है।

दिनांक 4 जुलाई 1978

सं० ए० 19025/75/78 प्र० तृ०—श्री सइद तैयब रज़ा वरिष्ठ निरीक्षक को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, चिराला में दिनांक 12-6-1978 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अल्पकालीन आधार पर या जब तक कोई नियमित व्यवस्था होती है, जो भी पहले हो, स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग 1) नियुक्त किया गया है।

वेद प्रकाश चावला
प्रशासन निदेशक
कृते कृषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

बम्बई-400085, दिनांक 26 जून 1978

सं० पी० ए०/79(6)/78 स्थापना-II/2336—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीनूचीकोट बालकृष्णन, एक स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को दिनांक 20 जून 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक इसी अनुसंधान केन्द्र में, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड (रु० 650-960) में एक स्थानापन्न अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी० एस० वेंकटसुब्रमण्यम,
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० क्र० भ० नि०/अ०/32011/3/76/संस्थापन/17407—इस निदेशालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून, 1978 के तारतम्य में निदेशक, क्रय और भंडार परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री के० पी० जोसफ, सहायक कार्मिक अधिकारी के प्रशासन अधिकारी नियुक्त होने के कारण, इस निदेशालय के अस्थायी सहायक, श्री करूवत्थिल रवीन्द्रन को स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर अग्रिम समय 19 जुलाई, 1978 तक तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं।

बी० जी० कुलकर्णी
सहायक कार्मिक अधिकारी

भारी पानी परियोजनाएं

बम्बई-400008, दिनांक 6 जुलाई 1978

सन्दर्भ भापोप०/स्था०/1/म० 13/3115—भारी पानी परियोजना के विशेष कार्य-अधिकारी, श्री वसन्त कृष्ण महागांवकर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक लेखापाल, भारी पानी परियोजना (मुख्य कार्यालय) को उसी कार्यालय में अस्थायी स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर 17 अप्रैल, 1978 से 17 जून, 1978 तक के लिए, श्री पी० ए० एम० वैद्य, सहायक लेखा अधिकारी जो छुट्टी पर गए हैं के स्थान पर, सहायक लेखा अधिकारी, नियुक्त करते हैं।

के० शंकरनारायणन,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

तारापुर परमाणु बिजलीघर

थाना-401504, दिनांक 26 जून 1978

सं० टी० ए० पी० एस०/1/20 (1)/76 आर०—परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक तारापुर परमाणु बिजलीघर के एक अस्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी श्री ए० पी० पाटिल को 15 जून, 1978 से 15 जुलाई, 1978 तक के लिये 650-30-740-35-810-35-880-द० रो०-40-960 रुपये के वेतनमान में सुरक्षा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति सुरक्षा अधिकारी श्री डी० डी० बनर्जी जो छुट्टी पर चले गये हैं, के स्थान पर की जा रही है।

ए० डी० देसाई,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 7 जुलाई 1978

सं० ई० (1) 03734—भारत मौसम विज्ञान विभाग के अन्तर्गत निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, मद्रास में सहायक मौसम विज्ञानी श्री के० वेंकटचलम निर्वतन की आयु पर पहुंचने पर 31 मई, 1978 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० ई० (1) 04159—भारत मौसम विज्ञान विभाग के अन्तर्गत वेधशालाओं के महानिदेशक का मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली में स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी श्री एच० एस० रायबर्मन निर्वतन की आयु पर पहुंचने पर 31 मई, 1978 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

गुरुमुखराम गुप्ता
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 1978

सं० ए० 38015/9/78 ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन सखेद घोषणा करते हैं कि श्री एस०ए० एक्सवीयर, सहायक तकनीकी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन कलकत्ता एयरपोर्ट, दमदम का दिनांक 2-4-78 को निधन हो गया है।

(इस विभाग की दिनांक 20-5-78 की अधिसूचना सं० ए०-38015/9/78 ई० सी० को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है)

सत्य देव शर्मा,
उपनिदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 1978

सं० ए० 19014/147/72-ई०-I—श्री एस० दयाल, तकनीकी अधिकारी विमान सुरक्षा नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली का 9 जून, 1978 को सरकारी सेवारत होते हुए निधन हो गया है।

सं० ए० 31013/1/77-ई०-I—राष्ट्रपति ने श्री आर० वी० रणदिवे, स्थानापन्न निदेशक विनियम और सूचना, नागर विमानन विभाग को 10 जून, 1976 से उसी पद पर स्थायी रूप में नियुक्त किया है।

प्रेम चन्द जैन,
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई, 1978

सं० ए०-32013/3/78-ई० ए०—राष्ट्रपति ने श्री के० गोपाल, वरिष्ठ विमान क्षेत्र अधिकारी को दिनांक 26 मई, 1978 से तदर्थ आधार पर क्षेत्रीय नियंत्रक विमान क्षेत्र दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किया है। वे इस पद पर तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि श्री जगदीश चन्द्र, जिन्हें मुख्यालय में उपनिदेशक (टैरिफ परीक्षण) के रूप में स्थानांतरित किया गया, क्षेत्रीय नियंत्रक विमान क्षेत्र के पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते।

विश्व विनोद जौहरी
सहायक निदेशक प्रशासन

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 1978

सं० 78/डब्ल्यू० 6/टी० के०/2—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के रेलपथ के निम्नलिखित भाग के अनुरक्षण का काम और इससे सम्बंधित सारी परिसम्पत्तियों को दक्षिण मध्य

रेलवे से मध्य रेलवे को स्थानान्तरित करने का अनुमोदन किया है :—

बल्हारशाह—खाजीपेंट खंड पर बल्हारशाह और मानिक गढ़ स्टेशनों के बीच कि० मी० 134.25 से कि० मी० 135.00 तक का रेल पथ अब अन्तर्रेलवे सीमा 135.00 कि० मी० पर होगी।

2. यह समायोजन रेलपथ के समुचित अनुरक्षण के हित में किया गया है।

पी० एन० मोहिले
सचिव रेलवे बोर्ड
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

कार्यालय महानिदेशक (निर्माण)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 1978

सं० 23/2/77-ई० सी०-II—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारी वार्द्धक्य की आयु प्राप्त करने पर 30-6-1978 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए है।

नाम	वर्तमान पदनाम
सर्वश्री	
1. आर० जी० गोखले	मुख्य इंजीनियर (सिविल), लोक उद्यम ब्यूरो मे निर्माण सलाहकार की प्रतिनियुक्ति पर।
2. ई० के० विश्वनाथन्	कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत), मद्रास विमानन विद्युत मण्डल मद्रास।

दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० 27-ई०/बी० (39)/73-ई० सी०-2—राष्ट्रपति, श्री के० एस० बालसुब्रमण्यम, कार्यपालक इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जो महानिदेशक, आकाशवाणी (सिविल निर्माण विग), समाचार भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे, का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस स्वीकार करते है, और उन्हे दिनांक 22 जून, 1978 (दोपहर बाद) से सेवा निवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

सु० सू० प्रकाश राव
प्रशासन उपनिदेशक
कृते निर्माण महानिदेशक

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110022 दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० 2/178/73-प्रशा०-2—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्द्वारा श्री जी० सी० जोशी, पर्यवेक्षक को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (श्रेणी-2) सेवा में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियन्ता के ग्रेड में 25-5-78 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते है।

एम० सी० जोशी
अवर सचिव

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

ग्वालियर, दिनांक जुलाई 1978

सं० 916/लिक्वीडेशन/3625—मैसर्स ट्रस्ट एसोसियेशन आफ क्रिश्चियन इन्स्टीट्यूशनस् का पंजीकृत कार्यालय रायपुर मध्य प्रदेश में है और इस कम्पनी का परिसमापन किया जा रहा है,

और निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास इस बात पर विश्वास करने के समुचित कारण हैं कि कोई परिसमापक कार्य नही कर रहा है और परिसमापक द्वारा दी जाने वाली कार्य-विवरणियां लगातार पिछले छः महीने से नही दी गई है।

अतः अब कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसरण में इसके द्वारा यह नोटिस जारी किया जाता है कि जब तक विपरीत कारण न बताये जाएं, तब तक इस नोटिस की तारीख से तीन मास की अवधि बीत जाने पर कम्पनी का नाम रजिस्टर में से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटन हो जायेगा।

सुरेन्द्र कुमार सक्सेना
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश, ग्वालियर।

कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार, पटना

कम्पनी अधिनियम, 1956 और ईस्ट इण्डिया सत्संग स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में :—

पटना, दिनांक 4 जुलाई 1978

सं० (133) 31560/77-78—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ईस्ट इण्डिया सत्संग स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और बोकारो गीयर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में :—

पटना, दिनांक 4 जुलाई 1978

सं० 12 (5) 560/77-78—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर बोकारो गीयर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस० बनर्जी
कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार,
पटना।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और फूट प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० 6737/3537-एल० सी०—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर फूट प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एस० नारायनन्
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
यू० पी०, कानपुर।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और गोवालन्दो आइस कम्पनी लिमिटेड (समापनअन्तर्गत) के विषय में :—

कलकत्ता, दिनांक 7 जुलाई 1978

सं० एल०/7/968/एच० डी० (1804)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 की उपधारा 2 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आदरणीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने दिनांक 29-1-76 के आदेशानुसार उपरोक्त कम्पनी के समापन का आदेश दिया है और राजकीय समापक, उच्च न्यायालय, कलकत्ता को उसका राजकीय समापक नियुक्त किया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और नेशनल मेटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (समापनअन्तर्गत) के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 7 जुलाई 1978

सं० एल/7130/एच० डी (1823)—कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 445 की उपधारा 2 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आदरणीय उच्चन्यायालय कलकत्ता ने दिनांक 17-6-76 के आदेशानुसार उपरोक्त कम्पनी के समापन का आदेश दिया है और राजकीय समापक, उच्चन्यायालय कलकत्ता को उसका राजकीय समापक नियुक्त किया है।

एन० एन० मौलिक
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल कलकत्ता

कम्पनी अधिनियम, 1956 और अल्लाय एन्ड स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के विषय में :—

बंगलौर, दिनांक 7 जुलाई 1978

सं० 560/3164/78—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर अल्लाय ऐण्ड स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस० एन० गुहा,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार,
कर्नाटक।

आयकर विभाग
(केन्द्रीय) बम्बई

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, जुडवां भवन, महर्षि कर्वे मार्ग, बम्बई–400020, दिनांक 2 मार्च 1978

सं० आर० 174/77-78—नीचे उन निर्धारितियों की सूची दी गई है, जिनका निर्धारण वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान—(1) व्यक्तियों या हिंदू अविभक्त परिवारों का—दो लाख रुपये से अधिक की आय पर, (2) फर्मों, कम्पनियों या व्यक्तियों के संगठनों का—दस लाख रूपये से अधिक की आय पर हुआ और जिनमें पहली अपील का निपटारा हो चुका या फिर पहली अपील दायर करने का समय अपील दिये बिना समाप्त हो चुका है। यहां—(1) हैसियत 'व्य' व्यक्ति का, 'हि० अ० प०' हिन्दू अविभक्त परिवार का, 'कं०' कम्पनी का, 'फ०' रजिस्ट्रीकर्त्ता फर्म का, (2) निर्धारण वर्ष का, (3) रिटर्न में दर्शायी आय कर, (4) निर्धारित आय का, (5) निर्धारिती द्वारा देय कर और लगाई गई ब्याज का और, (6) निर्धारिती द्वारा चुकाए गए कर और लगाई गई ब्याज का संकेत करता है।

अनुसूची-I

1. श्री अग्रवाल सत्यनारायण विश्वनाथ, 35/39, मिर्जा स्ट्रीट, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1974–75, (3) रु० 24,000, (4) रु० 4,66,000, (5) रु० 4,11,000, (6) कुछ नहीं।

2. श्री अब्बा ईसा अब्दुल गनी, नवाब मंजिल, 107, जंजीकर स्ट्रीट, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1970–71, (3) रु० 8,000 (4) रु० 12,20,000, (5) रु० 14,74,260, (6) कुछ नहीं।

3. श्री बावाजी अब्दुल आर० अब्दुल आर०, 20, ताडदेव, ए० सी० मार्केट, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1973–74, (3) आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया, (4) रु० 2,00,000, (5) रु० 1,75,170, (6) कुछ नहीं।

4. श्री भाटिया आई० एच०, 101, कामर्स हाउस, मीडोज स्ट्रीट, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1974–75, (3) रु० 5,68,394, (4) रु० 9,78,827, (5) रु० 9,41,750, (6) रु० 9,35,649।

5. श्रीमती ज्योत्स्ना विक्रम सिंह, पी० विक्रमसिंह शूरजी बल्लभदास (मृत) की कानूनी वारिस कच्छ कैसल, 4 थी मंजिल, आंपेरा हाउस बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1973-74, (3) रु० 3,26,020, (4) रु० 4,90,635, (5) रु० 4,30,237, (6) कुछ नहीं। (2) 1975-76, (3) रु० 1,89,470, (4) रु० 2,24,310, (5) रु० 1,60,199, (6) कुछ नहीं।

6. श्री कमानी एच० आर०, कमानी चैम्बर्स, 32, निकोल रोड, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1974-75, (3) रु० 1,24,290, (4) रु० 2,08,750, (5) रु० 1,60,354, (6) रु० 79,631।

7. श्री कपाडिया कान्तिलाल मगनलाल, निशान्त, लिंकिंग रोड, खार, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1962-63, (3) रु० 31,400, (4) रु० 5,36,900, (5) रु० 4,18,361, (6) रु० 4,18,361। (2) 1963-64, (3) रु० 31,066, (4) रु० 3,15,570, (5) रु० 2,40,443, (6) रु० 1,54,691।

8. श्रीमती करीम बेगमबी एन०, 61/1, बैतूल सिरुर, वार्डन रोड, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1969-70, (3) आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया, (4) रु० 8,00,000, (5) रु० 9,93,972, (6) कुछ नहीं।

9. श्री करीम नसरुद्दीन अब्दुल, 61/1, बैतूल सिरुर, वार्डन रोड, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1970-71, (3) रु० 59,000, (4) रु० 3,63,000, (5) रु० 4,68,807, (6) रु० 42,457 (2) 1974-75, (3) रिटर्न दाखिल नहीं किया, (4) रु० 4,10,000, (5) रु० 5,85,609, (6) कुछ नहीं।

10. श्री पटेल जे० वी०, मेवान, 40 ए० पेंडर रोड, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1974-75, (3) रु० 1,54,464, (4) रु० 2,87,487, (5) रु० 2,29,425, (6) रु० 1,35,201।

11. श्रीमती पटेल लीलाबेन एम०, 67 सी०, प्रदीप कुंज, वालकेश्वर, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1969-70, (3) रु० 2,65,820, (4) रु० 2,69,210, (5) रु० 1,83,335, (6) रु० 1,83,335 (2) 1974-75, (3) रु० 1,86,902, (4) रु० 2,74,810, (5) रु० 3,07,963, (6) रु० 1,01,721।

(2) 1975-76, (3) रु० 12,83,798, (4) रु० 13,14,410, (5) रु० 10,12,572, (6) रु० 9,14,773

12. श्री रुपानी जे० बी० 184, शेख मेमन स्ट्रीट, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1974-75, (3) रु० 2,42,270, (4) रु० 2,53,010, (5) रु० 82,909, (6) रु० 81,880।

13. मृत एच० एच० सर जे० एम० सिंधिया का अविभक्त हिंदू परिवार, नेविले हाउस, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई।

(1) दि० अ० प०, (2) 1973–74, (3) कुछ नहीं, (4) 6,09,045, (5) रु० 3,04,380, (6) रु०, 3,04,380।

14. श्रीमती सिंधिया विजया राजे, नेविले हाउस, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1971–72, (3) रु० 1,41,774, (4) रु० 3,60,890, (5) रु० 2,84,002, (6) रु० 1,02,889 (2) 1973–74, (3) रु० 1,31,037, (4) रु० 3,55,108, (5) रु० 3,67,168, (7) 1,68,958।

15. श्री शाह डी० एन० कृष्ण निवास, 212, वाल-केश्वर रोड, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1972–73, (3) रु० 17,500, (4) रु० 3,15,000, (5) रु० 3,17,144, लगाई गई ब्याज को जोड़ कर, (6) कुछ नहीं।

16. श्री शर्मा एम० एल०, 61–61ए, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1974–75, (3) रु० 41,154, (4) रु० 6,35,470, (5) रु० 7,84,309, (6) कुछ नहीं, (2) 1975–76, (3) रिटर्न दखिल नहीं किया, (4) रु० 3,96,130, (5) रु० 3,56,972, (6) कुछ नहीं।

17. श्री शूरजी दिलीप बल्लभदास, (श्रीमती) जयलक्ष्मी (मृत) की सम्पदा के निष्पादक कच्छ कैसल, 4 थी मंजिल, आंपेरा हाउस, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1973–74, (3) रु० 4,04,400, (4) रु० 5,40,804, (5) रु० 5,03,427, (6) कुछ नहीं।

18. श्री शूरजी प्रताप बल्लभदास, कच्छ कैसल, 4थी मंजिल, अपेरा हाउस, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1973–74, (3) रु० 3,48,830, (4) रु० 5,10,912, (5) रु० 4,27,882, (6) रु० 5,874। (2) 1975–76, (3) रु० 2,05,820, (4) रु० 2,46,363, (5) रु० 1,57,443, (6) कुछ नहीं।

19. श्री शूरजी, दिलीप वल्लभदास, अच्छ कैसल, 4थी मंजिल आंपेरा हाउस, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1973–74, (3) रु० 3,54,320, (4) रु० 5,15,109, (5) रु० 4,34,234, (6) रु० 49,311। (2) 1975–76, (3) रु० 2,27,750, (4) रु० 2,64,150, (5) रु० 1,72,225, (6) रु० 25,000।

अनुसूची-II

1. मैसर्स अमरतारा प्रा० लि०, साकी बिहार रोड, पवई, बम्बई।

(1) व्य०, (2) 1967–68, (3) रु० 24,64,713, (4) रु० 25,54,520, (5) 14,82,712, (6) रु० 14,82,712।

(2) 1972–73, (3) रु० 11,36,160, (4) रु० 11,12,840, (5) रु० 6,31,431, (6) रु० 6,31,431,

(2) 1973–74, (3) रु० 19,25,110, (4) रु० 19,65,380, (5) रु० 11,47,591, (6) रु० 11,48,591।

2 मैसर्स बजाज आटो लि०, डा० एनी० बिसेंट रोड, बम्बई।

(1)कं०, (2) 1973–74, (3) रू० 2,33,88,970, (4) रु० 2,74,10,710, (5) रु० 1,57,13,347, (6) रु० 1,47,77,677।

3. मैसर्स ग्वालको मैटाल्स इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, गुप्ता मिल्स एस्टेट , रे-रोड, बम्बई।

(1) कं०, (2) 1974–75, (3) रु० 11,48,750, (4) रु० 11,50,107, (5) रु० 7,20,393, (6) रु०, 7,20,393।

4. मैसर्स केबल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, लक्ष्मी बिल्डिंग, 6, एस० व्ही० मार्ग, बम्बई।

(1) कं०, (2) 1965–66, (3) रु० 1,48,44,261, (4) रु० 1,48,61,900 (5) रु० 57,59,558,(6) रु० 57,59,558, (2) 1966–67, (3) रु० 1,60,06

298, (4) रु० 1,60,46,660, (5) रु० 88,42,874, (6) रु० रु० 88,42,874। (2) 1973–74, (3) रु० 72,76,450, (4) रु० 81,35,090, (5) रु० 46,80,563, (6) रु० 46,80,563, (2) 1974–75, (2) रु० 37,06,300, (4) रु० 38,52,610, (5)रु० 21, 86, 725, (6) रु० 21,86,725।

5. मैसर्स इन्डैक्रेटर लि०, एन० एस० ई० एस्टेट, गोरे-गांव, (ई०), बम्बई।

(1) कं०, (2) 1973–74, (3) 17,63,990, (4) रु० 18,72,270, (5) रु० 11,14,116, (6) रु० 11,14,116।

6. मैसर्स कमानी मैटल्स एण्ड एलाइज लि०, कमानी चेम्बर्स 32, निकोल रोड, बम्बई।

(1) कं०, (2) 1973–74, (3) रु० 40,09,117, (4) रु० 42,26,656, (5) रु० 26,10,294, (6) रु० 25,82,753।

7. मैसर्स कमानी मैटलिक् आक्साइड्स लि०, कमानी चेम्बर्स, 32 निकोल रोड, बम्बई।

(1) कं०, (2) 1971–72, (3) रु० 17,72,430, (4) रु० 17,89,262, (5) रु० 10,25,200, (6) रु० 10,13,680।

8. मैसर्स कमानी ट्यूब्ज प्रा० लि०, कमानी चेम्बर्स, 32, निकोल रोड, बम्बई।

(1) कं०, (2) 1971-72, (3) रु० 20,76,630, (4) रु० 22,59,644, (5) रु० 13,05,786, (6) रू० 12,96,206। (2) 1973-74, (3) रु० 64,41,660, (4) रु० 74,14,685, (5) रु० 46,18,752, (6) रु० 46,18,752।

9. मैसर्स मोहनलाल रायचंद एण्ड सन्स, 311, मेहता भवन, 5वीं मंजिल, चर्नी रोड, बम्बई ।

(1) फ०, (2) 1969 70, (3) रु० 10,39,060, (4) रु० 10,39,060, (5) रु० 2,57,812, (6) रु० 2,57,812

10. मैसर्स मुकुंद आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, कुर्ला, बम्बई ।

(1) कं०, (2) 1973-74, (3) रु० 2,03,63,170, (4) रु० 2,87,98,730, (5) रु० 1,63,99,550, (6) रु० 1,47,22,954 ।

11. मैसर्स न्यू स्टैण्डर्ड इंजीनियरिंग कं० लि०, एन० एस० ई० एस्टेट, गोरेगांव (ई), बम्बई ।

(1) कं०, (2) 1973-74, (3) रु० 16,86,947, (4) रु० 17,91,000, (5) रु० 10,23,767, (6) रु० 10,23,767 .

12. मैसर्स पीरामल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, आर्मी एण्ड नेवी बिल्डिंग, एम० जी० रोड, बम्बई ।

(1) कं०, (2) 1973-74, (3) रु० 38,69,000, (4) रु० 36,32,000, (5) रु० 22,35,584, (6) रु० 22,35,584 ।

13. मैसर्स श्रीनिवास कॉटन मिल्स लि०, श्रीनिवास हाउस, हजारीमल सोमानी मार्ग, फोर्ट, बम्बई ।

(1) कं०, (2) 1970-71, (3) रु० 15,02,770, (4) रु० 15,10,530, (5) रु० 8,30,792, (6) रु० 8,30,792 ।

14. दि वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि०, श्रीनिवास हाउस, हजारीमल सोमानी मार्ग, फोर्ट, बम्बई ।

(1) कं०, (2) 1970-71, (3) रु० 1,24,60,247, (4) रु० 1,25,01,320, (5) रु० 68,73,958, (6) रु० 68,73,958.

15. दि वैस्टर्न इंडिया स्पिनिंग एण्ड मैन्यू० कं० लि०, (दिवाले में), मार्फत सरकारी समापक, 5वीं मंजिल, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, एम० जी० रोड, बम्बई ।

(1) कं०, (2) 1973-74, (3) कुछ नहीं, (4) रु० 29,81,240, (5) रु० 17,46,917, (6) कुछ नहीं । (2) 1974-75, (3) घाटा—रु० 38,43,020, (4) रु० 1,14,87,370, (5) रु० 84,91,450, (6) कुछ नहीं ।

धन-कर विभाग (केन्द्रीय)

बम्बई, दिनांक 28 मार्च 1978

स० आर०-18/डब्ल्यू० टी०/1977-78—केन्द्रीय सरकार का मत है कि द्वितीय वर्ष 1976–77 के दौरान धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन जिन निर्धारितियों का निर्धारण 10 लाख रु० से अधिक के शुद्ध धन पर हुआ है, उनके नाम व अन्य संबंधित ब्यौरे प्रकाशित करना जनहित में जरूरी और समीचीन है । अतः उक्त अधिनियम की धारा 42क द्वारा प्रदत्त शक्तियों, तथा इस बारे में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश दिया है कि पूर्वोक्त ऐसे निर्धारितियों के नाम व अन्य ब्यौरे, प्रकाशित किए जायें, जिनके मामलों में या तो पहली अपील निपटाई जा चुकी है या पहली अपील पेश करने का समय गुजर चुका है और यह अपील पेश नहीं की गई है, तदनुसार उन्हें इस क्रम से प्रकाशित किया जाता है जिस में हैसियत—व्यक्ति के लिए 'व्य', हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए—'हि० अ० प०', (ii) निर्धारण वर्ष, (iii) रिटर्न में दर्शाए धन के आंकड़े, (iv) निर्धारित धन, (v) निर्धारिती द्वारा देय धन-कर, (vi) निर्धारिती द्वारा अदा किया गया कर, दिखाया गया है ।

1. श्री भाटिया आई० एच०, 101, कॉमर्स हाउस, नगीनदास मास्टर रोड, बम्बई ।

(i) व्य०, (ii) 1968-69, (iii) रु० 10,90,256, (iv) रु० 18,63,000 (v) रु० 24,300, (vi) रु० 24,300 ।

(ii) 1969-70 (iii) रु० 9,92,372, (iv) रु० 11,27,237, (v) रु० 10,181, (vi) रु० 10,181

(ii) 1970-71, (iii) रु० 9,68,866, (iv) रु० 17,96,560, (v) रु० 26,914, (vi) रु० 26,914 ।

(ii) 1971-72, (iii) रु० 8,95,351, (iv) रु० 16,20,169, (v) रु० 61,229, (vi) रु० 61,229 ।

(ii) 1972-73, (iii) रु० 7,60,620, (iv) रु० 15,54,705, (v) रु० 34,376, (vi) रु० 34,376 ।

(ii) 1973-74, (iii) रु० 7,26,904, (iv) रु० 18,19,755, (v) रु० 55,580, (vi) 55,580 ।

(ii) 1974-75, (iii) रु० 7,31,834, (iv) रु० 14,77,870, (v) रु० 29,300 (vi) रु० 29,300 ।

2. श्रीमती भाटिया मोहिनी आई, 101, कॉमर्स हाउस, नगीनदास मास्टर रोड, बम्बई ।

(i) व्य०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 14,06,596, (iv) रु० 18,99,615, (v) रु० 61,960, (vi) रु० 61,960 ।

(ii) 1971-72, (iii) रु० 12,60,148, (iv) रु० 19,51,270, (v) रु० 47,051, (vi) रु० 47,051 ।

(ii) 1973-74, (iii) रु० 12,80,807, (iv) रु० 18,33,859, (v) रु० 56,712, (vi) रु० 56,712 ।

(i) रु० 1974-75, (iii) रु० 12,98,870, (iv) रु० 19,18,389, (v) रु० 63,488, (vi) रु० 63,488।

(ii) 1975-76, (iii) रु० 12,38,940, (iv) रु० 19,99,676, (v) रु० 79,970, (vi) रु० 79,970।

3. श्री भाटिया प्रकाश आई०, 101, कॉमर्स हाउस, नगीनदास मास्टर रोड, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1971-72, (iii) रु० 9,72,898, (iv) 11,93,185, (v) रु० 19,795, (vi) रु० 19,795।

(ii) 1972-73, (iii) रु० 8,77,081, (iv) रु० 12,25,971, (v) रु० 21,780, (vi) रु० 21,780।

4. श्रीमती जालान भगवानी देवी, 139, मीडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1967-68, (iii) रु० 1,14,743, (iv) रु० 10,70,966, (v) रु० 8,419, (vi) रु० 74।

(ii) 1968-69, (iii) रु० 98,511, (iv) रु० 12,03,746, (v) रु० 11,075, (iv) कुछ नहीं।

(ii) 1969-70, (iii) रु० 1,03,550, (iv) रु० 11,72,736, (v) रु० 11,318, (vi) रु० 18।

(ii) 1970-71, (iii) रु० 1,74,410, (iv) रु० 12,12,707, (v) रु० 12,318, (vi) रु० 373।

5. श्रीमती जालान गीतादेवी, 139, मीडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1963-64, (iii) रु० 4,50,573, (iv) रु० 10,16,413, (v) रु० 8,287, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1965-66, (iii) रु० 2,36,211, (iv) रु० 10,12,353, (v) रु० 7,247, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1967-68, (iii) रु० 2,67,109, (iv) रु० 10,46,471, (v) रु० 7,929, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1968-69, (iii) रु० 1,214, (iv) रु० 11,69,020, (v) रु० 10,380, (vi) कुछ नही।

(ii) 1969-70, (iii) रु० 23,589—(घाटा), (iv) रु० 11,42,829, (v) रु० 10,521, (v) कुछ नहीं।

(ii) 1970-71, (iii) रु० 39,729—(घाटा), (iv) रु० 10,32,878, (v) रु० 7,822, (vi) कुछ नहीं।

6. श्रीमती जालान गिरधीदेवी, 139, मीडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1966-67, (iii) रु० 1,39,180, (iv) रु० 10,06,754, (v) रु० 7,135, (vi) रु० 525,

(ii) 1967-68, (iii) रु० 1,48,495, (iv) रु० 11,12,496, (v) रु० 9249, (vi) रु० 243, (ii) 1968-69, (iii) रु० 1,29,131, (iv) रु० 12,52,181, (v) रु० 12,043, (vi) रु० 146, (ii) 1969-70, (iii) रु० 1,53,082, (iv) रु० 12,37,006, (v) रु० 12,926, (vi) रु० 266, (ii) 1970-71, (iii) रु० 1,92,014, (iv) रु० 12,39,198, (v) रु० 12,979 (vi) रु० 461।

7. श्रीमती जालान ज्ञानकीदेवी, 139, मीडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1967-68, (iii) रु० 71,736, (iv) रु० 10,07,951, (v) रु० 7,159, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1968-69, (iii) रु० 65,011, (iv) रु० 11,38,045, (v) रु० 9,761, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1969-70, (iii) रु० 91,280, (iv) रु० 11,50,146, (v) रु० 10,754, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1970-71, (iii) रु० 68,415, (iv) रु० 10,19,036, (v) रु० 7476, (vi) कुछ नहीं।

8. श्रीमती जालान कुन्तीदेवी, 139, मीडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1969-70, (iii) रु० 6,586, (घाटा) रु० (iv) रु० 10,63,703, (v) रु० 8,593, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1968-69, (iii) रु० 34,865, (iv) रु० 13,77,203, (v) रु० 14,544, (vi) कुछ नहीं।

9. श्रीमती जालान शारदादेवी, 139, मीडोज, स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1966-67, (iii) रु० 1,98,637, (iv) रु० 10,09,700 (v) रु० 7196, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1967-68, (iii) रु० 1,21,107, (iv) रु० 11,05,981, (v) रु० 9,120, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1968-69, (iii) रु० 1,12,972, (iv) रु० 12,04,594, (v) रु० 11,092, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1969-70, (iii) रु० 1,12,221, (iv) रु० 12,15,785, (v) रु० 12,395, (vi) कुछ नहीं।

(ii) 1970-71, (iii) रु० 1,67,068, (iv) रु० 12,33,087, (v) रु० 12,827, (vi) कुछ नहीं।

10. श्री कमानी एच० आर०, कमानी चैम्बर्स, 32, निकोल रोड, बम्बई।

(i) हिं० अ० प०, (ii) 1973-74, (iii) रु० 12,69,600, (i) रु० 13,67,670, (iv) रु० 26,030, (vi) रु० 24,824, (ii) 1974-75,

(iii) 10,95,700 (iv) रु० 13,45,881, (v) रु० 52,670, (vi) रु० 38,749।

11. श्री कमानी नवीन आर०, कमानी चैम्बर्स, 32, निकोल रोड, बम्बई।

(i) हिं० अ० प०, (ii) 1973-74, (iii) रु० 12,03,400, (iv) ० 12,97,775, (v) रु० 23,933, (vi) रु० 22,677,

(ii) 1974-75, (iii) रु० 10, 42,000 (iv) रु० 12,90,454 (v) रु० 48,236, (vi) रु० 28,364।

12. श्री कमानी नवनीत आर० कमानी चैम्बर्स 32 निकोल रोड बम्बई।

(i) हिं० अ० प० (ii) 1973-74 (iii) रु० 12,64,400 (iv) रु० 13,62,694 (v) रु० 25,881, (vi) रु० 24,160

(ii) 1974-75 (iii) रु० 10,88,200 (i) रु० 13,34,602 (v) रु० 51,768 (vi) रु० 32,055 ।

13. श्री कमानी पी० आर०, कमानी चैम्बर्स, 32, निकोल रोड बम्बई।

(i) हिं० अ० प०, (ii) 1973-74, (iii) रु० 12,55,400, (i) रु० 13,37,153, (iv) रु० 25,115, (vi) रु० 23,854 ।

(ii) 1974-75, (iii) रु० 10,52,600, (iv) रु० 12,89,008, (v) रु० 48,120, (vi) रु० 29,209।

14. श्री कमानी आर० एच०, कमानी चैम्बर्स, 32, निकोल रोड, बम्बई।

(i) हिं० अ० प० (ii) 1973-74 (iii) रु० 17,56,000 (iv) रु० 18,67,820, (v) रु० 59,426, (vi) रु० 52,981।

(ii) 1974-75, (iii) रु० 15,48,400, (iv) रु० 18,87,202, (v) रु० 95,976, (vi) रु० 68,870।

15. श्री कमानी आर० आर०, कमानी चैम्बर्स, 32, निकोल रोड, बम्बई।

(i) हिं० अ० प० (ii) 1973-74, (iii) रु० 12,74,300, (iv) रु० 13,73,305, (v) रु० 26,199, (vi) रु० 25,119।

(ii) 1974-75, (iii) रु० 11,12,000, (iv) रु० 13,57,394, (v) रु० 53,592, (vi) रु० 37,020।

16. श्री मगनलाल सी० कापड़िया, 391, लिंकिंग रोड, खार, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1970-71, (iii) रु० 8,08,660, (iv) रु० 10,18,120, (v) रु० 7,453, (vi) कुछ नहीं ।

17. जी मैन्यूअल मौडिस, 15, ह्यूजैस रोड, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1971-72, (iii) रु० 14,11,915, (iv) रु० 18,36,430, (v) रु० 40,824, (vi) रु० 40,824,

(ii) 1972-73, (iii) रु० 14,41,484 (iv) रु० 15,16,860, (v) रु० 29,619, (vi) रु० 29,619।

18 श्री शाह एम० जे०, 25ब, पोद्दार चैम्बर्स, एस० ब्रेलवी रोड, बम्बई।

(i) व्य, (ii) 1971-72, (iii) रु० 1,29,889 —(घाटा), (iv) रु० 10,77,816, (v) रु० 16,124, (vi) कुछ नहीं।

19 श्री शाह समीर पी०, मार्फत मै० इन्डो फ्रैन्च टाइम इन्ड० लि०, 12, उद्योग नगर, एस० वी० रोड, गोरेगांव (प०) बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1971-72, (iii) रु० 25,40,070, (iv) रु० 25,43,880, (v) रु० 76,200। (vi) रु० 76,200।

(ii) 1972-73, (iii) रु० 24,89,162, (iv) रु० 24,89,177, (v) रु० 1,09,138, (vi) रु० 71,067, (ii) 1973-74, (iii) रु० 24,84,279, (iv) रु० 24,83,570, (v) रु० 1,08,690, (vi) कुछ नही ।

(ii) 1974-75, (iii) रु० 25,68,790, (iv) रु० 24,61,850, (v) रु० 1,06,940, (vi) कुछ नहीं। (बचाव निर्धारण)।

सं० आर० 18/77-78—जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि जिन निर्धारितियों पर निम्नलिखित कारणों के लिए 1-4-1976 से 31-3-1977 की अवधि के दौरान लगाई गई शास्ति (पैनल्टी) 5000/- रु० से कम न थी, उनके नाम व अन्य सम्बन्धित ब्यौरे प्रकाशित करना जनहित में जरूरी और समयोचित है :—

(क) आय छिपाने या उनके द्वारा देय पेशगी कर का ऐसा अनुमान दाखिल करने के लिए, जिसके बारे में वे जानते थे या उनके पास यह विश्वास करने के कारण थे कि वह असत्य है,

(ख) आय विवरणी दाखिल न करने या देरी से दाखिल करने अथवा लेखा बहियां प्रस्तुत न करने के लिए,

(ग) कर न चुकाने के लिए,

और इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 287 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि पूर्वोक्त निर्धारितियों के नाम और अन्य ब्यौरे प्रकाशित किए जाये, तदनुसार उन्हें एतद्द्वारा यहां संलग्न अनुसूची I, II और III में प्रकाशित किया जाता है जिसके साथ (1) हैसियत 'व्य'—व्यक्ति के लिए, 'क'—कम्पनी के लिए, 'फ' —रजिस्ट्रीकृत फर्म के लिए, 'व्य स०',

---व्यक्तियों के संगठन के लिए, (2) निर्धारण वर्ष और (3) लगाई गई शास्ति की रकम भी दिखाई गई है।

अनुसूची—I

ऐसे निर्धारिती जिन पर आय छिपाने या उनके द्वारा देय पेशगी कर का ऐसा अनुमान दाखिल करने के लिए, जिसके बारे में वे जानते थे या उनके पास यह विश्वास करने के कारण थे कि वह असत्य है, 1-4-1976 से 31-3-1977 की अवधि के दौरान लगाई गई शास्ति (पैनल्टी) 5000/- रु० से कम न थी और जिन मामलों में ऐसी शास्ति के खिलाफ अनुमत्य समय के अन्दर अपील दायर नहीं की गई, या दायर की गई और मामले को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

1 मै० अजय प्लास्टिक्स, मार्फत मै० लक्ष्मी बैंगल इंडस्ट्रीज, 6 कार्टर रोड, बोरिवली (पू०), बम्बई। (i) फ०, (ii) 1971-72, (iii) रु० 2,69,178, भागीदारों के नाम (1) श्री सी० पी० शाह, (2) श्री एच० पी० शाह व (3) श्री एस० बी० शाह।

2 श्री चरनिया फारोज इस्माइल 47, पायधुनी रोड, खड़क, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 39,270

3 मै० कलोल बोन मिल्स, 47 पायधुनी रोड, खड़क बम्बई।

(i) फ०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 75,500। भागीदारों के नाम (i) श्री फारोजअली इस्माइलभाई, (2) श्री इस्माइलभाई जमालभाई व (3) श्री शौकतअली इस्माइलभाई।

4 श्री कापड़िया बाबूभाई लालजीभाई इन्जहाउस, इंकलाब लेन गुलाब टकरा अम्बोली नवरंगपुरा, अहमदाबाद। (i) व्य०, (ii) 1970-71, (iii) रु० 11,000।

5. श्री करीम नसरुद्दीन, 61/1, बैतूल सिरुर, वार्डन रोड, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1971-72, (iii) रु० 1,19,030,
(ii) 1972-73, (iii) रु० 31,800।

6. मै० मगनलाल छगनलाल प्रा० लि०, गोवनपाड़ा गांव, मार्गिका (कारिडर) रोड, चैम्बूर बम्बई।

(i) कं०, (ii) 1967-68, (iii) रु० 1,00,000
निदेशक का नाम : श्री कांतिलाल एम० कापड़िया।

7. मास्टर पटेल अशोककुमार एम०, अपने कुबरती वारिस (मां) श्रीमती पटेल लीलावेन एम०, 67 सी० प्रदीप कुंज, वालकेश्वर रोड, बम्बई के माध्यम से।

(i) व्य०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 12,105।

8. मै० रतलाम बोन एंड फर्टिलाइजर कं०, 47 पायधुनी रोड, खड़क, बम्बई।

(i) फ०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 42,500। भागीदारों के नाम (1) फीरोजअली इस्माइलभाई, (2) श्री करीमभाई इस्माइलभाई व (3) श्री शौकतअली इस्माइलभाई।

9. मै० स्ट्रैच फाइबर इंडिया लि०, 20, हैम्स रोड, महालक्ष्मी, बम्बई।

(i) कं०, (ii) 1968-69, (iii) रु० 7,163।

10. मै० स्ट्रैचलोन, प्रा० लि०, बम्बई काटन मिल्स एस्टट, दत्ताराम लाड पथ, बम्बई।

(i) कं०, (ii) 1965-66, (iii) रु० 82,200,
(ii) 1966-67, (iii) रु० 10,300। निदेशक का नाम : श्री हरकिशोर जैन।

अनुसूची—II

ऐसे निर्धारिती जिन पर आय विवरणी दाखिल न करने या देरी से दाखिल करने अथवा लेखा-बहियां प्रस्तुत न करने के लिए 1-4-1976 से 31-3-1977 की अवधि के दौरान लगाई गई शास्ति 5000/- रु० से कम न थी और जिन मामलों में ऐसी शास्ति के खिलाफ अनुमत्य समय के अन्दर अपील दायर नहीं की गई या दायर की गई और मामले को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

1. श्री अशरफुर्रहमान अजामुल्ला, रजब महल, 144, क्वीन्स रोड, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1971-72, (iii) रु० 17,960।
(ii) 1972-73, (iii) रु० 10,460।

2. श्री चरणिया फीरोज इस्माइल, 47, पायधुनी रोड खड़क, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 6,472।

(2) मै० कलोल बोन मिल्स, 47, पायधुनी रोड, खड़क, बम्बई।

(i) फ०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 6,695।

4. मै० खेमका एंड कं० (एजेंसीज) प्रा० लि०, 2 डी०, वल्कन इंश्योरेंस बिल्डिंग, वीर नरीमन रोड, बम्बई।

(i) कं०, (ii) 1973-74, (iii) रु० 12,460।
(ii) 1974-75, (iii) रु० 7,400।

5. मै० महेन्द्र इलक्ट्रिक वर्क्स, 25 बी, पोद्दार चैम्बर्स, एस० ए० ब्रेलवी रोड, बम्बई।

(i) फ०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 10,640।

6. मै० मैडीकैम लेबोरेटरीज (प्रा०) लि०, बीच व्यू, चौपाटी सी० फेस, बम्बई।

(i) कं०, (ii) 1964-65, (iii) रु० 7,935।
(ii) 1965-66, (iii) रु० 12,958।
(ii) 1969-70, (iii) रु० 11,970।
(ii) 1971-72, (iii) रु० 33,656—धारा 271(i)(क)।
(ii) 1971-72, (iii) रु० 11,293 धारा 271 (1) (ख)।
(ii) 1972-73, (iii) रु० 23,188।
(ii) 1973-74, (iii) रु० 13,224।
(ii) 1974-75, (iii) रु० 6,512।

7. मै० राजपूताना टैक्सटाइल्स ऐजेन्सी प्रा० लि०, 346, हॉर्नबी रोड, बम्बई।

(i) कं०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 16,656।

(ii) 1973-74, (iii) रु० 17,062, ।

(ii) 1974-75, (iii) रु० 5,460 ।

8. मै० रिलायबल ट्रेडर्स, 47, पायधुनी रोड, सड़क, बम्बई।

(i) अरजिस्ट्रीकृत फ०, (ii) 1972–73, (iii) रु० 8,83,637।

9. मै० सरस्वती कामर्शियल ट्रेडिंग कं० (प्रा०) लि०, मार्फत सरकारी समापक, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, बम्बई।

(i) कं०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 8,328 ।

10. मै० स्ट्रैच फाइबर इंडिया लि०, 20 हैन्स रोड, महालक्ष्मी, बम्बई ।

(i) कं०, (ii) 1968-69, (iii) रु० 21,013।

अनुसूची—III

ऐसे निर्धारिती जिन पर कर न चुकाने के लिए 1-4-1976 से 31-3-1977 की अवधि के दौरान लगाई शास्ति (पैनल्टी) रु० 5000/- से कम न थी, और जिन मामलों में ऐसी शास्ति के खिलाफ अनुमत्य समय के अन्दर कोई अपील दायर नहीं की गई या लगाई गई शास्ति (पैनल्टी) के खिलाफ अपील दायर की गई और मामले को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

1. श्रीमती ज्योत्स्ना विक्रमसिंह, (मृत श्री विक्रमसिंह शूरजी वल्लभदास की कानूनी वारिस), कच्छ कैसिल, 4थी मंजिल, ओपेरा हाउस, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1973-74, (iii) रु० 27,200 ।

2. श्री शूरजी दिलीप वल्लभदास, कच्छ कैसिल, 4थी मंजिल, ओपेरा हाउस, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1973-74, (iii) रु० 27,900।

3. श्री शूरजी दिलीप वल्लभदास,—मृत (श्रीमती) जयलक्ष्मी की संपदा के निष्पादक कच्छ कैसिल, 4थी मंजिल. ओपेरा हाउस, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 6,800।

(ii) 1973-74, (iii) रु० 34,000।

4. श्री शूरजी प्रताप वल्लभदास, कच्छ कैसिल, 4थी मंजिल, ओपेरा हाउस, बम्बई।

(i) व्य०, (ii) 1973-74, (iii) ० 27,300।

5. मै० यूनीवर्सल एजेंसीज, कच्छ कैसिल, 4थी मंजिल, ओपेरा हाउस, बम्बई।

(i) फ०, (ii) 1972-73, (iii) रु० 8,700।

(ii) 1973-74, (iii) रु० 14,900 ।

जे० सी० लूथर,
आयकर आयुक्त, (केन्द्रीय),
बम्बई ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 जुलाई, 1978

सं० अर्जन/1503-ए०/मेरठ/77-78/2025—अतः मुझे आर० पी० भार्गव
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मवाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-10-77
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री महेन्द्र सिंह एस० पुत्र लेखराज निवासी ग्राम खजुरी अलेयरपुर
वर्तमान पता : ग्राम राजपुरा
पो० खरसौदा, तह० व जिला मेरठ। (अन्तरक)

2. श्री शिवदत्त शर्मा पुत्र बहादुर शर्मा निवासी ग्राम खजुरी आलेयरपुर परगना किठौर तहसील मवाना, जिला मेरठ। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 7 बीघा 2 बिस्वा 19 बिस्वासी स्थित ग्राम खजुरी अलेयरपुर तहसील मवाना जिला मेरठ 60000) में बेची गयी।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(अर्जन रेंज), कानपुर।

तारीख : 6 जुलाई, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 1978

सं० 13-आ०/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० मकान नं० 578 साहूकारा बरेली का भाग है तथा जो साहूकारा बरेली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1), के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. साहू जगदीश कुमार अग्रवाल,

(अन्तरक)

2. श्रीमती ओमवती पत्नी केलाश नारायण

(अन्तरिती)

3. विक्रेता (37 जी० के अनुसार)

वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है

4. श्रीकिशन लाल बार्षने

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 578 स्थित मोहल्ला साहूकारा बरेली का भाग तथा समपीत्त का वह सब विवरण जो फार्म नं० 37-जी० तथा सेल डी० में जोकि सब-रजिस्ट्रीर बरेली के कार्यालय में दिनांक 30-11-77 को दर्ज है

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख : 13-7-1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 जुलाई, 1978

निदेश सं० फीआर० 594/एसीक्यु० 23-1006/19-7/77-78—अतः मुझे डी० सी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एन सं० 1469 जमीन का व मकान (कुल माप 1015 वर्ग गज) है। तथा डो 58, आदर्श सोसायटी, अथवा लारनस, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1977

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ठाकुर भाई मगन लाल देसाई,
आदर्श सहकारी गृह मठाली,
अठवा लाइन्स, सूरत।

(अन्तरक)

(2) श्री गौतम कुमार ठाकोर भाई देसाई,
कुल मुखतार : ठाकुर भाई मगन लाल देसाई,
आदर्श सहकारी गृह मंडली,
अथवा लाइन्स, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जो 1015 वर्ग गज जमीन व मकान है जिसका सी० एस० नं० 1469 है तथा जो 58, आदर्श सोसायटी अथवा लाइन्स, सूरत में स्थित र जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत के नवेम्बर 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3042 में प्रदर्शित प्रदर्शित है।

(डी० सी० गोयल)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-,II अहमदाबाद।

तारीख : 12-7-1978।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 जुलाई, 1978

निदेश सं० ए० पी० नं० : 1811—यतः, मुझे बी० एस० दहीया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में है तथा जो 8-5, ग्रीन पार्क, जलंधर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती हरभजन कौर पुत्री उजागर सिंह, गांव, डाक घर : शंकर, तहसील नकोदर।
(अन्तरक)

2. श्री मेजर रजिन्द्र सिंह पुत्र श्री चरन सिंह, मंडी रोड, कपूरथला।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर दो में है। वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 4832 नवम्बर 1977, को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जलंधर में लिखा है।

बी० एस० दहीया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलंधर

तारीख : : 11-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालंधर

जालन्धर, दिनांक 11 जुलाई, 1978

निदेश सं० ए० पी० नं० 1812—यतः मुझे बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो बस्ती शेख, जालंधर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को यथा उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री संता सिंह पुत्र साधु सिंह,
   बस्ती शेख, जालन्धर
   (अन्तरक)

2. (1) सुरिन्दर कौर पत्नी जसबीर सिंह
   (2) सुदर्शन कौर पत्नी लखबीर सिंह
   (3) महिन्द्र कौर पत्नी, राजिन्द्र सिंह
   वासी न्यू जवाहर नगर—जालंधर ।
   (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।
   वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है सेकि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान जैसा कि विलेख नं० 5043, नवम्बर, 1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है ।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलंधर, दिनांक 11 जुलाई, 1978

निदेश सं० ए० पी० नं०—1813, यत मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे है तथा जो न्यू जवाहर नगर, जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हाकिम सिंह पुत्र जै सिंह, (2) अमृत सिंह पुत्र हाकिम सिंह 328 आदर्श नगर—जलंधर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती आशा शर्मा पत्नी आर० के० शर्मा (वकील) 455-ए०, न्यू जवाहर नगर—जलंधर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 मे ऊपर है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी जैसा कि विलेख नं० 5155 नवम्बर—77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलंधर मे लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलंधर

तारीख : 11-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून, 1978

निदेश सं० ए० पी०-257/भटिंडा/78-79:—यतः, मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोट शमीर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गज्जन सिंह पुत्र रुड़ सिंह गांव कोट शमीर जिला भटिंडा ।

(अन्तरक)

2. सज्जन सिंह पुत्र वरियाम सिंह गांव तुंगबाली जिला, भटिंडा ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोट शमीर में 62 कनाल 3 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 4238 नवम्बर 1977 में लिखा है । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ।

ओ० पी० मदान
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा ।

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनाक 22 जून, 1978

निदेश सं० ए० पी० 258/फरीदकोट/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फरीदकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल

का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बरियाम सिंह पुत्र मल्ला सिंह पुत्र जवाहर सिंह गांव रामपुर जिला जींद ।

(अन्तरक)

2. श्री लाभ सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह वासी फरीदकोट ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण ।—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फरीदकोट में 52 कनाल 19 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 2794 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है ।

ओ० पी० मदान
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा ।

तारीख : 22-6-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून, 1978

निदेश सं० ए० पी० 259/फिरोजपुर/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गुरु हरसहाए में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) प्रश्नगत से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अजैब सिंह, सुहेल सिंह, पुत्रान उत्तम सिंह पुत्र वसाखा सिंह गांव मोढ़ाँ वाला जिला फिरोजपुर।

(अन्तरिती)

2. संतोख सिंह, फोजा सिंह पुत्रान सौदागर सिंह पुत्र चन्दा सिंह गांव मोढ़ाँ वाला।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुरु हरसहाए 76 कनाल 18 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 1430 दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978.
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा,

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं॰ ए॰ पी॰ 260/फिरोजपुर,/78-79:—यतः मुझे, ओ॰ पी॰ मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गुरु हरसहाए में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री बगीया सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह वासी गुरु हर सहाए तहसील, फिरोजपुर।

(अन्तरक)

2. श्री चावला मोटर कं॰ जलंधर श्री सुरिन्दर कुमार, कृष्ण लाल, कशमीरी लाल पुत्रान माघी मल पुत्र सरदारी लाल वासी, जलन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं॰ 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुरु हर सहाए में 46 कनाल 18 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं॰ 1461 दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है।

ओ॰ पी॰ मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख: 22-6-1978.
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए०पी० 261/एन०डब्लू०एस०/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो पाली झिक्की में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री मंगल सिंह पुत्र श्री बल सिंह गांव पाली झिक्की तहसील नवां शहर।

(अन्तरक)

2. श्री मोहन सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह और सोहन सिंह लशकर सिंह, सतनाम सिंह और संतोख सिंह पुत्रान सरवन सिंह गांव पाली झिक्की तहसील नवां शहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पाली झिक्की गांव में 20 कनाल और 19 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 4469 मार्च 1978 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 22-6-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी०-262/भटिंडा/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो झंडुवाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती गुरदयाल कौर पत्नी स्वर्ण सिंह पुत्र धर्म सिंह वासी गांव झंडुवाला तहसील भटिंडा। (नजदीक गोनियाना)।

(अन्तरक)

2. श्री संतोख सिंह, बलविन्द्र सिंह और हरजिन्द्र सिंह पुत्रान जगजीत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह गांव झंडुवाला (नजदीक गोनियाना) तहसील, भटिंडा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

झंडुवाला गांव में 127 मकनाल 14 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 4423 दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी०-263/भटिंडा/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो झंडुवाला में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती गुरो पुत्री स्वर्ण सिंह पुत्र धर्म सिंह वासी गांव, झंडुवाला (नजदीक गोनियाना) तहसील, भटिंडा।

(अन्तरक)

2. श्री संतोख सिंह, बलविन्द्र सिंह और हरजिन्द्र सिंह पुत्रान, जगजीत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह वासी झंडुवाला नजदीक गोनियाना, तहसील, भटिंडा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

झंडुवाला गांव में 127 कनाल 15 मरले जैसा कि विलेख नं० 4422 दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश स० ए० पी०-264/कपुरथला/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कपुरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कपुरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री मोहन लाल, सोहन लाल, हीरा लाल पुत्रान कांशी राम जिलाधीश की कोठी के सामने कपुरथला।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सत्या रानी पत्नी राम कृष्ण सामने, जिलाधीश की कोठी, कपुरथला।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कपुरथला में 30 मरले का एक प्लाट जैसा कि विलेख न० 2592 जनवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपुरथला में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 22-6-1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश स०ए०पी०-265/एम०जी०ए०/78-79.—यतः, मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो इन्द्रगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण पे हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बचन सिंह पुत्र मंगल सिंह पुत्र बघेल सिंह वासी इन्द्रगढ़।

(अन्तरक)

2. श्री बलराज सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र बयिलर सिंह वासी मोगा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर स० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इन्द्रगढ़ गांव में 34 कनाल 15 मरले जमीन जैसा कि विलेख स० 4216 नवम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 22-6-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी०-266/एम०जी०ए०/78-79.—यत. मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो इन्द्रगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जीरा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण स हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बचन सिंह पुत्र श्री मगल सिंह पुत्र बघेल सिंह वासी इन्द्रगढ़।

(अन्तरक)

2. श्री बलराज सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र बचित्तर सिंह वासी मोगा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इन्द्रगढ़ गांव में 34 कनाल 14 मरले जमीन जैसा कि विलेख न० 4217 नवम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी० 267/फिरोजपुर/78-79.—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फिरोजपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लाल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, वीरो पुत्री सुन्दर सिंह पुत्र चत्तर सिंह वासी फिरोजपुर, सिटी ।

(अन्तरक)

2. (1) महताब सिंह पुत्र संता सिंह पुत्र दित्ता सिंह (2) हरभजन सिंह पुत्र आत्मा सिंह पुत्र संता सिंह वासी गोबिन्द नगरी, फिरोजपुर ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

निजामुद्दीन में 11 कनाल 13½ मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 3686 नवम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है ।

ओ० पी० मदान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी०-268/फिरोजपुर/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मनसुर देवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री रिखी राम पुत्र देवी चन्द, वेद व्यास पुत्र हंस राज सिरकी बजार, फिरोजपुर सिटी।
(अन्तरक)
2. श्री सुखचैन सिंह, जरनैल सिंह पुत्रान मल्ल सिंह रोशन सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह, फिरोजपुर सिटी।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मनसुर देवा में 46 कनाल 6 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 3641 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी०-269/एम जी ए/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो वाडा वरियाम सिंह वाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लछमन सिंह पुत्र अनोख सिंह वासी वाड़ा वरियाम सिंह वाला तहसील जीरा ।

(अन्तरक)

2. श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र लछमन सिंह और गुरचर्ण सिंह पुत्र मंगल सिंह पुत्र करनैल सिंह वासी वाड़ा वरियाम सिंह वाला ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

वाड़ा वरियाम सिंह में 94 कनाल 12 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 5472 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है ।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई०एम०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी० 270/फिरोजपुर/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो चक काला सिंह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुरु हरसहाए में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री मुखत्यार सिंह पुत्र लाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह गांव चक काला सिंह तहसील गुरु हर सहाए।

(अन्तरक)

2. श्री स्वर्ण सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र फुला सिंह गांव लाधुवाला उत्तर तहसील फाजिल्का।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लि कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चक काला सिंह में 40 कनाल जमीन जैसा कि विलेख न० 1291 दिसम्बर 1977 रिजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरु हर सहाए में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी०-271/एम० जी० ए०/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोट इसे खान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री विजय कुमार पुत्र सत प्रकाश पुत्र लभु राम मुख्तयारे आम श्री बलराज कुमार पुत्र सत प्रकाश पुत्र लभु राम गांव कोट इसे खान, तहसील जीरा।

(अन्तरक)

2. श्री बलदेव सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह गांव गलोटी, तहसील जीरा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

कोट इसे खान गांव में 27 कनाल 16 मरले जमीन जैसा कि विलेख न० 5224; जनवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी० 272/नवां शहर/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो चरन गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती चर्णा कौर पत्नी आसा सिंह और महिन्द्र कौर पत्नी भगत सिंह वासी भगांरा तहसील नशवां शहर जिला हुशियार पुर।

(अन्तरक)

2. श्री चनन सिंह पुत्र दरबारा सिंह और महिन्द्र कौर पत्नी चनन सिंह वासी चर्ण तहसील नवां शहर (हुशियार पुर)।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है)।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चरण गांव में 63 कनाल 11 मरले जमीन जैसा कि विलेख न० 4515 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978.
मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी० 273/नवांशहर/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो राहों में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री बूज रानी पत्नी हर प्रकाश वासी राहों तहसील नवांशहर।

(अन्तरक)

2. श्री शिंगारा सिंह पुत्र श्री राम सिंह गांव जुंड मुजाना।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

राहों गांव में 63 कनाल 8 मरले जमीन जैसा कि विलेख न० 4563 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978.
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं॰ ए॰ पी॰-274/फिरोजपुर/78-79:यत:, मुझे, ओ॰ पी॰ मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह **विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है**

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बाधु वाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुरु हर सहाए में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त **अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम,** की धारा **269-घ की उपधारा (1)** के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:—

1. श्री कुलदीप राज एडवोकेट पुत्र दिवान चन्द पुत्र सुन्दर दास वासी फिरोजपुर शहर द्वारा रुलदु राम पुत्र टहल सिंह गांव बाघुवाला तहसील, फिरोजपुर।

(अन्तरिती)

2. श्री बलवंत सिंह पुत्र धारा सिंह पुत्र फतह सिंह गांव सुबा कदीम तहसील, फिरोजपुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर न॰ 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बघुवाला गांव में 62 कनाल 14 मरले जमीन जैसा कि विलेख न॰ 1476 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरु हर सहाए में लिखा है।

ओ॰ पी॰ मदान,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० ए० पी०-275/फिरोजपुर/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मोहन के उत्तड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुरु हरसहाए में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री जगत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह वासी रोहतक रोड नई दिल्ली द्वारा गुरु गुरमीत सिंह पुत्र गुरु नरजीत सिंह वासी गुरु हरसहाए।

(अन्तरक)

2. श्री शमेर चन्द, चमन लाल, जगीर चन्द, बलदेव चन्द पुत्रान सुन्दर राम पुत्र चम्बा राम गांव नूरपुर सेठां।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है)।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मोहन के उत्तड़ गांव में 53 कनाल 6 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 1401 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरु हर सहाए में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22 जून 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून, 1978

निदेश सं० ए० पी० 276/फिरोजपुर/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फिरोजपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,

नवम्बर, 1977

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री अमरीक सिंह पुत्र बेदी शेर सिंह पुत्र बेदी गंगा राम, झोक रोड, फिरोजपुर कैंट ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती राजिन्द्र कौर पुत्री सन्त सिंह सयाल, झोक रोड, फिरोजपुर कैंट ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर न० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मान्डु रोड फिरोजपुर में 9 कनाल 1 मरला 7 सरसाई जमीन जैसा कि विलेख नं० 3722 नवम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है ।

ओ० पी० मदान,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, फिरोजपुर

तारीख : 22-6-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 22 जून, 1978

निदेश सं० ए० पी० नं० 277/कपूरथला/78-79:—यतः मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मोहन लाल, सोहन लाल और हीरा लाल पुत्रान दीवान कांशी राम, जिलाधीश के मकान के सामने कपूरथला।

(अन्तरक)

2. श्री चर्णजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह और दविन्द्र कौर पत्नी गुरदीप सिंह जिलाधीश की रिहाइश के सामने।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कपूरथला में 1 कनाल 8 मरले का एक प्लाट जैसा कि विलेख नं० 2881 जनवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 22-6-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 26 जून 1978

निदेश सं० ए० पी० 278/एच० एस० आर०/78-79:—
यतः मुझे, ओ० पी० मदान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बलाचौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बलाचौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1978।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शांति देवी विधवा शाम लाल गांव बलाचौर जिला हुशियारपुर।
(अन्तरक)
2. श्री हरबंस सिंह पुत्र जगत सिंह गांव दारापुर तहसील गढ़शंकर जिला हुशियारपुर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय म दिया गया है।

अनुसूची

बलाचौर में 49 कनाल 17 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 1521 जनवरी, 1978 में लिखा है। रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बलाचौर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 26-6-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 26 जून 1978

निदेश सं० ए० पी० 279/नवां शहर/78-79—यत मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो राहो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, फरवरी, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री विशवा मित्र पुत्र मेला राम, शकुन्तला रानी पुत्री बसन्त राम, सुदर्शन कुमारी उर्फ दर्शना कुमारी पुत्री राम प्यारी और बलदेव राज पुत्र राम प्यारी गांव राहों तहसील नवां शहर।

(अन्तरक)

2. श्री दिलबाग सिंह पुत्र बख्शी सिंह गांव राहों तहसील नवां शहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राहों गांव में 25 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 4199 फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है।

ओ० पी० मदान
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख 22-6-1978.

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 26 जून 1978

निदेश सं० ए० पी० 280/फिलौर/78-79—यत मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो शमसाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री दलीप सिंह पुत्र व धावा सिंह पुत्र नरायण सिंह गांव शमसाबाद तहसील नकोदर।

(अन्तरक)

2. श्री फुमन सिंह पुत्र अत्तर सिंह (2) हरभजन सिंह, चर्ण सिंह और महिन्द्र सिंह पुत्रान लाल सिंह पुत्र अत्तर सिंह गांव फतहपुर तससील फिलौर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शमसाबाद गांव में 32 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 3811 जनवरी, 1978 ररजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 26-6-1978.

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 26 जून 1978

निदेश स० ए०पी० 281/फिलौर/78-79—यत, मुझे ओ० पी० मदान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है, तथा जो फतहपुर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1978
मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सोहन सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
वासी फतहपुर तहसील फिलौर
(अन्तरक)

2. श्री तरसेम सिंह, जसवन्त सिंह आदि
पुत्रान राम सिंह
वासी कुकड़ पिंड जिला जलन्धर
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फतहपुर गांव में 40 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 4002 जनवरी, 1978 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी फिलौर में लिखा है।

ओ० पी० मदान
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 26-6-1978।
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 26 जून, 1978

निदेश सं० ए० पी० 282/फिलौर/78-79—यत, मुझे ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गना पिंड मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1978

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती रतनी विधवा धनी पुत्र ज्ञान वासी गना पिंड तहसील फिलौर।

(अन्तरक)

2. श्री मंगल सिंह पुत्र रोडा सिंह गांव गना पिंड तहसील फिलौर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ती में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गना पिंड गांव में 32 कनाल 10 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 3846 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर में लिखा है।

ओ० पी० मदान
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख: 26 जून, 1978।
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भटिंडा कार्यालय

भटिंडा, दिनांक 26 जून, 1978

निदेश सं० ए०पी० 283/होशियारपुर/78-79—यत, मुझे ओ० पी० मदान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो होशियारपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हुशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हेम राज पुत्र बैज नाथ पुत्र सीता राम
   द्वारा बैज नाथ हेम राज कनक मंडी
   होशियारपुर।

(अन्तरक)

2. श्री डिपटी राम मरगाई पुत्र हंस राज पुत्र शिव राम
   मकान नं० बी० IV/420-ए०, महल्ला धुमारां,
   नई आबादी, होशियारपुर।

(अन्तरिती)

3. जसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति,, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धुमारां मुहल्ला हुशियारपुर में एक मकान जैसा कि विलेख न० 3183 दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हुशियारपुर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 26 जून, 1978।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भटिंडा कार्यालय

भटिंडा, दिनांक 26 जून 1978

निदेश सं० ए०पी०-284/नवांशहर/78-79—यत, मुझे ओ० पी० मदान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो ताजोवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री कर्म चन्द पुत्र मेला राम
   गांव ताजोवाल तहसील नवां शहर
   जिला होशियारपुर
   (अन्तरक)
2. श्री सोहन सिंह पुत्र सावण सिंह और
   खरदेहड़ा जिला होशियारपुर ।
   (अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर न० 2 में है ।
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ताजोवाल गांव में 36 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 4479 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है ।

(ओ० पी० मदान)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा ।

तारीख 26 जून, 1978 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 26-6-1978

निर्देश सं० ए० पी० 285/एन डब्ल्यू एस/78-79—अतः, मुझे, ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो ताजोवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री कर्म चन्द पुत्र मेला राम गांव ताजोवाल तहसील नवां शहर जिला हुशियारपुर।
(अन्तरक)
2. श्री मोहन सिंह पुत्र सावण सिंह और परसिनी पत्नी मोहन सिंह खरदेहड़ा जिला होशियारपुर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि उपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ताजोवाल गांव में 77 कनाल 9 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 4568 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 26-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 26 जून 1978

निदेश सं० ए० पी० 286/नकोदर/78-79—यतः मुझे ओ० पी० मदान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो अदरामन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री रत्तन लाल पुत्र नानक चन्द पुत्र पूर्ण चन्द गांव अदरामन तहसील नकोदर।

(अन्तरक)

2. श्री राम सरूप पुत्र दविन्द्र दास पुत्र लाल चन्द गांव अदरामन तहसील नकोदर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)]

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अदरामन गांव में 62 कनाल 13 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 2365 जनवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 26 जून, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भटिंडा कार्यालय

भटिंडा, दिनांक 26 जून 1978

निदेश सं० ए०पी०-287/नकोदर/78-79—यतः, मुझे ओ० पी० मदान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उग्गी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1978 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री बचन सिंह पुत्र सुदागर सिंह पुत्र नत्था सिंह गांव उग्गी, तहसील नकोदर ।

(अन्तरक)

2. श्री कुलबीर सिंह, सुखबीर सिंह, पुत्रान तारा सिंह,
(2) हरभजन सिंह पुत्र राम सिंह,
(3) गुरचरन सिंह पुत्र भजन सिंह पुत्र हरनाम सिंह गांव रहीम पुर तहसील नकोदर ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

उग्गी गांव में 35 कनाल 10 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 2394 जनवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है ।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा ।

तारीख : 26 जून, 1978 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 26 जून 1978

निदेश सं० ए० पी० 288/जी० एस० आर०/78-79—यतः मुझे ओ० पी० मदान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है, तथा जो मोरावाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गढ़शंकर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र चिन्ता सिंह गांव मोरावाली, मुख्त्यारे आम चिन्ता सिंह पुत्र जैमल सिंह जाट मोरावाली (अब इंगलैंड में)।

(अन्तरक)

(2) श्री दर्शन सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र जस्सा सिंह गांव मोरावाली तहसील गढ़ शंकर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मोरावाली गांव में 29 कनाल 12 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 3168 फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गढ़ शंकर में लिखा है।

ओ० पी० मदान,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 26-6-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 6 जुलाई 1978

निदेश सं० ए० पी० 289/ए० बी० एच०/78-79—यत मुझे पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो सुब्बन मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री डिकी राज (नाबालिक) पुत्र श्री विनोद कुमार, पुत्र गुलाब राए, वासी लाजपत नगर, अबोहर (अन्तरक)

(2) श्री प्यारा सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह पुत्र कर्म सिंह, 2 करतार सिंह, जरनैल सिंह पुत्रान कर्म सिंह पुत्र नरैन सिंह, गांव सुब्बन, तहसील फाजिल्का। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 मे है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है। (वह व्यक्ति जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सुब्बन गांव मे 37 कनाल 8 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 1678 नवम्बर, 1977 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी, अबोहर मे लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकरी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख 6-7-78
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा,

भटिंडा, दिनांक 11 जून 1978

निदेश सं० 257/78–79/जीरा—यतः मुझे पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जीरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जीरा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री ओम प्रकाश पुत्र तेलू राम और श्रीमती फूलाँ देवी, पत्नी श्री सुरिन्द्र कुमार, जीरा (अन्तरक)

(2) श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुकन्द लाल, श्रीमती सन्तोष रानी पत्नी श्री तुलसी राम, श्रीमती अमरजीत कौर बेटी श्री सतनाम सिंह, जीरा (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 मे लिखा है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जीरा मे एक सिनेमा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 4226 मिति नवम्बर, 77 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा मे लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 11-7-78

मोहर .

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 11 जुलाई 1978

निदेश सं० 258/78-79/फिरोजपुर—यतः मुझे पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फिरोजपुर शहर में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री फकीर चन्द पुत्र श्री घुमंडी मल, फिरोजपुर शहर (अन्तरक)

(2) श्री कुन्दन लाल पुत्र श्री घुमंडी मल, मोरी गेट के अन्दर, फिरोजपुर शहर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नंबर 2 में लिखा है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में सितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फिरोजपुर में मोरी गेट के अन्दर एक कोठी जैसा कि विलेख नं० 3852 मिति नवम्बर, 1977 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर अधिकारी (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा,

तारीख : 11-7-78.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1978

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/1316/78-79/1701—अतः, मुझे एन० एस० चोपड़ा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी संख्या 26/70 है तथा जो शक्ती नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26 नवम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आर० पी० शर्मा, सुपुत्र पं० राम चन्द, निवासी 36, मोहन कोठी, श्रीनगर कालोनी, भरत नगर, के पास, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री राकेश मित्तल, सुपुत्र श्री त्रिलोक चन्द, निवासी 5-एफ०, कमला नगर, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्री होल्ड प्लाट जिसका नं० 70, ब्लाक नं० 26 (26/70) है और क्षेत्रफल 176 वर्ग गज है, शक्ती नगर (रोशनआरा एक्सटैन्शन स्कीम), दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : मकान नं० 26/69
पश्चिम : मकान नं० 26/60
उत्तर / लेन
दक्षिण : रोड़

एन० एस० चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 15 जुलाई, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/2/1315/78-79/1701—अत, मुझे एन० एस० चोपड़ा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या 832 है तथा जो मोहल्ला जटवाड़ा, कुंचा पाती राम/दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री लखमी चन्द
निवासी 832, कुंचा पाती राम,
बाजार सीता राम, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सरोज बाला पत्नी श्री रामेश्वर दयाल,
निवासी 8987 सिद्धीपुरा करोल बाग,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

3. (1) सुभाष चन्द, (2) महेश चन्द, (3) राम धारी जैन, (4) ओम प्रकाश, (5) मुकट बिहारी, (6) राजिन्दर कुमार, (7) रामेश्वर दयाल,

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक तीन मंजिला जायदाद जिसका न० 832 तथा क्षेत्रफल 157 वर्ग गज जो कि मोहल्ली जटवारा, कुंचा पाती राम, दिल्ली में निम्न प्रकार से घिरी हुई है —

उत्तर : दूसरों की जायदाद
दक्षिण : दूसरों की जायदाद
पूर्व : दूसरों की जायदाद
पश्चिम : गली

एन० एस० चोपड़ा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 15 जुलाई, 1978
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/2/1314/78-79/1701—अतः, मुझे एन० एस० चोपड़ा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या 6 है तथा जो बिरहमपुर, श्रीराम नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2 नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चमन लाल पुत्र श्री नर सिंह दास 196/ए०/6 श्रीराम नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती करतार कौर पत्नि श्री गुरबक्स सिंह, 2478/9, दासमेस, करोल बाग, नई दिल्ली-5

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

200 वर्ग गज जमीन का प्लाट जिसका नं० 6 जो कि खसरा नं० 414 का हिस्सा है तथा बिरहमपुरी, श्रीराम नगर, इलाका शाहदरा दिल्ली में निम्न प्रकार से घिरा हुआ है —

उत्तर : दूसरों की जायदाद।
दक्षिण : जायदाद नं० 196/6-ए०
पूर्व : 15 फुट की गली
पश्चिम : 20 फुट की गली।

एन० एस० चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 15 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/2/1313/78-79—अतः मुझे, एन० एस० चोपड़ा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या 23 म्यु० नं० 662-बी०/3 है तथा पंडित पार्क, शाहदरा, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8 नवम्बर, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद
662-बी०/3, पंडित पार्क, घोंडली,
शाहदरा, दिल्ली-51।

(अन्तरक)

2. मै० बीज राज बुलाकी राम
1809, कटरा बंसीधर खारी बावली,
दिल्ली
द्वारा श्री मोहन लाल, हिस्सेदार,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामोल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जिसका क्षेत्रफल 195 वर्गगज जोकि प्लाट नं० 23 म्युनिसिपल नं० 662/बी०-3 जो कि पंडित पार्क, घोंडली,-शाहदरा दिल्ली में निम्न प्रकार से घिरा है —

उत्तर : दूसरों की जमीन
दक्षिण : सड़क
पूर्व : प्लाट नं० 22 पर बनी जायदाद
पश्चिम : प्लाट नं० 24 पर बनी जायदाद

एन० एस० चोपड़ा
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 2, दिल्ली, नई दल्ली-1

तारीख : 15 जुलाई, 1978।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनाक 12 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/II/1312/78-79/1701—अतः मुझे एन० एस० चोपड़ा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या डी० 16 है तथा जो कमला नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19 नवम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगदीश लाल मेहता सुपुत्र श्री राम नाथ मेहता,
निवासी : डी०-16, कमला नगर, दिल्ली।
इनकी जनरल अटारनी श्रीमती पुष्पा मेहता के द्वारा,
पत्नी श्री मोहन लाल मेहता, निवासी डी०-16,
कमला नगर, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री रामेश कुमार मेहता तथा नरेश कुमार मेहता,
सुपुत्र श्री मोहन लाल मेहता,
निवासी : 16-डी०, कमला नगर, दिल्ली

(अन्तरिती)

3. मैं० गुप्ता इन्डस्ट्रीज

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० डी०-16 का 1/2 हिस्सा जोकि 323 वर्ग गज क्षेत्रफल के ऊपर बना हुआ है, इसके पिछला हिस्सा जोकि दुमंजिला है और साथ में मिश्रानी भी है, कमला नगर, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : खुला
पश्चिम : जायदाद नं० 17-डी०
उत्तर : रोड़
दक्षिण : सर्विस लेन।

एन० एस० चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 12 जुलाई, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 1978

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/1311/78-79/1701

—अतः मुझे एन० एस० चोपड़ा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 25/75 है तथा जो शक्ती नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4 नवम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बूर चन्द, सुपुत्र लाला अहाली राम,
निवासी कादर बिल्डिंग, मुकिम पुरा,
म्युनसिपल नं० 957, मलका गंज,
दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री राम किशन अग्रवाल सुपुत्र श्री किशन सरूप,
निवासी 8247, न्यू अनाज मण्डी,
फिलमिस्तान के पास, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट जिसका नं० 75, ब्लाक नं० 25 है और क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है, शक्ती नगर, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड़
पश्चिम प्लाट नं० 74
उत्तर : रोड़
दक्षिण : गली

एन० एस० चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 2 दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 12 जुलाई 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-III/179/अक्टूबर-II (31)/78-79/1699—अतः मुझे, जे० एस० गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 39 है तथा जो लाजपत नगर-4 रिंग रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19 अक्तूबर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्रीमती शिपरा घोष, पत्नी श्री० जे० घोष,
निवासी ए०-40, चितरंजन पार्क,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री प्रेम कुमार गोयल, सुपुत्र श्री बिशन चन्द गोयल,
निवासी : 2-फ्लेग स्टाफ रोड, दिल्ली ।
तथा श्री ओमेश कुमार गोयल
सुपुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल,
निवासी कैथल रोड, पेहेवा, हरियाणा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बंगला जोकि 767 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० 39 है, लाजपत नगर-4, रिंग रोड, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड़
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : प्लाट नं० 38
दक्षिण : बंगला नं० 40

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 15 जुलाई, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज III, दिल्ली-1
नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/III/जनवरी/1637 (38)/77-78/1703—अतः मुझे ए० एल० सूद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या 21/60 है तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30 जनवरी, 1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री प्रेम कुमार नरूला तथा श्री सुभाष कुमार नरुला,
   सुपुत्रान श्री सोहन सिंह नरूला,
   निवासी 41 तथा 29, नार्थ एवेन्यु,
   पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।
   (अन्तरक)

2. श्री मन मोहन सिंह, अवतार सिंह तथा सुरीन्द्र सिंह,
   सुपुत्रान श्री हरनाम सिंह,
   निवासी : 29/6, पंजाबी बाग,
   नई दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान जोकि 279.55 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० 21, रोड नं० 60, क्लास "डी०" में है, निवासी कालौनी पंजाबी बाग, मादीपुर गांव के क्षेत्र, दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड नं० 60
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : प्लाट नं० 19 पर मकान
दक्षिण : प्लाट नं० 23 पर मकान

ए० एल० सूद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 17 जुलाई, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 29 जून, 1978

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/423—यतः मुझे एम० पी० वाशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ए०-28 व बी० 25 है तथा जो फतेहनगर, उदयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मावली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17 नवम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गणेश लाल पुत्र श्री देवी लाल होंगड आकोला।
(अन्तरक)

2. श्री यशवन्त कुमार नाबालिग जरिए पिता एवं संरक्षक श्री गोपीलाल जी अग्रवाल
निवासी फतहनगर तहसील मावली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० ए०-28 एवं बी०-25 का हिस्सा जैसा कि उप पंजियक, मावली (उदयपुर) द्वारा क्रम संख्या 657/77 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और अधिक विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० पी० वाशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 29-6-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 4 जुलाई 1978

निर्देश सं० रा०/सहा० आ० अर्जन/419---यतः मुझे, एम० पी० वाशिष्ठ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 19 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28 नवम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री सुन्दर लाल गोदिका पुत्र श्री कस्तूरचन्द गोदिका, निवासी बोरडो का रास्ता, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री ओम प्रकाश कासट पुत्र नेनूराम जी, सी०-16, नई अनाज मण्डी, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 19, मधूबन कालोनी, रामपुरा रूपा, टोंक रोड के पास, जयपुर पर निर्मित मकान सम्पत्ति का भाग, जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2248 दिनांक 28-11-1977 पर पंजिबद्ध क्रिय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

(एम० पी० वाशिष्ठ)
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर।

तारीख : 4 जुलाई 1978।

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 4 जुलाई 1978

निर्देश सं॰ राज॰/सहा॰ आ॰ अर्जन/420—अतः मुझे, एम॰ पी॰ वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ प्लाट नं॰ 19 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20 नवम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सुन्दर लाल गोदिका पुत्र श्री कस्तूर चन्द गोदिका निवासी बोरडी का रास्ता, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री जगदीश चन्द्र कासट पुत्र श्री नेनाराम जी कासट, सी-15, नई अनाज मंडी, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं॰ 19 पर निर्मित मकान सम्पत्ति का भाग, मधूबन कालोनी, रामपुरा रूपा, जयपुर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रमांक 2250 दिनांक 28-11-1977 में पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

(एम॰ पी॰ वशिष्ठ)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख: 4 जुलाई, 1978
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 4 जुलाई 1978

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/421——यतः, मुझे एम० पी० वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 19 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28 नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुन्दर लाल गोदिका पुत्र श्री कस्तूरचन्द गोदिका निवासी बोरड़ी का रास्ता, जयपुर।

(अन्तरक)

2. श्री सोहन लाल कासट पुत्र श्री नेनूराम जी, सी०-6, न्यू अनाज मण्डी, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 19, मधूबन कालौनी, रामपुरा रूपा, टोंक रोड के पास, जयपुर, पर निर्मित मकान सम्पत्ति का भाग, जो उप पंजियक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2249 दिनांक 28-11-1977 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० पी० वाशिष्ठ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 4 जुलाई, 1978।
मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 4 जुलाई 1978

निर्देश स० राज०/सहा० आ०/अर्जन/422—यतः मुझे, एम० पी० वाशिष्ठ
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 19 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28 नवम्बर, 1977 ।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :-

(1) सुन्दर लाल गोदिका पुत्र श्री कस्तूर चन्द गोदिका निवासी बोरडी का रास्ता, जयपुर ।
(अन्तरक)

(2) श्री जेठमल कासट पुत्र नेनूराम जी, सी०-16, नई अनाज मंडी, जयपुर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 19, मधुबन कालोनी, रामपुरा रूपा, जयपुर पर निर्मित मकान सम्पत्ति में से हिस्सा, जो उप पंजियक जयपुर, द्वारा क्रमांक 2247 दिनांक 28-11-1977 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 4 जुलाई, 1978 ।
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 1 जुलाई 1978

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/425—यतः मुझे, एम० पी० वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ए०-28 व बी०-25 है तथा जो पतेहनगर स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17 नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री मदन लाल (पागल)
द्वारा संरक्षक श्री देवीलाल महाजन ओसवाल हीगड
निवासी आकोला तहसील कपासन
जिला चित्तोड़गढ़ ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गुणवन्ती देवी पत्नि श्री पुरेशचन्द्र अग्रवाल,
निवासी फतेहनगर, तहसील मावली ।
जिला चित्तोड़गढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० ए०-28 एवं बी०-25 पर स्थित मकान का भाग, जो मावली तहसील में पतेहनगर में स्थित है और उप पंजियक मावली द्वारा क्रम संख्या 656 दिनांक 17 नवम्बर, 1977 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

एम० पी० वशिष्ठ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 1 जुलाई, 1978
मोहर :

फार्म आई०टी०एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 1 जुलाई 1978

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/7/424—अतः मुझे, एम० पी० वाशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ए० 28 ब बी० 25 है तथा जो पतेहनगर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मावली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18 नवम्बर, 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्,—

1. श्री अमृत लाल पुत्र श्री देवीलाल महाजन ओसवाल हिंगद निवासी आकोला तहसील कपासन, जिला चित्तोड़गढ़ ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सम्पत्ति देवी पत्नि श्री सत्यानारायण अग्रवाल, निवासी पतेहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० ए०-28 और बी० 25 पर पतेहनगर में स्थित मकान नं० सम्पत्ति का भाग, जो उप पंजियक मावली द्वारा क्रम संख्या 765 दिनाक 18-11-1977 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

एम० पी० वाशिष्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर ।

तारीख : 1 जुलाई, 1978 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम, कोच्चिन 16

कोचीन, दिनांक 13 जुलाई, 1978

निदेश सं० एल० सी० 213/78-79—यतः मुझे पी० ओ० जोर्ज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो ट्रिवानड्रम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शास्तमंगलम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17 नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री सी० के० नारायणन नायडू,

(अन्तरक)

2. श्री थाजी बी० जोग

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

13.125 cents of land with building in Jawahar Nagar, Trivandrum vide Schedule to Document No. 2654/77.

पी० ओ० जोर्ज
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 13 जुलाई, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम, कोच्चिन-16

कोचीन, दिनांक 13 जुलाई, 1978

निदेश सं० एल० सी० 212/78—यत मुझे पी० ओ० जोर्ज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या अनुसूची के अनुसार है, जो ट्रिवानड्रम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 7 नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती सरोजिनी अम्मा

(अन्तरक)

2. श्रीमती (1) ग्रेस के उम्मन
(2) एबी फिलिप

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

13 cents 832 Sq. links of land with building vide Schedule to Document No. 2496/77.

(पी० ओ० जोर्ज)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
राम अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 13 जुलाई, 1978।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज बंगलूर का कार्यालय

बंगलूर, दिनांक 11 जुलाई, 1978

निदेश सं० 62/13824/78-79/एक्यु०/बी०—यतः मुझे, जे० एस० राव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० पुराना सं० 458, और नया सं० 15 है तथा जो IV 'टी०' ब्लाक जयानगर, बेंगलूर-11 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नयानगर, बेंगलूर, दसतावेज सं० 1890/77-78 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5 नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री ओ० के० वेंककाटाचला बट्टी,
पुत्र ओ० वेंककाटाचलामयह बट्टी,
सं० 458/15, 18वीं मेन रोड,
IV टी०" ब्लाक, जयानगर, बेंगलूर ।

(अन्तरक)

2. डाक्टर एम० पी० कुनाहल्ली,
पुत्र पी० सी० कुनाहल्ली,
सं० 94, IV 'टी०' ब्लाक, 16वीं मेन रोड,
34, बी०, क्राम, जयानगर, बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1890/77-78 तारीख 5 नवम्बर, 1977)

सम्पत्ति मुनिसपल सं० पुराना 458 और नया सं० 15, 18वीं मेन रोड, IV बी "टी०" ब्लाक, जटानगर, बंगलूर ।

बानडारीम : पूरब : साइट सं० 471
पश्चिम : रोड
उत्तर : साइट सं० 457 और
दक्षिण : साइट सं० 459 ।

(जे० एस० राव)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर ।

तारीख : 11 जुलाई, 1978 ।
मोहर :

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज बंगलूर का कार्यालय

बंगलूर, दिनांक 11 जुलाई, 1978

निदेश सं० 62/13868/78-79/ए० सा० कियो०/बी०—यत: मुझे जे० एस० राव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसम इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित **बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है**

और जिसकी सं० 13, MNKTH पुराना सं० 2493/2494 और नया सं० 2494 है तथा जो विनायाकानगर, टुमकुरटोन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्न रूप से वर्णित र), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दमकर दस्तावेज सं० 2666/77-78 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 2 नवम्बर, 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया **प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना **चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की **उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—**

1\. (1) श्री जी० वी० सिदवावीरयह पुत्र श्री वीराभदरयह

(2) श्रीमती गंगम्मा, पत्नी श्री जी० पी० सिददावीरयह और

(3) कुमारी सुषीलम्मा)

(4) कुमारी अनुसुया देवी

(5) श्री रमेश

(6) कुमारी सरषामंगला

(7) कुमार ग्रोवर कुमार —(3) से (7) माइनर्स सब स्व० जयाम्मा के बच्चे और रेपरजनटेंड वर्ड फादर ग्रंड नयचुरल गारडियन श्री जी० वी० सिददावी० रयह सब विनायकानगर टुमकर में रहते हैं। (अन्तरक)

2\. (1) श्रीमती एस० शारदय्या पत्नी श्री जी० के० षेषागिरी, मालिक उडीपी कृश्नणा भावन पिजगुराला विलेज, गुरजाला तालुक गुनेटूर डिस्ट्रीकट (श्रो० पी०)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता **हूं।**

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से **30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास **लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस** अध्याय में **दिया गया है।**

अनुसूची

(दस्तावेग सं० 2666/77-78 ता० 1 नवम्बर, 1977)।

सम्पत्ति सं० 13 एम० एन० के० टी० एच० पुराना सं० 2493/2494 और नया सं० 2494 विनायकानगर, टुमकूर टौन।

बौनडारीस : पूरब : श्री जी० के० षेषागिरी की सम्पत्ति
पश्चिम : श्री एल० पदमाराधू
उत्तर : रोड और
दक्षिण : श्री के० नारायना पट्टी की सम्पत्ति।

जे० एस० राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर।

तारीख : 11-7-1978।
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज धारवाड़

धारवाड़-580004, दिनांक 7 जुलाई 1978

निदेश सं० 217/7-8-79/अर्जन अतः मुझे डी० सी०—राजागोपालन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एच० नं० 265 है, जो राय गांव में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मारगांव कैंट अंडर, डाकुमेंट नं० 987 दि० 29-11-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

श्रीमती मारिया जूलिया, डी० अब्र लोनी सिल्वा
पावर आफ अटोर्णी : डॉ० एरिको दास डोरर्स
संतान डा० सिल्वा, घर नं० 8, दामोदर कामर्स
कालेज के सामने, बोडी, मारगांव (गोवा)।
2. श्री अलेकजेंडर मेनिनी कनडेस, (अन्तरक)
4वां वार्ड, कोलवा, सालकेड
(गोवा) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्थानिक आस्ति रेखा गांव के यहां है। और "फेसल" या "आर्लेम" के नाम से जाना जाता है। इसका सं० 265 सब डिवीजन नं० 1 एकत्र जगाही 957 स्कार मीटर है।

डी० सी० राजागोपालन,
सक्षम प्रधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़।

तारीख : 7-7-1978।
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 30th June 1978

No. A.12019/1/75-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri Jagdish Lal, Assistant Superintendent (Hdll.) in the office of Union Public Service Commission to officiate on an *ad hoc* basis as Section Officer (D.P.) in the Commission's office for the period from 19-6-1978 to 31-8-1978, or until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE,
Dy. Secy.
for Secy.
Union Public Service Commission

New Delhi, the 30th June 1978

No. A38014/8/76-Admn.III.—The President is pleased to permit Shri O. P. Gupta, a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission and officiating as Section Officer on *ad-hoc* basis, to retire from Government service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of the 30th June 1978 in terms of Department of Personnel O.M. No. 33/12/73-Ests (A) dated the 24th November, 1973.

P. N. MUKHERJEE,
Dy. Secy.,
(Incharge of Administration),
Union Public Service Commission.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPTT. OF PERSONNEL & A.R.

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 6th July 1978

F. No. A-19021/7/78-Ad.V.—The President is pleased to appoint Shri R. D. Tyagi, IPS (1964-Maharashtra) as Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation (Special Police Establishment) with effect from the forenoon of 26.6.1978 on deputation basis and until further orders.

K. K. PURI,
Deputy Director (A).

New Delhi, the 11th July 1978

No. Y-11/72-Ad.V.—On the expiry of his term of deputation to the Central Bureau of Investigation the services of Shri Y. P. Sabharwal, Technical Adviser (Accounts and Income Tax) have been placed back at the disposal of Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of 22.6.1978.

M. K. AGARWAL,
Administrative Officer (A),
Central Bureau of Investigation.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 7th July 1978

No. D-II-1070/77-Estt.—The President is pleased to accept resignation tendered by Dr. (Mrs) Sushila Bagdi, JMO (GDO; Gd. II) of Group Centre CRPF Avadi (Madras) with effect from the afternoon of 6th May, 1978.

A. K. BANDYOPADHYAY,
Assistant Director (Adm).

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110024, the 5th July 1978

No. F—38013(3)/1/78-Pers.—On transfer to Hardwar Shri R. R. Bhardwaj relinquished the charge of post of Asstt : Comdt. CISF Unit, Bokaro Steel Ltd with effect from the after-noon of 29th April, 1978 and assumed the charge of Asstt. Comdt, CISF Unit, BHEL (HEEP), Hardwar with effect from the fore-noon of 9th May, 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Shri D. K. Mukherjee, to officiate as Asstt : Comdt, CISF Unit, HFCL, Namrup (Assam) on *ad hoc* basis and assumed the charge of the same post with effect from the forenoon of 25th May, 1978.

2. On transfer from Namrup Shri P. P. Mitra relinqhished the charge of Asstt : Comdt, CISF Unit, HFCL, Namrup (Assam) with effect from the same date.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Shri K. L. Luke to officiate as Asstt : Comdt, CISF Unit, Visakhapatnam Port Trust on *ad hoc* basis and assumed the charge of the same post with effect from the forenoon of 26th May, 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from ISRO Thumba Shri Inder Mohan assumed the charge of the post of Asstt : Comdt, CISF Unit, BHEL (HEEP), Hardwar with effect from the forenoon of 24th April, 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from CISF Unit, HMT, Srinagar, Shri J. R. Gupta assumed the charge of the post of Assistant Commandant (Recctt), CISF HQrs, New Delhi with effect from the Fore-noon of 29th May, 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Calcutta Port Trust, Shri K. P. Nayak assumed the charge of post of Assistant Commandant, CISF Unit, FCI, Newjalpaiguri with effect from the afternoon of 6th May, 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Shri L. V. Joseph to officiate as Assistant Commandant, CISF Unit, ISRO Thumba on *adhoc* basis and assumed the charge of the same post with effect from the afternoon of 25th May, 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Shri G. S. Jauhal to officiate as an Asstt : Commeasant, CISF Unit, IOC, Barauni on *ad-hoc* basis and assumed the charge of the same post with effect from the Fore-noon of 28th May, 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Shri N. G. D. Gupta to officiate as Asstt : Commandant, CISF Unit, BCCL Jharia on *adhoc* basis and assumed the charge of the same post with effect from the forenoon 25th May, 1978.

The 6th July 1978

No. E-32015(1)/4/78-Pers.—On expiry of his term of reemployment in the CISF, Lt Col S S Deshpande (Retd.) relinquished the charge of the post of Commandant, CISF Unit, FCI (now RCF), Trombay on 18.5.78 (A.N.).

No. E-38013(2)/1/78-Pers.—On transfer from Barauni Shri Ashok Darbari, IPS assumed the charge of the post of Commandant, CISF Unit, Calcutta Port Trust, Calcutta with effect from the forenoon of 5th June, 1978 and relieved Lt Col, S. M. Lal with effect from the same date.

No. E-38013(2)/1/78-Pers.—On transfer from Pimpri Shri V. K. Agnihotri, IPS assumed the charge of Group Commandant CISF, Bombay with effect from the afternoon of 15th May, 1978.

R. C. GOPAL,
Inspector-General.

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 5th July 1978

No. 10/13/76Ad.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri D. P. Khobragade as Assistant Director of Census Operations (Technical) on regular basis, in a temporary

capacity in the office of the Director of Census Operations, Maharashtra at Bombay, with his headquarters at Bombay, with effect from the forenoon of 15th May, 1978, until further orders.

No. 11/1/77Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri B. D. Sharma, an Office Superintendent in the Office of the Director of Census Operations Himachal Pradesh, and presently working as Assistant Director of Census Operations, on *ad-hoc* basis in the office of the Director of Census Operations, Chandigarh UT at Chandigarh, as Assistant Director of Census Operations in the Office of the Director of Census Operations, Chandigarh UT at Chandigarh, with his headquarters continue to be at Chandigarh, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 27 May, 1978, until further orders.

No. 11/1/77-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Majumdar, an Office Superintendent in the Office of the Director of Census Operations, West Bengal, and presently working as Assistant Director of Census Operations, on *ad-hoc* basis in the Office of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh at Lucknow, as Assistant Director of Census Operations in the Director of Census Operations, Uttar Pradesh at Lucknow, with his headquarters continue to be at Lucknow, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 27 May, 1978, until further orders.

No. 11/1/77-Ad-I.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Pathak, Office Superintendent in the Office of the Director of Census Operations, Bihar at Patna, as Assistant Director of Census Operations, on regular basis, in a temporary capacity, in the Office of the Director of Census Operations, Manipur at Imphal, with his headquarters at Imphal, with effect from the forenoon of 31 May, 1978, until further orders.

The 10th July 1978

No. 2/1/75Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri A. S. Dange, Assistant Director of Census Operations (Technical), in the office of the Director of Census Operations, Tamil Nadu & Pondicherry and at present working as Deputy Director of Census Operations, on *ad hoc* basis in the Office of the Director of Census Operations, Sikkim at Gangtok, as Deputy Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Sikkim at Gangtok, with his headquarters continue to be at Gangtok, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 7 June, 1978, until further orders.

No. 2/1/75-RG(Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri M. Thangaraju, Assistant Director of Census Operations (Technical), in the office of the Director of Census Operations, Kerala, and at present working as Deputy Director of Census Operations, on *ad-hoc* basis, in the office of the Director of Census Operations, Tamil Nadu & Pondicherry at Madras, as Deputy Director of Census Operations in the office of the D.C.O., Tamil Nadu & Pondicherry, at Madras, with his headquarters continue to be at Madras, on regular basis, in a temporary capacity, with effect for the forenoon of 5 June, 1978, until further orders.

No. 2/1/75Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Jagdish Singh, Assistant Director of Census Operations (Technical), in the office of the Director of Census Operations, Orissa, and at present working as Deputy Director of Census Operations, on *ad-hoc* basis, in the Office of the Director of Census Operations, Delhi, as Deputy Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Delhi, with his headquarters continue to be at Delhi, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 5 June, 1978, until further orders.

No. 2/1/75Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri S. Rajendran, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Karnataka and at presen working as Deputy Director of Census Operations, on *ad-hoc basis*, in the Office of the D.C.O., Goa, Daman & Diu at Panaji, as Deputy Director of Census Operations in the office of the D.C.O., Goa, Daman & Diu at Panaji, with his headquarters continue to be at Panaji, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 6th June, 1978, until further orders.

No. 10/23/77-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri R. C. Kathuria, Investigator in the office of the Registrar General, India at New Delhi, as Research Officer in the same office on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a period of six months with effect from 24 May, 1978 or till a regular officer becomes available, whichever is earlier.

No. 10/23/77-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri U. S. Chaturvedi, Investigator in the office of the Registrar General, India at New Delhi, as Research Officer in the same office on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a period of six months with effect from 24 May 1978, or till a regular officer becomes available, whichever is earlier.

No. 10/23/77-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri P. C. Pandey, Investigator in the office of the Registrar General India at New Delhi, as Research Officer in the same office on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a period of six months with effect from 24th May, 1978, or till a regular officer becomes available, whichever is earlier.

P. PADMANABHA,
Registrar General, India.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

BANK NOTES PRESS

Dewas, the 8th July 1978

File No. BNP/E/Spl/34.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 22-8-76, the deputation of Shri C. N. Laxman Rao as Assistant Engineer (Air-conditioning) in the Bank Note Press, Dewas (M.P.) is extended upto 16-2-78 on the existing terms and conditions.

P. S. SHIVARAM,
GENERAL MANAGER.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE A.G.C.R. NEW DELHI

New Delhi, the 6th July 1978

No. Admn.I/5-5/Promotion/77-79/0.0.179/593.—Shri Brij Bhushan, an officiating Accounts Officer of this office has retired from Govt. Service, *Voluntarily*, with effect from 30.6.78 (AN) after completion of 20 years qualifying service, in terms of G.I. Ministry of Home Affairs O.M. No. date of birth is 17.10.1928.

Shri Bhushan entered Govt. Service on 11.5.1949 and his date of birth is 17.10.1928.

No. Admn.I/5-5/Promotion/0.0-180/595.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri R. C. Sharma, a permanent Section Officer & officiating Accounts Officer, of this office has retired from Govt. service in the after-noon of 30th June, 1978.

His date of birth is 12.6.1920.

Sd. ILLEGIBLE

Sr. Dy. Accountant General (Admn.).

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, UTTAR PRADESH-I,

Allahabad, the 29th June 1978

No. Admn.I/11-144(XIV)/68.—The Accountant General, U.P.-I, Allahabad has appointed Sri Daya Nand Joshi, Section Officer to officiate as Accounts Officer in this office until further orders with effect from 5.6.1978 F.N.

U. RAMACHANDRA RAO,
Sr. Deputy Accountant General(A).

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, JAMMU & KASHMIR

Srinagar, the 6th July 1978

No. Admn.I/60(57)/78-79/1428-29.—The Accountant General Jammu & Kashmir has appointed Shri Bansi Lal Chaku (Date of birth 22-1-1933) a permanent section officer of this office, to officiate as Accounts Officer with effect from the forenoon of 3rd July, 1978 until further orders.

M. M. MUBARAKI,
Sr. Deputy Accountant General (A&E).

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, KARNATAKA

Bangalore, the 24th June 1978

No. FSI/A4/78-79/211.—The Accountant General is pleased to promote the following permanent/officiating Section Officers to officiate as Accounts Officers in a purely temporary capacity until further orders, without prejudice to the claims of their seniors, if any, with effect from the date of their taking charge.

S/Shri.

1. R. Veeraswamy.
2. S. Anantharaman.

M. A. SOUNDARARAJAN,
Senior Deputy Accountant General, (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, KERALA

Trivandrum, the 3rd July 1978

No. Estt.A.VII/9-86/Vol.II/108.—The Accountant General, Kerala is pleased to appoint Shri A. Padmanabha Iyer, permanent Section Officer (Audit and Accounts) to officiate as Accounts Officer with effect from 1st July, 1978 forenoon, until further orders.

S. JAYARAMAN,
Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, RAJASTHAN

Jaipur, the 6th July 1978

No. Admn.II/G-G-Notification/455.—The Accountant General is pleased to appoint Shri Om Narain Nag, Section Officer of this office as officiating Accounts Officer until further orders with effect from 12.6.78 (F.N.).

Sd. ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE CHEIF AUDITOR, NORTHERN RAILWAY

New Delhi-1, the 7th July 1978

No. Admn. 17-14/778898.—S/Shri Ram Kishan Gupta and Mulk Raj Kapur, Section Officers (Audit) and permanent members of Subordinate Railway Audit Service are appointed to officiate as Audit Officers in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 in this office with effect from 14.4.78 and 14.6.78 respectively until further orders.

R. JOSHI,
Chief Auditor.

DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES

Sion Bombay, the 4th July 1978

No. 5/11/78-Adm.—Director General Factory Advice Service and Labour Institute, Bombay is pleased to appoint Shri D. C. Das Substantively, to the post of Administrative Officer in the Directorate General Factory Advice Service and Labour Institute organisation with effect from 14th June, 1978.

DR. S. S. RAMASWAMY,
Dy. Director General.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 24th June 1978

No. 12(53)/61-Admn.(G).—The President is pleased to permit Shri D. R. Malhotra, an Officer permanent as Assistant Director (Gr. I) and officiating as Deputy Director in the S.I.D.O. to retire from Government service on attaining the age of superannuation w.e.f. the afternoon of 31.5.78.

No. 12(182)/61-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri R. N. Chakraborty, Director (Gr. II) (Chemical) in the S.I.D.O. as Director (Gr. I) (Chemical) in the S.I.D.O. w.e.f. the forenoon of 31.5.78, until further orders.

2. Consequent upon his appointment Shri Chakraborty has relinquished charge of the post of Director (Gr. II) (Chem.) in Br. SISI, Ranchi w.e.f. the forenoon of 31.5.78 and assumed charge of the post of Director (Gr. I) (Chem.) in Br. SISI, Ranchi w.e.f. the forenoon of 31.5.78.

No. A-19018(346)/78-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri G. Raveendran, Deputy Director Field Operations Division, National Sample Survey Organisation, Calcutta as Deputy Director (Data Bank) (Gr. III of IAS) Small Industry Development Organisation w.e.f. the forenoon of 15.5.78, until further orders.

2. Consequent upon his appointment Shri G. Raveendran, has assumed charge of the post of Deputy Director (Data Bank) in the Office of the Development Commissioner (SSI), New Delhi w.e.f. the forenoon of 15.5.78.

The 30th June 1978

No. 12(186)/61-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri R. Srinivasan, Assistant Director (Gr. I) (L/F) in the Small Industries Service Institute, Madras as Deputy Director (L/F) in S.I.D.O. w.e.f. the forenoon of 12.6.78 until further orders.

2. Consequent upon his appointment Shri R. Srinivasan, relinquished charge of the post of Assistant Director (Gr. I) (L/F) in the SISI, Madras w.e.f. the afternoon of 5.6.78 and assumed charge as Deputy Director (L/F) in the Small Industries Service Institute, Trichur w.e.f. the forenoon of 12.6.78.

The 22nd June 1978

No. 12(676)/71-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri G. Raman, Director (Gr. I) (Mechanical) in the Office of the Development Commissioner (SSI) New Delhi as Industrial Adviser (Modernisation) in the Office of the Development Commissioner (SSI), New Delhi, on *ad hoc* basis w.e.f. the forenoon of 1.1.78 and upto 12.3.78.

2. Consequent upon his appointment, Shri G. Raman, relinquished charge of the post of Director (Gr. I) (Mech.) in the Office of the DCSSI, New Delhi w.e.f. the forenoon of 1.1.78 and assumed charge of the post of Industrial Adviser (Modn.) in the same office w.e.f. the forenoon of 1.1.78.

3. The President is further pleased to appoint Shri G. Raman as Industrial Adviser (Modn.) w.e.f. 13-3-78 on a regular basis and until further orders.

The 30th June 1978

No. 12(93)/61-Admn.(G).—On return from deputation with Central Tool Room & Training Centre, Calcutta, Shri S. K. Ghosh, assumed charge of the post of Director (Gr. II) in Small Industries Service Institute, Patna w.e.f. the forenoon of 16.6.78.

No. 12(324)/62-Admn.(G).—The President is pleased to permit Shri V. Venkatrayulu, Deputy a permanent Assistant

Director (Gr. II) and officiating Deputy Director (GAD) in the Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries) New Delhi, to retire from Government service on attaining the age of superannuation w.e.f. the afternoon of 30.6.1978.

The 1st July 1978

No. 12(568)/68-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri P. D. Mayee, Assistant Director (Gr. 1) in the S.I.D.O. as Deputy Director (Glass/Ceramics) in the S.I.D.O. w.e.f. the forenoon of 8.5.78 until further orders.

2. Consequent upon his appointment Shri P. D. Mayee relinquished charge of the post of Assistant Director in Small Industries Service Institute, New Delhi w.e.f. the forenoon of 1.5.78 and assumed charge of the post of Deputy Director (Glass/Ceramics) in Small Industries Service Institute, Ahmedabad w.e.f. the forenoon of 8.5.78.

The 4th July 1978

No. 12(233)/61-Admn.(G).—Consequent upon his appointment as Expert in Match Industry to the Royal Government of Bhutan on deputation basis for a period of six months Shri K. C. Narayanan, relinquished charge of the post of Director (Gr. II) at Small Industries Service Institute, Hyderabad w.e.f. the afternoon of 19.6.78.

2. The services of Shri K. C. Narayanan are placed at the disposal of the Royal Government of Bhutan w.e.f. 19.6.78 (AN).

M. P. GUPTA,
Deputy Director (Admn.)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS

New Delhi, the 30th June 1978

No. 50011/30/76-DCH(Admn.II).—The President is pleased to allow Shri D. S. V. Iyer, an Officer re-employed as Director in the Weavers' Service Centre, Bombay, under the Office of the Development Commissioner in the Deptt. of Industrial Development, Ministry of Industry to relinquished charge of the post of Director in the same Centre, on completion of the term of re-employment, with effect from the afternoon of 30th June, 1978.

(Km.) R. SAHNI
Dy. Development Commissioner

OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

Calcutta, the 5th July 1978

No. Jute(A)/147/65.—The Jute Commissioner hereby appoints Shri S. K. Hajra, Inspector (Non-Technical) as Assistant Director (Exports) Group 'B' (Gazetted) in the Scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an ad-hoc officiating capacity in this office w.e.f. 28-6-78 (F/N) vice Shri K. P. Das promoted as Assistant Director (Economic).

K. K. BANERJEE
Administrative Officer

SURVEY OF INDIA
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 5th July 1978

No. C-5388/707.—Shri R. I. Kapruwan, Surveyor Sel. Gde. is appointed to officiate as Officer Surveyor (Group 'B' post), Survey of India in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- with effect from 28th February 1978 (FN) and posted to No. 70 (Forest) Party (NC), Dehra Dun.

No. C-5389/718-A.—Shri A. B. Sarkar, Map Curator, is appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group 'B' post), on *ad hoc* basis in Eastern Circle Office, Survey of India, Calcutta in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 27*th April* 1978 (FN) *vice* Shri N. R. Bose, Establishment and Accounts Officer proceeded on leave from 27-4-78 (FN).

No. C-5837/707:—The undermentioned officers are appointed to officiate as Officer Surveyor (Group 'B' post), Survey of India in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the date as shown against each, purely on *ad hoc provisional basis*.—

Sl. No.	Name and Designation	Unit Office	with effect from
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Kumud Ranjan Choudhury, Surveyor Sel. Gde.	No. 62 Party (EC), Calcutta.	10th March 1978 (FN)
2.	Shri G. L. Sharma Draftsman Div. I. Sel. Gde.	No. 1 D. O. (M.P.), Dehra Dun.	28th February, 1978 (FN).
3.	Shri P. V. Ganesh Draftsman Div. I. Sel. Gde.	No. 4 D. O. (S.C.), Bangalore.	7th April, 1978 (FN)
4.	Shri B. S. Bist Survey Assistant Sel. Gde.	No. 15 Party (STI), Hyderabad.	1st March, 1978 (FN)
5.	Shri N. Srinivasa Surveyor Sel. Gd.	S.C.C.O., Hyderabad.	13th March, 1978 (FN)
6.	Shri D. P. Ghosh, Surveyor Sel. Gde.	No. 11 Party (EC), Ranchi,	31st March, 1978 (FN).
7.	Shri Bansidhar Ghildiyal Surveyor Sel. Gde.	No. 26 (Photo) Party (NC), Dehra Dun.	31st March, 1978 (FN).
8.	Shri Santi Ranjan Mukherjee Surveyor Sel. Gde.	No. 77 (Photo) Party (SEC), Bhubaneswar.	31st March, 1978 (FN).
9.	Shri Jaiprakash Singh Tomar Surveyor Sel. Gde.	No. 20 (Photo) Party (NC), Dehra Dun.	31st March, 7978 (FN).
10.	Shri Subodh Ranjan Biswas Surveyor Sel. Gde.	No. 30 (Photo) Party (EC), Calcutta.	10th March, 1978 (FN).
11.	Shri Sukumar Das Surveyor Sel. Gde.	R & D Dte, Hyderabad.	7th April, 1978 (AN).
12.	Shri Johnson H. Das Surveyor Sel. Gde.	No. 4 Party, (WC), Ajmer.	3rd March 1978, (F.N.)

1	2	3	4
13.	Shri Dilip Kumar Chowdhury Surveyor Sel. Gde.	No. 30 (Photo) Party (EC), Calcutta.	30th March, 1978 (FN).
14.	Shri Mrinal Kanti Guha Surveyor Sel. Gde.	No. 10 D. O. (SEC), Bhubaneswar.	31st March, 1978 (FN).
15.	Shri I. M. Ganapathy, Surveyor Sel. Gde.	R & D Dte., Hyderabad.	1st March, 1978 (FN).
16.	Shri K. K. Khera Surveyor Sel. Gde.	No. 26 (Photo) Party (NC), Dehra Dun.	28th February, 1978 (FN).
17.	Shri Prem Sagar Chopra Surveyor Sel. Gde.	Boundary Cell, (SGO), New Delhi.	28th February, 1978 (FN).
18.	Shri S. G Agarwal Surveyor Sel. Gde.	No. 26 (Photo) Party (NC), Dehra Dun.	31st March, 1978 (FN).
19.	Shri Pramod Chandra Surveyor Sel. Gde.	No. 45 (Party (CC), Jabalpur.	28th March, 1978 (FN).
20.	Shri Ramadas Chakraborty Surveyor Sel. Gde.	No. 62 Party (EC) Calcutta	10th March, 1978 (FN).
21.	Shri B. S. Rawat Surveyor Sel. Gde.	No. 46 Party (CC), Jabalpur.	30th March, 1978 (FN).
22.	Shri B. L. Chowdhury Surveyor Sel. Gde.	No. 74 (Party) (SEC), Ranchi.	29th April, 1978 (FN).
23.	Shri Pritam Singh Surveyor Sel. Gde.	No. 73 (APFPS) Party, (Surair), New Delhi.	30th March, 1978 (FN).
24.	Shri Ram Pal Gupta Surveyor Sel. Gde.	No. 58 Party (WC), Ajmer.	6th March, 1978 (FN).
25.	Shri T. N. Naithani Surveyor Sel. Gde.	No. 20 (Photo) Party (NC), Dehra Dun.	28th February, 1978 (FN).
26.	Shri Chiman Lal Surveyor Sel. Gde.	No. 68 (Tidal) Party (G & RB), Dehra Dun.	27th February, 1978 (FN).
27.	Shri D. N. Pandey Surveyor Sel. Gde.	No. 23 Party (NC), Mussoorie.	13th March, 1978 (FN).
28.	Shri Kundan Lal Kararha Surveyor Sel. Gde.	G & R. B., Dehra Dun.	10th March, 1978 (FN).
29.	Shri Jiban Krishna Das Surveyor Sel. Gde.	No. 11 D. O. (SEC), Bhubaneswar.	31st March, 1978 (FN).
30.	Shri N. Iyyadurai Draftsman Div. I, Sel. Gde.	No. 4 D. O. (SC), Bangalore.	1st March, 1978 (FN).
31.	Shri Jacob Kuzur Draftsman Div. I Sel. Gde.	No. 11 D. O. (SEC), Bhubaneswar.	3rd March, 1978 (FN).
32.	Shri C. V. Kutty Krishnan Survey Assistant, Sel. Gde.	No. 17 Party (SC), Bangalore.	1st March, 1978 (FN).
33.	Shri Ravi Mohan Surveyor Sel. Gde.	G. & R. B., Dehra Dun.	30th March, 1978 (FN).
34.	Shri Samarendra Nath Datta Surveyor Sel. Gde.	No. 10 D. O. (SEC), Bhubaneswar.	31st March, 1978 (FN).
35.	Shri Chaman Lal Surveyor Sel. Gde.	No. 75 Party (SEC), Madhupur.	30th March, 1978 (FN).
36.	Shri Rakhal Chandra Chakrabarty Draftsman Div. I, Sel. Gde.	No. 1 D. O. (MP), Dehra Dun.	28th February, 1978 (FN).
37.	Shri Mukhand Ram Phulera Draftsman Div. I, Sel. Gde.	No. 1 D. O. (MP), Dehra Dun.	28th February, 1978 (FN).
38.	Shri D. B. Wylie Draftsman Div. I, Sel. Gde.	No. 3 D. O. (WC), Jaipur.	1st March , 1978 (FN).
39.	Shri Hari Ram Singh. Draftsman Div. I, Sel. Gde.	M. P. Dte., Dehra Dun.	28th February, 1978 (FN).
40.	Shri Sudarshan Lal Surveyor Sel. Gde.	No. 26 (Photo) Party (NC), Dehra Dun.	31st March, 1978 (FN).
41.	Shri J. C. Ahuja Surveyor Sel. Gde.	C. C. O., Jabalpur.	29th April, 1978 (FN).
42.	Shri M. M. Jain Surveyor Sel. Gde.	R & D Dte., Hyderabad.	23rd April, 1978 (FN).
43.	Shri S. N. Kumar Surveyor Sel. Gde.	No. 51 Party (SCC), Hyderabad.	20th March, 1978 (FN).
44.	Shri D. R. Sharma Surveyor Sel. Gde.	R & D Dte. Hyderabad.	20th March, 1978 (FN).

1	2	3	4
45.	Shri S. D. Chatterjee . . . . . Surveyor Sel. Gde.	No. 34 Party (PMP), Hyderabad.	1st March , 1978 (FN).
46.	Shri G. Mukherjee, ... Surveyor Sel. Gde.	No. 18 Party (EC), Ranchi.	31st March, 1978 (FN).
47.	Shri Udai Singh . . . . . Surveyor Sel. Gde.	No. 46 Party (CC), Jabalpur.	6th March, 1978 (FN).
48.	Shri S. D. Semwal . . . . . Surveyor Sel. Gde.	No. 13 Party (WC), Mussoorie.	3rd March, 1978 (FN).
49.	Shri M. S. Ball . . . . . Survey Assistant, Sel. Gde.	No. 33 Party (NC), Dehra Dun.	28th February, 1978 (FN).
50.	Shri S. K. Kar . . . . . Draftsman Div. I, Sel. Gde.	No. 2 D. O. (NC), Dehra Dun.	28th February, 1978 (FN).
51.	Shri Ajit Kumar Sarkar . . . . Surveyor Sel. Gde.	No. 37 Party (EC), Calcutta.	10th March, 1978 (FN).
52.	Shri John Mundu, ... Draftsman Division I, Sel. Gde.	No. 10 D. O. (SEC), Bhubaneswar.	6th March, 1978 (FN).
53.	Shri N. L. Hasija . . . . . Surveyor Sel. Gde.	No. 14 Party, (G &RB), Dehra Dun.	12th May 1978, (F.N.).
54.	Shri S. P. Goyal . . . . . Scientific Assistant, Sel. Gde.	G. & R. B., Dehra Dun.	27th February, 1978 (FN).
55.	Shr i M. S. Nagarajan, . . . Scientific Assistant, Ord. Gde.	No. 68 (Tidal) Party (G&RB), Dehra Dun.	27th February, 1978 (FN).
56.	Shri J. S. Uberoi . . . . . Geodetic Computer, Sel .Gde.	G. & R. B., Dehra Dun.	27th February, 1978 (FN).
57.	Shri Malkhan Singh Verma . . . . Geodetic Computer, Sel. Gde.	No. 68 (Tidal) Party (G &RB), Dehra Dun.	27th February, 1978 (FN).
58.	Shri Teeka Ram Joshi . . . . . Scientific Assistant, Ord. Gde.	No. 19 Party (G&RB), Dehra Dun.	12th May 1978 (FN.)
59.	Shri Santokh Singh . . . . . Geodetic Computer, Ord. Gde.	No. 19 Party (G&RB), Dehra Dun.	12th May, 1978 (FN).

K. L. KHOSLA,
Major General,
Surveyor General of India

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 4th July 1978

No. 10/141/77-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri K. K. Aggarwal to officiate as Assistant Engineer at High Power Transmitter, All India Radio, Aligarh with effect from 7-6-78 (FN).

HARJIT SINGH
Dy. Director Administration
for Director General

New Delhi, the 5th July 1978

No. 4(111)/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Kum. Tsering Dolkar Kawoo, as Programme Executive, All India Radio, Leh in a temporary capacity with effect from the afternoon of 12th June, 1978 and until further orders.

N. K. BHARDWAJ
Dy. Director Administration
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

PUBLICATIONS DIVISION

New Delhi, the 5th July 1978

No. A-12026/1/78-Admn.I.—Director, Publications Division is pleased to appoint Shri G. D. Madan, a permanent Senior Accountant to officiate as Accounts Officer on *ad-hoc* basis in this Division *vice* Shri K. C. Singhai Accounts Officer, granted leave for a period of 40 days w.ef., 3rd July, 1978 to 11-8-78.

This *ad-hoc* appointment will not bestow on Shri Madan a claim for regular appointment in the grade of Accounts Officer. This service will also not count for the purpose of seniority in the grade.

INDRAJ SINGH
Dy. Director Administration
for Director

FILMS DIVISION

Bombay-26, the 4th July 1978

No. A-19012/1/78-Est.I.—Shri Dev Raj, an Audit Officer of the Office of the Chief Auditor, Northern Railway, New Delhi, has been appointed to officiate as Accounts Officer in the Films Division, Bombay on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of the 26th June, 1978.

The 6th July 1978

No. A-24013/18/78-Est.I.—The Chief Producer, Films Division, has appointed Shri B. V. Krishnan, Officiating Selection Grade Asstt. Maintenance Engineer, Films Division Bombay to officiate as Maintenance Engineer, in the same office with effect from the forenoon of the 15th May, 1978, vice Shri T. Krishnan, Permanent Maintenance Engineer granted leave.

M. CHANDRAN NAIR
Administrative Officer
for Chief Producer

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi-1, the 5th June 1978

No. A-20012/3/70-Exh(A).—The Director of Advertising & Visual Publicity hereby appoints Shri Amal Mukherji as Field Exhibition Officer in this Directorate in a purely

temporary capacity on *ad hoc* basis with effect from 30-4-78 (Afternoon) until further orders.

S. K. MUKERJI
Dy Director

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 5th June 1978

No. A.19019/23/76(HQ)Admn.I.—Consequent on his transfer to Government Medical Stores Depot. Madras, Shri D. S. Desikan relinquished charge of the post of Deputy Assistant Director General (Stores), Directorate General of Health Services on the forenoon of 16th June, 1978.

2. Shri Y. K. Aggarwal assumed charge of the post of Deputy Assistant Director General (Stores), Directorate General of Health Services on the forenoon of 16th June, 1978.

The 7th June 1978

No. A.12025/2/77(CRI)Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. Bhoop Singh to the post of Veterinary Officer in the Central Research Institute, Kasauli, with effect from the forenoon of the 2nd June, 1978, in a temporary capacity and until further orders.

S. L. KUTHIALA
Deputy Director Administration (O&M)

New Delhi, the 10th July 1978

F. No. A. 12026/7/78-SI.—The Directorate General of Health Services is pleased to appoint Shri M. V. Nerurkar, Office Superintendent, Govt. Medical Store Depot, Bombay to the post of Assistant Depot Manager (Group B non-gazetted) in the same depot with effect from the forenoon of 23-6-1978 and until further orders.

SANGAT SINGH
Deputy Director Admn. (Stores)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPTT. OF RURAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 4th July 1978

No. A.19025/61/78-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri Bhabani Prasad Pattnaik has been appointed to officiate as Assistant Marketing Officer (Group II) in this Directorate at Bombay with effect from the 31st May 1978 (F.N.), *until further orders.*

No. A.19025/75/78-A.III.—Shri Syed Tayyab Raza, Senior Inspector has been appointed to officiate as Assistant Marketing Officer (Group I), in the Directorate of Marketing and Inspection at Chirala with effect from 12-6-1978 (F.N.) on short-term basis for a period of three months or until regular arrangements are made, whichever is earlier.

V. P. CHAWLA
Director of Administration
for Agricultural Marketing Adviser

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

(PERSONNEL DIVISION)

Bombay-400 085, the 26th June 1978

No. PA/79(6)/78-Est.II/2336.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Nechikot Balakrishnan, a permanent U.D.C. and officiating Assistant in Bhabha Atomic Research Centre to officiate as an officer in the Assistant Administrative Officer's Grade (Rs. 650—960) in this Research Centre with effect from 20-6-1978 (FN) until further orders.

P. S. VENKATASUBRAMANIAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 5th July 1978

No. DPS/A/32011/3/76/Est./17407.—In continuation of this Directorate Notification of even number dated June 16, 1978, Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Karuvathil Raveendran, a temporary Assistant of this Directorate to officiate as an Assistant Personnel Officer on an *ad hoc* basis for a further period upto July 19, 1978, vice Shri K. P. Joseph, Assistant Personnel Officer appointed as Administrative Officer.

B. G. KULKARNI
Assistant Personnel Officer

(HEAVY WATER PROJECTS)

Bombay-400008, the 6th July 1978

No. HWPs/Estt/1/M-13/3115.—Officer-on-Special Duty Heavy Water Projects, appoints Shri Vasant Krishna Mahagaonkar, a permanent Upper Division Clerk of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Assistant Accountant of Heavy Water Projects (Central Office) to officiate as Assistant Accounts Officer in the same office, in a temporary capacity, on an *ad-hoc* basis, from April 17, 1978 to June 17, 1978 *vice* Shri A. M. Vaidya, Assistant Accounts Officer, granted leave.

K. SANKARANARAYANAN
Senior Administrative Officer

TARAPUR ATOMIC POWER STATION

Tapp, the 26th June 1978

No. TAPS/1/20(1)/76-R.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy appoints Shri A. P. Patil, a temporary Assistant Security Officer, Tarapur Atomic Power Station as Security Officer in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 an *ad-hoc* basis with effect from 15-6-1978 to 15-7-1978 *vice* Shri D. D. Banerjee, Security Officer proceeded on leave.

A. D. DESAI
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi-3, the 7th July 1978

No. E(1)03734.—On attaining the age of superannuation Shri K. Venkatachalam, Assistant Meteorologist, Office of the Director, Regional Meteorological Centre, Madras, India Meteorological Department retired from the Government service with effect from the afternoon of 31st May, 1978.

No. E(1)04159.—On attaining the age of superannuation Shri H. S. Roy Burman, Officiating Assistant Meteorologist, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi, India Meteorological Department retired from the Government service with effect from the afternoon of 31st May, 1978.

G. R. GUPTA
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 10th July 1978

No. A.38015/9/78-EC.—The Director General of Civil Aviation regrets to announce the death of Shri S. A. Xavier, Assistant Technical Officer, Aeronautical Communication Station, Calcutta Dum Dum on 2-4-1978.

(This Department Notification No. A.38015/9/78-EC. dated 20-5-1978 is hereby cancelled).

S. D. SHARMA
Dy. Director of Administration

New Delhi, the 6th July 1978

No. A.19014/147/72-E.I.—Shri S. Dayal, Technical Officer, Air Safety, Civil Aviation Department, New Delhi, died while in service on the 9th June, 1978.

No. A.31013/1/77-E.I.—The President has been pleased to appoint Shri R. V. Ranadive, Officiating Director, Regulation and information, Civil Aviation Deptt. in a substantive capacity in the same post with effect from 10th June, 1976.

P. C. JAIN
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 6th July 1978

No. A.32013/3/78-EA.—The President has been pleased to appoint Shri K. Gopal, Senior Aerodrome Officer to the post of Regional Controller of Aerodromes, Delhi Region, New Delhi with effect from the 26th May 1978 on purely *ad-hoc* basis, till Shri Jagdish Chandra who has been transferred to Hqrs. as Deputy Director (Tarrif Examination) resumes charge of the post of Regional Controller of Aerodromes.

V. V. JOHRI
Assistant Director of Administration

MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

New Delhi, the 30th June 1978

No. 78/W6/TK/2.—The Ministry of Railways (Railway Board) have approved of the transfer of the maintenance of the following portion of track from the South Central Railway to the Central Railway alongwith all the connected assets :—

Track from Km. 134.25 to 135.00 between Balharshah and Manikgarh stations on Balharshah-Kazipet Section. The inter-Railway boundary point would now be Km. 135.00.

2. This adjustment has been made in the interest of proper maintenance of the railway track.

P. N. MOHILE
Secy., Railway Board and
Ex-officio Joint Secy.

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Office of the Director-General (Works)

New Delhi, the 1st July, 1978

No. 23/2/77-EC. II—The following Officers of Central Public Works Department on attaining the age of superannuation have retired from Government service on 30-6-1978 (A.N.) :—

Name	Present designation
1. Shri R. G. Gokhale	Chief Engineer (Civil) on deputation to B. P. E. as Adviser (Construction).
2. Shri E. K. Vishwanathan	Executive Engineer (Electrical), Madras Aviation Electrical Division, Madras.

The 3rd July 1978

No. 27-E/B(39)/73-ECII.—The President has been pleased to accept the notice of voluntary retirement of Shri K. S. Balasubramaniam, Executive Engineer, Central Public Works Department, who was on deputation with the Director General, All India Radio (Civil Construction Wing), Samachar Bhawan, Parliament Street, New Delhi and to permit him to retire from Service with effect from the 22nd June, 1978 A.N.

S. S. P. RAU
Dy. Director of Admn.
for Director General Works

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110022, the 4th July 1978

No. 2/178/73-Adm.II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints Shri G. C. Joshi, Supervisor to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in an officiating capacity w.ef. 25-5-78 (forenoon) until further orders

M. C. JOSHI
Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
COMPANY LAW BOARD
(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

Gwalior, the 5th July 1978

No. 916/Liq/3625.—Whereas M/S Trust Association of Christian Institutions Raipur is being wound up;

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no Liquidator is acting and that the Statement of Affairs required to be made by the liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the Companies Act, 1956, (1 of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of M/S Trust Association of Christian Institutions will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the Company will be dissolved.

S. K. SAXENA
Registrar of Companies,
Madhya Pradesh

In the Matter of Companies Act, 1956 and of East India Satsang Stores Private Limited

Patna, the 4th July 1978

No. (133)3/560/77-78/2491.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the East India Satsang Stores Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Bokaro Gear Industries Private Limited

Patna, the 4th July 1978

No. (1215)560/77-78/2494.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Sec. 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Bokaro Gear Industries Private

Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. BANERJEE
Registrar of Companies, Bihar

In the matter of Companies Act, 1956 and of Foot Prints Private Limited

Kanpur, the 5th July 1978

No. 6737/3537-LC.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Foot Prints Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. NARAYANAN
Registrar of Companies
Uttar Pradesh

In the Matter of Companies Act 1 of 1956 and In the Matter of M/s Goalondo Ice Co. Limited (In Liqn)

Calcutta, the 7th July 1978

No. L/F/968/H-D(1804).—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act 1 of 1956 that an order for winding up of the above-named company was made by the Hon'ble High Court, Calcutta on 29-1-1976 and the Official Liquidator High, Court, Calcutta has been appointed the Official Liquidator.

In the Matter of Companies Act 1 of 1956 and In the Matter of M/s. National Metal Industries Limited (In Liqn)

Calcutta, the 7th July 1978

No. L/7130/H-D(1823).—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act 1 of 1956 that an order for winding up of the above-named company was made by the Hon'ble High Court, Calcutta on 17-6-1976 and the Official Liquidator, High Court, Calcutta has been appointed the Official Liquidator.

N. N. MOULIK
Assistant Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Alloy and Special Steel Products Limited

Bangalore, the 7th July 1978

No. 3164/560/78.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alloy and Special Steel Products Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. N. GUHA
Registrar of Companies,
Karnataka

INCOME TAX DEPARTMENT (CENTRAL) BOMBAY

Bombay-400020, the 28th March 1978

No. R-17/77-78.—Following is the list of assessees (i) being Individuals or Hindu Undivided Families, who have been assessed on an income of more than 2 lakhs of Rupees and (ii) being Firms, Companies or other Association of Persons, who have been assessed on an income of more than 10 lakhs of Rupees, during the Financial year 1976-77, wherein the first appeal has either been disposed of or the time for presenting the first appeal has expired without an appeal having been presented, indicating : (i) Status 'I' for Individual, 'HUF' for Hindu Undivided Family, 'C' for Company, 'F' for Registered Firm, (ii) Assessment year, (iii) Figures of income returned, (iv) Income assessed, (v) Tax payable by the assessee inclusive of interest and charged (vi) Tax paid by the assessee inclusive of interest charged.

SCHEDULE—I

1. Shri Agarwal Satyanarain Bishwanath, 35/39, Mirza Street, Bombay. (i) I, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 24,000, (iv) Rs. 4,66,000, (v) Rs. 4,11,000, (vi) NIL.

2. Shri Abba Issa Abdul Gani, Nawab Manzil, 107, Janjikar Street, Bombay. (i) I, (ii) 1970-71, (iii) Rs. 8,000, (iv) Rs. 12,20,000, (v) Rs. 14,74,260, (vi) NIL.

3. Shri Bawazi Abdul R. Abdul R., 20, Tardeo, A. C. Market, Bombay. (i) I, (ii) 1973-74, (iii) Return of income not filed, (iv) Rs. 2,00,000, (v) Rs. 1,75,170, (vi) NIL.

4. Shri Bhatia I. H., 101, Commerce House, Medows Street, Bombay. (i) I, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 5,68,394, (iv) Rs. 9,78,827, (v) Rs. 9,41,750, (vi) Rs. 9,35,649.

5. Smt. Jyotsna Vikramsinh—L/h of late P. Vikramsinh Shoorji, Vallabhdas, Cutch Castle, 4th floor, Opera house, Bombay. (i) I, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 3,26,020, (iv) Rs. 4,90,635, (v) Rs. 4,30,237, (vi) NIL. (ii) 1975-76, (iii) Rs. 1,89,470, (iv) Rs. 2,24,310, (v) Rs. 1,60,199, (vi) NIL.

6. Shri Kamani H. R., Kamani Chambers, 32, Nicol Road, Bombay, (i) I, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 1,24,290, (iv) Rs. 2,08,750, (v) Rs. 1,60,354, (vi) Rs. 79,631.

7. Shri Kapadia Kantilal Maganlal, Nishant, Linking Road, Khar, Bombay. (i) I, (ii) 1962-63, (iii) Rs. 31,400, (iv) Rs. 5,36,900, (v) Rs. 4,18,361, (vi) Rs. 4,18,361. (ii) 1963-64, (iii) Rs. 31,066, (iv) Rs. 3,15,570, (v) Rs. 2,40,443, (vi) Rs. 1,54,691.

8. Smt. Karim Begumbi N., 61/1 Baitul Sirur, Warden Road, Bombay. (i) I, (ii) 1969-70, (iii) Return of income not filed, (iv) Rs. 8,00,000, (v) Rs. 9,93,972, (vi) NIL.

9. Shri Karim Nasurddin Abdul 61/1 Baitul Sirur, Warden Road, Bombay. (i) I, (ii) 1970-71, (iii) Rs. 59,000, (iv) Rs. 3,63,000, (v) Rs. 4,68,807, (vi) Rs. 42,457. (ii) 1974-75, (iii) Return of income not filed, (iv) Rs. 4,10,000, (v) Rs. 5,85,609, (vi) NIL.

10. Shri Patel J. V., Mewan, 40-A, Peddar Road, Bombay. (i) I, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 1,54,464, (iv) Rs. 2,87,487, (v) Rs. 2,29,425, (vi) Rs. 1,35,201.

11. Smt. Patel Leelaben M., 67-C, Pradeep Kunj, Walkeshwar, Bombay. (i) I, (ii) 1969-70, (iii) Rs. 2,65,820, (iv) Rs. 2,69,210, (v) Rs. 1,83,335, (vi) Rs. 1,83,335. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 1,86,902, (iv) Rs. 2,74,810, (v) Rs. 3,07,963, (vi) Rs. 1,01,721. (ii) 1975-76, (iii) Rs. 12,83,798, (iv) Rs. 13,14,410, (v) Rs. 10,12,572, (vi) Rs. 9,14,773.

12. Shri Rupani J. B., 184, Shaikh Memon Street, Bombay. (i) I, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 2,42,270, (iv) Rs. 2,53,010, (v) Rs. 82,909, (vi) Rs. 81,880.

13. H.U.F. of late H. H. Sir J. M. Scindia, Neville House, Ballard Estate, Bombay. (i) HUF, (ii) 1973-74, (iii) NIL, (iv) Rs. 6,09,045, (v) Rs. 3,04,380, (vi) Rs. 3,04,380.

14. Mrs. Scindia Vijaya Raje,, Neville House, Ballard Estate, Bombay. (i) I, (ii) 1971-72, (iii) Rs. 1,41,774, (iv) Rs. 3,60,890, (v) Rs. 2,84,002, (vi) Rs. 1,02,889. (ii) 1973-74, (iii) Rs. 1,31,037, (iv) Rs. 3,55,108, (v) Rs. 3,67,168, (vi) Rs. 1,68,958.

15. Shri Shah D. N., Krishna Niwas, 212, Walkeshwar Road, Bombay. (i) I, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 17,500, (iv) Rs. 3,15,000, (v) Rs. 3,17,144, inclusive of interest charged, (vi) NIL.

16. Shri Sharma M. L., 61-61A, Abdul Rehman Street, Bombay. (i) I, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 41,154, (iv) Rs. 6,35,470, (v) Rs. 7,84, 309, (vi) NIL. (ii) 1975-76, (iii) Return of income not filed, (iv) Rs. 3,96,130, (v) Rs. 3,56,972, (vi) NIL.

17. Shri Shoorji Dilip Vallabhdas, Executor of the Estate of late (Smt.) Jayalaxmi, Cutch Castle, 4th floor, Opera house, Bombay. (i) I, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 4,04,300, (iv) Rs. 5,40,804, (v) Rs. 5,03,427, (vi) NIL.

18. Shri Shoorji Pratap Vallabhdas, Cutch Castle, 4th floor, Opera house, Bombay. (i) I, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 3,48,830, (iv) Rs. 5,10,912, (v) Rs. 4,27,882, (vi) Rs. 5,874, (ii) 1975-76, (iii) Rs. 2,05,820, (iv) Rs. 2,46,363, (v) Rs. 1,57,443, (vi) NIL.

19. Shri Shoorji Dilip Vallabhdas, Cutch Castle, 4th floor, Opera House, Bombay. (i) I, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 3,54,320, (iv) Rs. 5,15,109, (v) Rs. 4,34,234, (vi) Rs. 49,311. (ii) 1975-76, (iii) Rs. 2,27,750, (iv) Rs. 2,64,150, (v) Rs. 1,72,225, (vi) Rs. 25,000.

SCHEDULE—II

1. M/s. Amartara Pvt. Ltd., Saki Vihar Road, Pawai, Bombay. (i) I, (ii) 1967-68, (iii) Rs. 24,64,713, (iv) Rs. 25,54,520, (v) Rs. 14,82,712, (vi) Rs. 14,82,712, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 11,36,160, (iv) Rs. 11,12,840, (v) Rs. 6,31,431, (vi) Rs. 6,31,431. (ii) 1973-74, (iii) Rs. 19,25,110, (iv) Rs. 19,65,380, (v) Rs. 11,48,591, (vi) Rs. 11,48,591.

2. M/s. Bajaj Auto Ltd., Dr. Annie Besant Road, Bombay. (i) C, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 2,33,88,970, (iv) Rs. 2,74,10,710, (v) Rs. 1,57,13,347, (vi) Rs. 1,47,77,677.

3. M/s. Bralco Metals Industries P. Ltd., Gupta Mills Estate, Reay Road, Bombay. (i) C, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 11,48,750, (iv) Rs. 11,50,107, (v) Rs. 7,20,393, (vi) Rs. 7,20,393.

4. M/s. Cable Corporation of India Ltd., Laxmi Building, 6, S. V. Marg, Bombay. (i) C, (ii) 1965-66, (iii) Rs. 1,48,44,261, (iv) Rs. 1,48,61,900, (v) Rs. 57,59,558, (vi) Rs. 57,59,558, (ii) 1966-67, (iii) Rs. 1,60,06,298, (iv) Rs. 1,60,46,660, (v) Rs. 88,42,874, (vi) Rs. 88,42,874. (ii) 1973-74, (iii) Rs. 72,76,450, (iv) Rs. 81,35,090, (v) Rs. 46,80,563, (vi) 46,80,563. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 37,06,300, (iv) Rs. 38,52,610, (v) Rs. 21,86,725, (vi) 21,86,725.

5. M/s. Indabrator Ltd., N.S.E. Estate, Goregaon (E), Bombay. (i) C, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 17,63,990, (iv) Rs. 18,72,270, (v) Rs. 11,14,116, (vi) Rs. 11,14,116.

6. M/s. Kamani Metals & Alloys Ltd., Kamani Chambers, 32, Nicol Road, Bombay. (i) C, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 40,09,117, (iv) Rs. 42,26,656, (v) Rs. 26,10,294, (vi) Rs. 25,82,753.

7. M/s. Kamani Metallic Oxides Ltd., Kamani Chambers, 32, Nicol Road, Bombay. (i) C, (ii) 1971-72, (iii) Rs. 17,72,430, (iv) Rs. 17,89,262, (v) Rs. 10,25,200, (vi) Rs. 10,13,680.

8. M/s. Kamani Tubes Pvt. Ltd., Kamani Chambers, 32, Nicol Road, Bombay. (i) C, (ii) 1971-72 (iii) Rs. 20,76,630, (iv) Rs. 22,59,644, (v) Rs. 13,05,786, (vi) Rs. 12,96,206. (ii) 1973-74, (iii) Rs. 64,41,660, (iv) Rs. 74,14,685, (v) Rs. 46,18,752, (vi) Rs. 46,18,752.

9. M/s. Mohanlal Raichand & Sons, 311, Mehta Bhavan, 5th floor, Charni Road, Bombay, (i) F, (ii) 1969-70, (iii) Rs. 10,39,060, (iv) Rs. 10,39,060, (v) Rs. 2,57,812, (vi) Rs. 2,57,812.

10. M/s. Mukund Iron & Steel Works, Kurla Bombay. (i) C, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 2,03,63,170, (iv) Rs. 2.87,98,730, (v) 1,63,99,550, (vi) Rs. 1,47,22,954.

11. M/s. New Standard Engineering Co. Ltd., N.S.E. Estate, Goregaon (E), Bombay. (i) C, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 16,86,947, (iv) Rs. 17,91,000, (v) Rs. 10,23,767, (vi) Rs. 10,23,767.

12. M/s. Piramal Spg. & Wvg. Mills Ltd., Army & Navy Building, M. G. Road, Bombay. (i) C, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 38,69,000, (iv) Rs. 36,32,000, (v) Rs. 22,35,584, (vi) Rs. 22,35,584.

13. M/s. Shreeniwas Cotton Mills Ltd. Shreeniwas House, Hazarimal Somani Marg, Fort, Bombay, (i) C, (ii) 1970-71, (iii) Rs. 15,02,770, (iv) Rs. 15,10,530, (v) Rs. 8,30,792, (vi) Rs. 8,30,792.

14. The West Coast Paper Mills Ltd., Shreeniwas House, Hazarimal Somani Marg, Fort, Bombay. (i) C, (ii) 1970-71, (iii) Rs. 1,24,60,247, (vi) Rs. 1,25,01,320, (v) Rs. 68,73,958, (vi) Rs. 68,73,958.

15. The Western India Spg. & Mfg. Co. Ltd., (In liquidation), C/o. Official Liquidator, 5th floor, Bank of India Building, M.G. Road, Bombay. (i) C, (ii) 1973-74, (iii) NIL, (iv) Rs. 29,81,240, (v) Rs. 17,46,917, (vi) NIL. (ii) 1974-75, (iii) (Loss) Rs. 38,43,020, (iv) Rs. 1,14,87,370, (v) Rs. 84,91,450, (vi) NIL.

No. R. 18/WT/1977-78.—The Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to publish the names and other particulars relating to the assessees who have been assessed under Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) on the net wealth exceeding Rs. 10 lakhs during the Financial year 1976-77 and has therefore in exercise of the powers conferred by Section 42A of the said Act, and all other powers enabling it in this behalf, directed that the names and other particulars of the assessees aforesaid be published, wherein the first appeal has either been disposed of or the time for presenting the first appeal has expired where an appeal has not been presented, indicating (i) Status 'I' for Individual, 'HUF' for Hindu Undivided Family, (ii) Assessment year, (iii) figures of wealth returned, (iv) wealth assessed, (v) wealth-tax payable by the assessee and (vi) wealth-tax paid by the assessee, the same are hereby published :

1. Shri Bhatia I.H., 101, Commerce House, Nagindas Master Road, Bombay. (i) I, (ii) 1968-69, (iii) Rs. 1090,256, (iv) Rs. 18,63,000, (v) Rs. 24,300, (vi) Rs. 24,300. (ii) 1969-70, (iii) Rs. 9,92,372, (iv) Rs. 11,27,237, (v) Rs. 10,181, (vi) Rs. 10,181. (ii) 1970-71, (iii) Rs. 9,68,866, (iv) Rs. 17,96,560, (v) Rs. 26,914, (vi) Rs. 26,914. (ii) 1971-72, (iii) Rs. 8,95,351, (iv) Rs. 16,20,169, (v) Rs. 61,229, (vi) Rs. 61,229. (ii) 1972-73, (iii) Rs. 7,60,620, (iv) Rs. 15,54,705, (v) Rs. 34,376, (vi) Rs. 34,376, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 7,26,804, (iv) Rs. 18,19,755, (v) Rs. 55,580, (vi) Rs. 55,580. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 7,31,834, (iv) Rs. 14,77,870, (v) Rs. 29,300, (vi) Rs. 29,300.

2. Smt. Bhatia Mohini I., 101, Commerce House, Nagindas Master Road, Bombay. (i) I, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 14,06,596, (iv) Rs. 18,99,615, (v) Rs. 61,960, (vi) Rs. 61,960. (ii) 1971-72, (iii) Rs. 12,60,148. (iv) Rs. 19,51,270, (v) Rs. 47,051, (vi) Rs. 47,051. (ii) 1973-74, (iii) Rs. 12,80,807, (iv) Rs. 18,33,859, (v) Rs. 56,712, (vi) Rs. 56,712. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 12,98,870, (iv) Rs. 19,18,389, (v) Rs. 63,488, (vi) Rs. 63,488, (ii) 1975-76, (iii) Rs. 12,38,940, (iv) Rs. 19,99,676, (v) Rs. 79,970, (vi) Rs. 79,970.

3. Shri Bhatia Prakash I., 101, Commerce House, Nagindas Master Road, Bombay. (i) I, (ii) 1971-72, (iii) Rs. 9,72,898, (iv) Rs. 11,93,185, (v) Rs. 19,795, (vi) Rs. 19,795. (ii) 1972-73, (iii) Rs. 8,77,081, (iv) Rs. 12,25,971, (v) Rs. 21,780, (vi) Rs. 21,780.

4. Smt. Jalan Bhagwanidevi, 139, Medows Street, Fort, Bombay, (i) I, (ii) 1967-68, (iii) Rs. 1,14,743, (iv) Rs. 10,70,966, (v) Rs. 8,419, (vi) Rs. 74. (ii) 1968-69, (iii) Rs. 98,511, (iv) Rs. 12,03,746, (v) Rs. 11,075, (vi) NIL. (ii) 1969-70, (iii) Rs. 1,03,550, (iv) Rs. 11,72,736, (v) Rs. 11,318, (vi) Rs. 18. (ii) 1970-71, (iii) Rs. 1,74,410, (iv) Rs. 12,12,707, (v) Rs. 12,318, (vi) Rs. 373.

5. Smt. Jalan Geetadevi, 139, Medows Street, Fort, Bombay, (i) I, (ii) 1963-64, (iii) Rs. 4,50,573, (iv) Rs. 10,16,413, (v) Rs. 8,287, (vi) NIL. (ii) 1965-66, (iii) Rs. 2,36,211, (iv) Rs. 10,12,353, (v) Rs. 7,247, (vi) NIL. (ii) 1967-68, (iii) Rs. 2,67,109, (iv) Rs. 10,46,471, (v) Rs. 7,929, (vi) NIL. (ii) 1968-69, (iii) Rs. 1,214, (iv) Rs. 11,69,020, (v) Rs. 10,380, (vi) NIL. (ii) 1969-70, (iii) Rs. 23,589 (Deficit), (iv) Rs. 11,42,829, (v) Rs. 10,521, (vi) NIL. (ii) 1970-71, (iii) Rs. 39,729 (Deficit), (iv) Rs. 10,32,878, (v) Rs. 7,822, (vi) NIL.

6. Smt. Jalan Ginnidevi, 139, Medows Street, Fort, Bombay. (i) I, (ii) 1966-67, (iii) Rs. 1,39,180, (iv) Rs. 10,06,754, (v) Rs. 7,135, (vi) Rs. 525. (ii) 1967-68, (iii) Rs. 1,48,495, (iv) Rs. 11,12,496, (v) Rs. 9,249, (vi) Rs. 243. (ii) 1968-69, (iii) Rs. 1,29,131, (iv) Rs. 12,52,181, (v) Rs. 12,043, (vi) Rs. 146. (ii) 1969-70, (iii) Rs. 1,53,082, (iv) Rs. 12,37,006, (v) Rs. 12,926, (vi) Rs. 266. (ii) 1970-71, (iii) Rs. 1,92,014, (iv) Rs. 12,39,189, (v) Rs. 12,979 (vi) Rs. 461.

7. Smt. Jalan Jankidevi, 139, Medows Street, ort, Bombay. (i) I, (ii) 1967-68, (iii) Rs. 71,736, (iv) Rs. 10,07,951, (v) Rs. 7,159, (vi) NIL. (ii) 1968-69, (iii) Rs. 65,011, (iv) Rs. 11,38,045, (v) Rs. 9,761, (vi) NIL. (ii) 1969-70, (iii) Rs. 91,280, (iv) Rs. 11,50,146, (v) Rs. 10,754, (vi) NIL. (ii) 1970-71, (iii) Rs. 68,415, (iv) Rs. 10,19,036, (v) Rs. 7,476, (vi) NIL.

8. Smt. Jalan Kuntidevi, 139, Medows Street, Fort, Bombay. (i) I, (ii) 1969-70, (iii) Rs. 6,586, (Deficit), (iv) Rs. 10,63,703, (v) Rs. 8,593, (vi) NIL. (ii) 1968-69, (iii) Rs. 34,865, (iv) Rs. 13,77,203, (v) Rs. 14,544, (vi) NIL.

9. Smt. Jalan Shardadevi, 139, Medows Street, Fort, Bombay. (i) I, (ii) 1966-67, (iii) Rs. 1,98,637, (iv) Rs. 10,09,700, (v) Rs. 7,196, (vi) NIL. (ii) 1967-68, (iii) Rs. 1,21 107, (iv) Rs. 11,05,981, (v) Rs. 9,120, (vi) NIL. (ii) 1968-69, (iii) Rs. 1,12,972, (iv) Rs. 12,04,594, (v) Rs. 11,092. (vi) NIL. (ii) 1969-70, (iii) Rs. 1,12,221, (iv) Rs. 12,15,785, (v) Rs. 12,395, (vi) NIL. (ii) 1970-71, (iii) Rs. 1,67,068, (iv) Rs. 12,33,087, (v) Rs. 12,827, (vi) NIL.

10. Shri Kamani H. R., Kamani Chambers, 32, Nicol Road, Bombay. (i) HUF, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 12,69,600, (iv) Rs. 13,67,670, (v) Rs. 26,030, (vi) Rs. 24,824, (ii) 1974-75 (iii) 10,95,700, (iv) Rs. 13,45,881, (v) Rs. 52,670, (vi) Rs. 38,749.

11. Shri Kamani Navin R., Kamani Chambers, 32, Nicol Road, Bombay. (i) HUF, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 12,03,400, (iv) Rs. 12,97.775, (v) Rs. 23,933, (vi) Rs. 22,677. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 10,42,000, (iv) Rs. 12,90,454, (v) Rs. 48,236, (vi) Rs. 28,364.

12. Shri Kamani Navnit R., Kamani Chambers, 32, Nicol Road Bombay. (i) HUF, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 12,64,400, (iv) Rs. 13,62,694, (v) Rs. 25,881, (vi) Rs. 24,160, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 10,88,200. (iv) Rs. 13,34,602, (v) Rs. 51,768, (vi) Rs. 32,055.

13. Shri Kamani P. R., Kamani Chambers, 32, Nicol Road, Bombay. (i) HUF, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 12,55,400, (iv) Rs. 13,37,153, (v) Rs. 25,115, (vi) Rs. 23,854. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 10,52,600, (iv) Rs. 12,89,008, (v) Rs. 48,120, (vi) Rs. 29,209.

14. Shri Kamani R. H., Kamani Chambers, 32, Nicol Road, Bombay. (i) HUF, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 17,56,000, (iv) Rs. 18,67,820, (v) Rs. 59,426, (vi) Rs. 52,981. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 15,48,400, (iv) Rs. 18,87,202. (v) Rs. 95,976, (vi) Rs. 68,870.

15. Shri Kamani R. R., Kamani Chambers, 32, Nicol Road, Bombay. (i) HUF, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 12,74,300, (iv) Rs. 13,73,305, (v) Rs. 26,199, (vi) Rs. 25,119. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 11,12,000, (iv) Rs. 13,57,394, (v) Rs. 53,592, (vi) Rs. 37,020.

16. Shri Maganlal C. Kapadia, 391, Linking Road, Khar, Bombay. (i) I, (ii) 1970-71, (iii) Rs. 8,08,660, (iv) Rs. 10,18,120, (v) Rs. 7,453, (vi) NIL.

17. Shri Manuel Mendis, 15, Hughes Road, Bombay. (i) I, (ii) 1971-72, (iii) Rs. 14,11,915, (iv) Rs. 18,36,430, (v) Rs. 40,824, (vi) Rs. 40,824. (ii) 1972-73, (iii) Rs. 14,41,484, (iv) Rs. 15,16,860, (v) Rs. 29,619, (vi) Rs. 29,619.

18. Shri Shah M. I., 25-B, Podar Chambers, S. Brelvi Road, Bombay. (i) I, (ii) 1971-72, (iii) Rs. 1,29,889 (Deficit), (iv) Rs. 10,77,816, (v) Rs. 16,124, (vi) NIL.

19. Shri Shah Samir P., C/o. M/s. Indo French Time Ind. Ltd., 12, Udyognagar, S. V. Road, Goregaon (W), Bombay, (i) I, (ii) 1971-72, (iii) Rs. 25,40,070, (iv) Rs. 25,43,880, (v) Rs. 76,200. (vi) Rs. 76,200. (ii) 1972-73, (iii) Rs. 24,89,162, (iv) Rs. 24,89,177, (v) Rs. 1,09,138, (vi) Rs. 71,067. (ii) 1973-74, (iii) Rs. 24,84,279, (iv) Rs. 24,83,570, (v) Rs. 1,08,690, (vi) NIL. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 25,68,790, (iv) Rs. 24,61,850, (v) Rs. 1,06, 940, (vi) NIL. (Protective assessments).

No. R. 18/77-78.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to publish the names and other particulars relating to the assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5,000/- was imposed during the period from 1-4-1976 to 31-3-1977 :

(a) for concealment of income or for furnishing estimate of advance-tax payable by them which they knew or had reasons to believe to be untrue,

(b) for failure to file returns of income or for late filing thereof or for failure to produce books of accounts,

(c) for non-payment of tax;

and has therefore, in exercise of the powers conferred by section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), directed that the names and other particulars of the assessees aforesaid be published, the same are hereby published in Schedules-I, II and III, hereto annexed, indicating (i) Status 'I' for Individual, 'C' for Company, 'F' for Registered firm, 'URF' for Un-registered firm, (ii) Assessment year and (iii) amount of penalty imposed :

Schedule-I.—Assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5,000/- was imposed for concealment of income or for furnishing estimates of Advance-tax payable by them which they knew or had reasons to believe to be untrue during the period from 1-4-1976 to 31-3-1977, where no appeal was presented within the time allowed for the same or where the appeal against the penalty imposed has been filed, the matter has become final.

1. M/s. Ajay Plastics, C/o. M/s. Laxmi Bangle Industries. 6th Carter Road, Borivali (E), Bombay. (i) F, (ii) 1971-72 (iii) Rs. 2,69,178. Names of Partners (1) Shri C. P. Shah, (2) Shri H. P. Shah and (3) Shri S. B. Shah.

2. Shri Charania Feroz Ismail, 47 Pydhonie Road, Khadak, Bombay. (i) I, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 39,270.

3. M/s. Kalol Bone Mills, 47, Pydhonie Road, Khadak, Bombay, (i) F, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 75,500. Names of Partners : (1) Shri Ferozali Ismailbhai, (2) Shri Ismailbhai Jamalbhai and (3) Shri Shokatali Ismailbhai.

4. Shri Kapadia Babubhai Laljibhai, Dane's House, Inkalab Lane, Gulab Takara Amboli Navrangpura, Ahmebadad. (i) I, (ii) 1970-71, (iii) Rs. 11,000.

5. Shri Karim Nasruddin, 61/1, Baitul Sirur, Warden Road, Bombay. (i) I, (ii) 1971-72, (iii) Rs. 1,19,030. (ii) 1972-73, (iii) Rs. 31,800.

6. M/s. Maganlal Chaganlal Pvt. Ltd., Govanpada Village, Corridor Road, Chembur, Bombay. (i) C, (ii) 1967-68, (iii) Rs. 1,00,000. Name of the Director : Shri Kantilal M. Kapadia.

7. Master Patel Ashok Kumar M., through Natural Gardian (Mother) Smt. Patel Leelaben M.67C Pradeep Kunj, Walkeshwar Road, Bombay. (i) I, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 12,105.

8. M/s. Ratlam Bone & Fertilizer Co., 47, Pydhonie Road, Khadak, Bombay. (i) F, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 42,500. Names of the Partners : (1) Shri Ferozali Ismailbhai, (2) Shri Karimbhai Ismailbhai and (3) Shri Shokatali Ismailbhai.

9. M/s. Stretch Fibre India Ltd., 20, Hains Road, Mahalaxmi, Bombay. (i) C, (ii) 1968-69, (iii) Rs. 7,163.

10. M/s. Stretchlon Pvt. Ltd., Bombay Cotton Mills Estate, Dattaram Lad Path, Bombay. (i) C, (ii) 1965-66, (iii) Rs. 82,200. (ii) 1966-67, (iii) Rs. 10,300. Name of the Director : Shri Harkishore Jain.

Schedule-II.—Assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5,000/- was imposed for failure to file returns of income or for late filing thereof or for failure to produce books of accounts during the period from 1-4-1976 to 31-3-1977, where no appeal was presented within the time allowed for the same or where the appeal against the penalty imposed has been filed, the matter has become final.

1. Shri Ashraf-ur-Rehman Azimullah, Rajab Mahal, 144, Queens Road, Bombay. (i) I, (ii) 1971-72, (iii) Rs. 17,960. (ii) 1972-73, (iii) Rs. 10,460.

2. Shri Charania Feroz Ismail, 47, Pydhonie Road, Khadak, Bombay. (i) I, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 6,472.

3. M/s. Kalol Bone Mills, 47, Pydhonie Road, Khadak, Bombay. (i) F, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 6,695.

4. M/s. Khemka & Co. (Agencies) Pvt. Ltd., 2D, Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road, Bombay. (i) C, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 12,460. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 7,400.

5. M/s. Mahendra Electric Works, 25-B, Podar Chambers, S. A. Brelvi Road, Bombay. (i) F, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 10,640.

6. M/s. Medichen Laboratories (P) Ltd., Beach View, Chowpatty Sea Face, Bombay. (i) C, (ii) 1964-65, (iii) Rs. 7,935. (ii) 1965-66, (iii) Rs. 12,958. (ii) 1969-70, (iii) Rs. 11,970. (ii) 1971-72, (iii) Rs. 33,656 U/s. 271 (1)(a). (ii) 1971-72, (iii) Rs. 11,293 U/s. 271(1)(b). (ii) 1972-73, (iii) Rs. 23,188. (ii) 1973-74, (iii) Rs. 13,224. (ii) 1974-75, (iii) Rs. 6,512.

7. M/s. Rajputana Textiles Agency Pvt. Ltd., 346, Hornby Road, Bombay. (i) C, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 16,656, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 17,062, (ii) 1974-75, (iii) Rs. 5,460.

8. M/s. Reliable Traders, 47, Pydhonie Road, Khadak, Bombay. (i) URF, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 8,83,637.

9. M/s. Saraswati Commercial Trading Co. (P) Ltd., C/o. Official Liquidator Bank of India Building, M.G. Road, Bombay. (i) C, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 8,328.

10. M/s. Stretch Fibre India Ltd., 20 Hains Road, Mahalaxmi, Bombay. (i) C, (ii) 1968-69, (iii) Rs. 21,013.

Schedule-III.—Assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5,000/- was imposed for non payment of tax during the period from 1-4-1976 to 31-3-1977 where no appeal was presented wthin the the time allowed for the same or where appeal against the penalty imposed has been filed, the matter has become final.

1. Smt. Jyotsna Vikramsinh, L/H of late (Shri Vikramsinh Shoorji Vallabhdas, Cutch Castle, 4th floor, Opera House, Bombay. (i) I, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 27,200.

2. Shri Shoorji Dilip Vallabhdas, Cutch Castle, 4th floor, Opera House, Bombay. (i) I, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 27,900.

3. Shri Shoorji Dilip Vallabhdas, Executor of the Estate of late (Smt.) Jayalaxmi, Cutch Castle, 4th floor, Opera House, Bombay. (i) I, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 6,800. (ii) 1973-74, (iii) Rs. 34,000.

4. Shri Shoorji Pratap Vallabhdas, Cutch Castle, 4th floor, Opera House, Bombay. (i) I, (ii) 1973-74, (iii) Rs. 27,300.

5. M/s. Universal Textile Agencies, Cutch Castle, 4th floor, Opera House, Bombay. (i) F, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 8,700. (ii) 1973-74, (iii) Rs. 14,900.

J. C. LUTHER,
Commissioner of Income Tax,
Central, Bombay

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, DHARWAR-4.

Dharwar-4, the 7th July 1978

Notice No. 217/78.79/Acq.—Whereas, I, D. C. RAJAGOPALAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Rang, Dharwar,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 265 situated at Raia Village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Margao, Under document No. 987 on 29-11-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilities the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Maria Julia De Abreu Lobo Silva, by power of attorney holder Dr. Eurico Das Dores Santana Da Silva, House No. 8, Opposite Damodar Commerce College, Borda, Margao.

(Transferor)

(2) Shri Alexandra Menino Fernandes, 4th Ward Colva, Salcete (Goa).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Immovable property situated at Raia village known by the Name of "Faial" or "Arlem" bearing No. 265 sub-division No. 1. land measuring 957 sq. metres.

D. C. RAJAGOPALAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar.

Date : 7-7-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th July 1978

Ref. No. Acq/1503-A/MRT/77-78/2075.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mawona on 19-10-77 for an apparent consideration which is, less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mahendra Singh s/o Lakh Raj R/o Vill. Khajuri Aleyarpur, Present Address : Vill. Rajpura, P.O. Kharkhauda, Teh. & Distt. Meerut.

(Transferor)

(2) Shri Sheo Dutt. Sharma S/o Bahadur Sharma, R/o Vill. Khajuri Aleyarpur, Parg, Kithaur Teh. Mawana Distt. Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 7 Bigha 2 Biswa 19 Biswansi situated at Vill. Khajuri Aleyarpur, Teh. Mawana, Distt. Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 60,000/-.

R. P. BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-7-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFIFCE OF THE INSPECTENG ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE; LUCKNOW

57 RAM TIRATH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th July 1978

Ref. No. 13-O/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Part of the House No. 578. Sahukara Bareilly situated at Bareilly

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Bareilly on 30-11-77

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sahu Jagdish Kumar Agarwal. (Transferor)

(2) Smt. Omwati w/o Kailash Narain. (Transferee)

(3) Seller as per 37 G. (Person in occupation of the property)

(4) Shri Kisan Lal Varshney & others. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House No. 578, Sahukara, Bareilly area—Aarazi 660 Sq. yards and all that description of the property which is mentioned in the Sale-Deed and Form 37-G No 5139 duly registered in the office of the Sub-Registrar Bareilly on 30-11-77.

A. S. BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date 13-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTION ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th July 1978

No. PR. No. 594. Acq.23-1006/19-7/77-78.—Whereas, I, D. C. GOEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable propertry, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
C.S. No. 1469, land and building (adm. 1015 sq. yds.)
situated at 58, Adarsh Society Athwa Lines, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat in Nov., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Thakorbhai Maganlal Desai, Adarsh Sahakari Gruh Mandali, Athwa Lines, Surat.

(Transferor)

(2) Gautamkumar Thakorbhai Desai, Power of Attorney Holder; Thakorbhai Maganlal Desai, Adarsh Shahkari Gruh Mandali, Athwa Lines, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property being land and building bearing C.S. No. 1469 admeasuring 1015 sq. yds. situated at 58, Adarsh Society, Athwa Lines, Surat as described in the sale-deed registered under No. 3042 by registering Officer Surat in the month of November, 1977.

D. C. GOEL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-7-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA,

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th July 1978

Ref. No. AP-1811.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Green Park Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in Nov., 1977
for an apparent consideraion which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Harbhajan Kaur D/o Ujagar Singh V. & P.O. Shankar Teh : Nakodar through (Sh. Ujagar Singh).
(Transferor)

(2) Major Rajinder Singh S/o Sh. Charan Singh Mandi Road, Kapurthala.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot situated in 8-A Green Park Jullundur as mentioned in the Registration Sale Deed No. 4832 of November, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-7-78
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th July 1978

Ref. No. AP-1812.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- anl bearing No. •
No. As per schedule situated at Basti Sheikh, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur in Nov., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly in the said instrument of transfer with the object ot—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons namely :—

(1) Sh. Santa Singh S/o Sadhu Singh Basti Sheikh, Jullundur.
(Transferor)

(2) Smt. Surinder Kaur W/o Jasbir Singh, 2. Sundershan Kaur W/o Lakhbir Singh, 3. Mohinder Kaur W/o Rajinder Singh R/o New Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House situated in Basti Sheikh, Jullundur as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5043 of November, 77 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-7-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th July 1978

Ref. No. AP-1813.—Whereas, I, B S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinaftre referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at New Jawahar Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in Nov., 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Hakim Singh S/o Jai Singh Sh. Amrit Singh S/o Hakim Singh 328-Adarsh Nagar, Jullundur. (Transferor)

(2) Smt. Asha Sharma W/o R. K. Sharma, Advocate 455-A, New Jawahar Nagar, Jullundur. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at New Jawahar Nagar, Jullundur as mentioned in the Registration Sale-Deed No. 5155 of November, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-7-78
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P. 257/BTI/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at V. Kot Shameer
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at
Bhatinda on Nov., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Gajjan Singh s/o Sh. Ruru Singh, R/o village Kot Shameer, Teh. Bhatinda.
(Transferor)

(2) Sh. Sajjan Singh s/o Sh. Waryam Singh, R/o village Jungwali, Teh. Bhatinda.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, with in 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 62 Kanals and 3 marlas in village Kot Shameer as mentioned in sale deed No. 4238 of Nov., 1977 registered with the SR. Bhatinda.

O. P. MADAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P. 258/FDK/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Faridkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Faridkot on Dec., 1977
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Waryam Singh s/o Sh. Malla Singh s/o Sh. Jawahar Singh, Village Rampur, Distt. Jind.
(Transferor)

(2) Shri Labh Singh s/o Sh. Kehar Singh s/o Shri Gurdit Singh, R/o Faridkot.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

52 Kanals and 19 marlas of agricultural land in Faridkot as mentioned in sale deed No. 2794 of Dec., 1977 registered with the S. R. Faridkot.

O. P. MADAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P. 259/FZR/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Guru Har Sahai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ferozepur on Dec., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) S/Shri Ajaib Singh, Suhel Singh ss/o Sh. Uttam Singh s/o Sh. Wasakha Singh, village Mothan Wala, Distt. Ferozepur.
(Transferor)

(2) Sh. Santosh Singh, Sh. Fauza Singh ss/o Sh. Sudagar Singh s/o Sh. Chanda Singh, village Mothan Wala.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 76 Kanals and 18 marlas situated in village Guru Har Sahai as mentioned in sale deed No. 1430 of Dec., 1977 registered with the S. R. Ferozepur.

O. P. MADAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P. 260/FZR/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Guru Har Sahai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ferozepur on Dec., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

14—176GI/78

(1) Sh. Bagicha Singh s/o Sh. Kehar Singh s/o Sh. Gurdit Singh, R/o Guru Har Sahai, Teh. Ferozepur.
(Transferor)

(2) M/s Chawala Motor Co., Jullundur, S/Sh. Surinder Kumar, Krishan Lal, Kashmiri Lal ss/o Sh. Maghi Mal s/o Sardari Lal, R/o Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 46 Kanals and 18 marlas in Guru Har Sahai as mentioned in sale deed No. 1461 of Dec., 1977 registered with the S. R. Ferozepur.

O. P. MADAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P 261/NWS/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at V. Palli Jhikki (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nawan Shehar on March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be diclosed by the transferee for the purposes of the Indian Iniome-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Mangal Singh s/o Sh. Bal Singh, vill. Palli Jhikki, Teh. Nawan Shehar.

(Transferor)

(2) Sh. Mohan Singh s/o Sh. Gurdit Singh & Sh. Sohan Singh, Lashkar Singh, Satnam Singh and Santokh Singh ss/o Sh. Sarwan Singh, vill. Palli Jhikki, Teh. Nawan Shehar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 20 Kanals and 18 marlas in village Palli Jhikki as mentioned in sale deed No. 4469 of March, 1978 registered with the S. R. Nawan Shehar.

O. P. MADAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P. 262/BTI/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at V. Jhanduwala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda on Dec., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gurdial Kaur d/o Sh. Sarwan Singh s/o Sh. Dharam Singh, R/o village Jhanduwala, Teh. Bhatinda (Near Goniana).
(Transferor)

(2) S/Sh. Santokh Singh, Balwinder Singh and Harjinder Singh, ss/o Sh. Jagjit Singh s/o Sh. Sarwan Singh, R/o village Jhanduwala (Near Goniana) Teh. Bhatinda.
(Transferee)

(3) As per S No 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 127 Kanals and 14 marlas in village Jhanduwala as mentioned in sale deed No. 4423 of Dec., 1977 registered with the S. R. Bhatinda

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978

Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P. 263/BTI/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at V. Jhanduwala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhatinda on Dec., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Guro d/o Sh. Sarwan Singh s/o Dharam Singh, R/o village Jhanduwala, (Near Goniana), Teh. Bhatinda.

(Transferor)

(2) S/Sh. Santokh Singh, Balwinder Singh and Harjinder Singh, ss/o Sh. Jagjit Singh s/o Sh. Sarwan Singh, R/o village Jhanduwala, Near Goniana, Teh. Bhatinda.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 127 Kanals and 15 marlas in village Jhanduwala as mentioned in sale deed No. 4422 of Dec., 1977 registered with the S. R. Bhatinda.

O. P. MADAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P. 264/KPR/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Kapurthala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala on Jan., 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sh. Mohan Lal, Sohan Lal, Hira Lal ss/o Sh. Kanshi Ram, Opposite D. C. Residence, Kapurthala.
(Transferor)

(2) Smt. Satya Rani w/o Sh. Ram Krishan, Opposite D. C. Residence, Kapurthala.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot measuring 30 marlas situated at Kapurthala as mentioned in sale deed No. 2592 of Jan., 1978 registered with the S. R. Kapurthala.

O. P. MADAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P.265/MGA/78-79.—Whereat, I, O. P. MADAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at
Village Indergarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Zira on November, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bachan Singh s/o Shri Mangal Singh s/o Shri Baghel Singh, R/o Village Indergarh, Teh. Zira. (Transferor)

(2) Shri Balraj Singh s/o Shri Balwant Singh S/o Shri Bachittar Singh, R/o Moga. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 34 Kanals and 15 marlas in village Indergarh as mentioned in sale deed No. 4216 of Nov., 1977 registered with the S.R. Zira.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Batinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P.266/MGA/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at
Village Indergarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Zira on November, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bachan Singh s/o Shri Mangal Singh s/o Shri Baghel Singh, R/o Village Indergarh, Teh. Zira.
(Transferor)

(2) Shri Balraj Singh s/o Shri Balwant Singh s/o Shri Bachittar Singh, R/o Moga.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 34 Kanals and 14 marlas in village Indergarh as mentioned in sale deed No. 4217 of Nov., 1977 registered with the S.R. Zira.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Batinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P.267/FZR/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at
Ferozepur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ferozepur on November, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lal Singh s/o Shri Sunder Singh, Smt. Vecro d/o Shri Sunder Singh s/o Shri Chattar Singh R/o Ferozepur City.
(Transferor)

(2) (1) Shri Mehtab Singh s/o Shri Santa Singh s/ Shri Ditta Singh and
(2) Shri Harbhajan Singh s/o Shri Atma Singh R/o Gobind Nagri, Ferozepur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 11 Kanals and 13½ marlas in Nizamudin as mentioned in sale deed No. 3686 of November, 1977 registered with the S. R. Ferozepur.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Bhatinda.

Date : 22-6-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P.268/I-ZR/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No
As per schedule situated at
V. Mansoor Deva
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ferozepur on November, 1977
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

15—176GI/78

(1) Shri Rikhi Ram s/o Shri Devi Chand, Shri Ved Vayas s/o Shri Hans Raj, Sirki Bazar, Ferozepur City.

(Transferor)

(2) S/Shri Sukhchain Singh, Jarnail Singh s/o Shri Mal Singh, Roshan Singh s/o Shri Rajinder Singh, Ferozepur City.

(Transferee)

(3) As per S. No 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later; :

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 46 Kanals and 6 marlas in village Mansoor Deva as mentioned in sale deed No. 3641 of November, 1977 registered with the S. R. Ferozepur.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Bhatinda

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P.269/MGA/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

As per schedule situated at
V. Wara Waryam Singh Wala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at

Zira on February, 1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid propery and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lachhman Singh S/o Shri Anokh Singh, R/o Village Wara Waryam Singh Wala.

(Transferor).

(2) Shri Baljinder Singh s/o Shri Karnail Singh S/o Shri Lachhman Singh and
(2) Shri Gurcharan Singh s/o Shri Mangal Singh S/o Shri Karnail Singh,
R/o Village Wara Waryam Singh Wala.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 94 Kanals and 12 marlas situated in village Wara Waryam Singh Wala as mentioned in sale deed No. 5472 of February, 1978 registered with the S.R. Zira.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P.270/FZR/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at
V. Chak Kala Singh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Guru Har Sahai on December, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mukhtiar Singh s/o Shri Lal Singh
S/o Shri Harnam Singh
Village Chak Kala Singh,
Teh. Guru Har Sahai.
(Transferor)

(2) Sh. Swaran Singh s/o Shri Darshan Singh
S/o Shri Phoola Singh,
Village Ladhu Wala Uttar, Teh. Fazilka.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 40 Kanals in village Chak Kala Singh as mentioned in sale deed No. 1291 of December, 1977 registered with the S.R. Guru Har Sahai.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the, 22nd June 1978

Rel. No. A.P.271/MGA/78-79.—Whereas, I, O. P Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market valu. exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at
Kot Ise Khan
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Zire on January, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Vijay Kumar s/o Shri Sat Parkash
S/o Shri Labhu Ram,
Self and Mukhtiaram Shri Balraj Kumar
S/o Shri Sat Parkash s/o Shri Labhu Ram,
Village Kot Ise Khan,
Teh. Zira.
(Transferor)

(2) Shri Baldev Singh s/o Shri Kehar Singh
S/o Shri Gurdit Singh,
R/o Village Galoti, Teh. Zira.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 27 Kanals and 16 marlas in village Kot Ise Khan as mentioned in sale deed No. 5224 of January, 1978 registered with the S.R. Zira.

O. P. MADAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Bhatinda.

Date : 22 6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. AP272/NWS/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
As per schedule situated at
Village Charan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Nawan Shehar on March 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Charan Kaur w/o Shri Asa Singh and Smt. Mohinder Kaur w/o Shri Bhagat Singh, R/o Village Bhagaran, Teh. Nawan Shehar, Distt. Hoshiarpur.
(Transferor)

(2) Shri Chanan Singh s/o Shri Darbara Singh and Smt. Mohinder Kaur w/o Shri Chanan Singh, R/o Village Charan, Teh. Nawan Shehar (Hoshiarpur).
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 63 Kanals and 11 marlas in village Charan as mentioned in sale deed No. 4515 of March 1978 registered with the S.R. Nawan Shehar.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the, 22nd June 1978

Ref. No. A.P.273/NS/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at
Village Rehon
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Nawan Shehar on March, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Birj Rani w/o Shri Harparkash,
R/o Village Rahon, Teh. Nawan Shehar.
(Transferor)

(2) Shri Shingara Singh s/o Sh. Siri Ram Singh
Village Jethu Muzena.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 63 Kanals and 8 Marlas in village Rahon as mentioned in sale deed No. 4563 of March, 1978 registered with the S.R. Nawan Shehar.

O. P. MADAN
Competent Authority)
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the, 22nd June 1978

Ref. No. A.P.274/FZR/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereunder referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Village Baghuwala (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Guru har Sahai on December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any monys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the follwing persons namely :—

(1) Shri Kuldip Raj, Advocate
S/o Shri Dewan Chand
S/o Shri Sunder Dass,
R/o Ferozepur City thruogh
Shri Ruldu Ram s/o Shri Tehal Singh,
Village Baghuwala, Teh. Ferozepur.
(Transferor)

(2) Shri Balwant Singh s/o Shri Dhara Singh
S/o Shri Fateh Singh,
Village Suba Kadim, Teh. Ferozepur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 62 Kanals and 14 marlas in village Baghuwala as mentioned in sale deed No. 1476 of December, 1977 registered with the S.R. Guru Har Hahai.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the, 22nd June 1978

Ref. No A.P.275/FZR/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at
Village Mohan-ke-Uttar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guru Har Sahai on December, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Manjit Singh s/o Shri Jagat Singh
S/o Gian Singh,
R/o Rohtak Road, New Delhi
Through Guru Gurmit Singh
S/o Guru Harjit Singh,
Guru Har Sahai.
(Transferor)

(2) Shri Shamer Chand, Shri Chaman Lal,
Shri Jagir Chand, Shri Baldev Chand,
Ss/o Shri Sunder Ram s/o Shri Chamba Ram,
Village Nurpur Sethan.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 53 Kanals and 6 marlas situated in village Mohan Ke Uttar as mentioned in sale deed No. 1401 of December, 1977 registered with the S.R. Guru Har Sahai

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P 276/FZR/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at
Ferozepur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ferozepur on November, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

16—176GI/78

(1) Shri Amrik Singh s/o Bedi Sher Singh S/o Bedi Ganga Ram, Jhoke Road, Ferozepur Cantt.

(Transferor)

(2) Smt. Rajinder Kaur d/o Shri Sant Singh Sayal Jhoke Road, Ferozepur Cantt.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 9 Kanals, 1 marla and 7 Sarsai on Mahnu Road, Ferozepur as mentioned in sale deed No. 3722 of November, 1977 registered with the S.R. Ferozepur.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Bhatinda

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd June 1978

Ref. No. A.P.277/KPR/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Kapurthala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Kapurthala on January, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Mohan Lal, Sohan Lal and Hira Lal
Ss/o Dewan Kanshi Ram,
Opp. D. C. Residence,
Kapurthala.

(Transferor)

(2) Shri Charanjit Singh s/o Shri Kirpal Singh and Smt. Davinder Kaur w/o Shri Gurdip Singh,
R/o Opp. D. C. Residence,
Kapurthala.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 1 Kanal and 8 marlas in Kapurthala as mentioned in sale deed No. 2881 of January, 1978 registered with the S.R. Kapurthala.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Bhatinda.

Date : 22-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P.278/HSR/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at
Balachaur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Balachaur on January, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shanti Devi wd/o Shri Sham Lal, Village Balachaur, Distt. Hoshiarpur. (Transferor)

(2) Shri Harbans Singh s/o Shri Jagat Singh, Village Darapur, Teh. Garh Shankar. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 49 Kanals and 17 marlas in Balachaur as mentioned in sale deed No. 1521 of January, 1978 registered with the S.R. Balachaur.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 26-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P.279/NWS/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at
Village Rahon
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nawan Shehar on February, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Vishwa Mittar s/o Shri Mela Ram,
Smt. Shakuntla Rani d/o Shri Basant Ram,
Smt. Sudershan Kumari Urf Darshna Kumari
D/o Smt. Ram Piari and
Shri Baldev Raj s/o Smt. Ram Piari,
Village Rahon, Teh. Nawan Shehar.

(Transferor)

(2) Dilbag Singh s/o Shri Bakhshi Singh,
Village Rahon, Teh. Nawan Shehar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning of given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 25 Kanals in village as mentioned in sale deed No. 4199 of February, 1 gistered with the S.R. Nawan Shehar.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 26-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P.280/PHL/78-79.—hereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
No. as per schedule situated at
Village Shamsabad
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Phillaur on January 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dalip Singh s/o Shri Wadhawa Singh
S/o Shri Narain Singh,
Village Shamsabad, Teh. Nakodar.
(Transferor)

(2) Shri Phuman Singh s/o Shri Attar Singh
(2) Shri Harbhajan Singh,
Charan Singh and Mohinder Singh
Ss/o Lal Singh
S/o Shri Attar Singh,
Village Fatehpur, Teh. Phillaur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 32 Kanals in village Shamsabad as mentioned in sale deed No. 3811 of January 1978 registered with the S.R. Phillaur.

O. P. MADAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 26-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P. 281/PHL/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Fatehpur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phillaur on January, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sohan Singh s/o Shri Sunder Singh, R/o Fatehpur, Teh. Phillaur.
(Transferor)

(2) Shri Tarsem Singh, Shri Jaswant Singh etc. Ss/o Shri Ram Sngh, Village Kukarpind, Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 40 Kanals in village Fatehpur as mentoned in sale deed No. 4002 of Jan., 1978 registered with the S.R. Phillaur.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Bhatinda.

Date : 26-6-1978
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P.282/PHL/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at
Village Gannapind
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phillaur on January, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Patni w/o Shri Dhani
S/o Shri Gian,
R/o village Gannapind Teh. Philaur.
(Transferor)

(2) Shri Mangal Singh s/o Sri Rodda Singh,
R/o village Gannapind Teh. Phillaur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 32 Kanals and 10 marlas in village Gannapind as mentioned in sale deed No. 3846 of January, 1978 registered with the S.R. Phillaur.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 26-6-1978
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. 283/HSR/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Hoshiarpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur on December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hem Raj s/o Shri Baij Nath
S/o Shri Sita Ram through Shri Baij Nath Hem Raj
Kanak Mandi, Hoshiarpur.
(Transferor)

(2) Shri Deputy Lal Margai s/o Shri Hans Raj
S/o Shri Shiv Ram,
House No. BIV/420-A, Mohalla Ghumeran,
Nai Abadi, Hoshiarpur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house in Mohalla Ghumaran, Hoshiarpur as mentioned in sale deed No. 3183 of December, 1977 registered with the S.R. Hoshiarpur.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 26-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P.284/NWS/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at
Village Tajewal
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nawan Shehar on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth- tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

17—176GI/78

(1) Shri Ram Parkash s/o Shri Karam Chand, R/Tajowal, Teh. Nawan Shehar.
(Transferor)

(2) Shri Sohan Singh s/o Shri Sawan Singh, Village Khudehran, Distt Hoshiarpur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 16 Kanals in village Tajowal as mentioned in sale deed No. 4479 of March, 1978 registered with the S.R. Nawan Shehar.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 26-6-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P.285/NWS/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at
Village Tajowal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nawan Shehar on March, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1952) of the said Act, or the Wealth-tax Aca, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Karam Chand s/o Shri Mela Ram, R/o Village Tajowal, Teh. Nawan Shehar.
(Transferor)

(2) Shri Sohan Singh s/o Shri Sawan Singh and Smt. Parsini w/o Shri Sohan Sngh, Village Khardeharai, Teh. Hoshiarpur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 77 Kanals and 9 marlas in village Tajowal as mentioned in sale deed No. 4568 of March, 1978 registered with the S.R. Nawan Shehar.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 26-6-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P.281/NKD/78-79.—Whereas, I, O. P. Madan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'sail Act have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at
Village Adraman
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has ben transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nakodar on January, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Aca, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property b ythe issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Rattan Lal s/o Shri Nanak Chand
S/o Shri Puran Chand,
Village Adraman, Teh. Nakodar.
(Transferor)

(2) Shri Ram Saroop s/o Shri Devinder Dass,
S/o Shri Lal Chand,
Village Adraman, Teh. Nakodar.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 62 Kanals and 13 marlas in village Adraman as mentioned in sale deed No. 2365 of January, 1978 registered with the S.R. Nakodar.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 26-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P. 287/NKD/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at
Village Uggi
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nakodar on January, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bachan Singh s/o Shri Saudagar Singh
S/o Shri Natha Singh,
Village Uggi, Teh. Teh. Nakodar.
(Transferor)

(2) 1. Shri Kulbir Singh, Shri Sukhbir Singh
Ss/o Shri Tara Singh
2. Shri Harbhajan Singh s/o Shri Ram Singh
3. Shri Gurcharan Singh s/o Shri Chanan Singh
S/o Shri Harnam Singh,
Villag Rahempur, Teh. Nakodar.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 35 Kanals and 10 marlas in village Uggi as mentioned in sale deed No. 2394 of January 1978 registered with the S.R. Nakodar.

O. P. MADAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 26-6-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 26th June 1978

Ref. No. A.P.288/GSR/78-79.—Whereas, I, O. P. MADAN being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at Vill. Moran Wali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Garh Shanker on Feb., 1978
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Gurdial Singh s/o Sh. Chinta Singh, R/o Vill. Moran Wali, Mukhtiar-i-am Sh. Chinta Singh s/o Sh. Jaimal Singh Jaat, vill. Moran Wali (Now in England).
(Transferor)

(2) Sh. Darshan Singh s/o Sh. Ishar Singh s/o Sh. Jassa Singh, Vill. Moran Wali, Teh. Garh Shanker.
(Transferee)

(3) Sh. Darshan Singh s/o Sh. Ishar Singh s/o Sh. Jassa Singh, Vill. Moran Wali, Teh. Garh. Shanker.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 29 Kanals and 12 marlas in village Moran Wali as mentioned in sale deed No. 3168 of Feb., 1978 registered with the S. R. Garh Shanker.

O. P. MADAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition range BHATINDA.

Date : 26-6-1978.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 6th July 1978

Ref. No. A.P.289/ABH/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Khuban
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Abohar on Nov., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the appearent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect or any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Diki Raj (minor) s/o Sh. Vinod Kumar s/o Sh. Gulab Rai, R/o Lajpat Rai Nagar, Abohar.
(Transferor)

(2) (1) Sh. Piara Singh s/o Sh. Mukhtiar Singh s/o Sh. Karam Singh,
(2) Sh. Kartar Singh, Sh. Jarnail Singh ss/o Sh. Karam Singh s/o Sh. Narain Singh, Vill. Khuban, Teh. Fazilka.
(Transferee)

(3) (1) Sh. Piara Singh s/o Sh. Mukhtiar Singh s/o Sh. Karam Singh,
(2) Sh. Kartar Singh, Sh. Jarnail Singh ss/o Sh. Karam Singh s/o Sh. Narain Singh, Vill. Khuban, Teh. Fazilka.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 37 Kanal and 8 marlas in village Khuban as mentioned in sale deed No. 1678 of Nov., 1977 registered with the S.R. Abohar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 6-7-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 11th July 1978

Ref. No. 257/78-79/Zira.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing No.
As per schedule situated at Zira
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Zira on Nov., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Om Parkash s/o Sh. Telu Ram & Shmt. Phulan Devi w/o Sh. Surinder Kumar Zira.
(Transferor)

(2) Sh. Rajinder Kumar s/o Sh. Mukand Lal, Shmt. Santosh Rani w/o Sh. Tulsi Ram, Shmt. Amarjit Kaur d/o Sh. Satnam Sinugh, Zira.
(Transferee)

(3) Sh. Rajinder Kumar s/o Sh. Mukand Lal, Shmt. Santosh Rani w/o Sh. Tulsi Ram, Shmt. Amarjit Kaur d/o Sh. Satnam Singh, Zira.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A cinema property at Zira as mentioned in sale deed No. 4226 of Nov., 1977 registered with the Sub-Registrar, Zira.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, BHATINDA.

Date : 11-7-1978.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 11th July 1978

Ref. No. 258/78-79/FZR.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Ferozepur City
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ferozepur on Nov., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Faqir Chand s/o Sh. Ghamandi Mal, Ferozepur City.
(Transferor)

(2) Sh. Kundan Lal s/o Sh. Ghamandi Mal, R/o Inside Mori Gate, Ferozepur City.
(Transferee)

(3) Sh. Kundan Lal s/o Sh. Ghamandi Mal, R/o Inside Mori Gate, Ferozepur City.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Rothi, inside Mori Gate, Ferozepur as mentioned in sale deed No. 3852 of Nov., 1977 registered with the S. R. Ferozepur.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 11-7-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE II
4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI-110001

New Delhi, the 15th July 1978

Ref. No. IAC/Acq.II/1316/78-79/1701.—Whereas I, N S. CHOPRA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 26/70 situated at Shakti Nagar, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 26-11-1977.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons,

18—176GI/78

(1) Shri R. P. Sharma s/o Pt Ram Chand, 36, Mohan Kothi, Siri Nagar Colony, Near Bharat Nagar, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Rakesh Mittal s/o Sh. Tarlok Chand r/o 5-F Kamla Nagar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing plot No 70 Block No 26 (No 26/70) measuring 176 sq. yds situated at Shakti Nagar (Roshanara Extension Scheme) Delhi and bounded as under :
North : Lane
South : Road
East : House No. 26/69
West : House No. 26/60

N. S. CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II, Hyderabad.

Date : 15-7-1978

Seal :

FORM ITNS——————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE II 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 15th July 1978

Ref. No. IAC/Acq.II/1315/78-79/1701.—Whereas I, N S. CHOPRA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 832 situated at Mohalla Jatwara, Kucha Pati Ram, Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
at Delhi on 28-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly stated is the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sarla Devi w/o Sh. Lakhimi Chand r/o 832 Kucha Pati Ram, Bazar Sita Ram, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Saroj Bala w/o Sh. Rameshwar Dayal r/o 8987 Shidipura, Karol Bagh, N. Delhi.
(Transferee)

(3) Shri Subhash Chand 2. Mahesh Chand, 3. Ram Dhari Jain 4. Om Parkash 5. Mukat Behari 6. Rajinder Kumar 7. Rameshwar Dayal.
(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A three storeyed building constructed on a plot of land measuring 157 sq. yds bearing No. 832 (old No. 509) situated at Mohalla Jatwara, Kucha Pati Ram, Delhi & bounded as under :

North : Property of others
South : Property of others
East : Property others.
West : Gali.

N. S. CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II, Delhi/New Delhi.

Date : 15-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX. ACQUISITION RANGE II 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 15th July 1978

Ref. No. IAC/Acq.II/1214/78-79/1701.—Whereas I, N. S. CHOPRA
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
6 situated at Birhampur Siri Ram Nagar, Delhi
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 2-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chaman Lal s/o Sh. Nursing Dass, 196/A/6 Siri Ram Nagar, Illaqa Shahdara, Delhi

(Transferor)

(2) Smt. Kartar Kaur w/o Sh. Gurbux Singh 2478/9 Dashmesh, Karol Bagh, New Delhi-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 200 sq. yds bearing No. 6 part of khasra No. 414 situated at Birhampuri, Siri Ram Nagar, Illaqa Shahdara, Delhi and bounded as under .—
North : Property of others.
South : Property No. 196/6-A
East : Gali 15 ft.
West : Gali 20 ft.

N. S. CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II, New Delhi.

Date : 15-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 15th July 1978

Ref. No. IAC/Acq. II/1313/78-79/1701.—Whereas I, N. S. CHOPRA
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 23 Mup. No. 662-B/3 situated at Pandit Park, Shahdara, Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on 8-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Krishna Devi w/o Sh. Durga Prasad r/o 662-B/3 Pandit Park, Ghondly, Shahdara, Delhi-51. (Transferor)

(2) M/s Beenj Raj Bulaqi Ram 1809 Katra Bansi Dhar, Khari Baoli, Delhi through Sh. Mohan Lal, Partner. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storeyed house with land approximately 195 sq. yds. bearing plot No. 23 Municipal Corporation No. 662/B/3 situated at Pandit Park, Gondli, Shahdara, Delhi and bounded as under :—

North : Land of others
South : Road
East : Property built on Plot No. 22
West: Property biult on plot No. 24

N. S. CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II, Delhi/New Delhi.

Date : 15-7-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITIO RANGE II

4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi-1 (110001)

New Delhi, the 12th July 1978

Ref. No. IAC/Acq.II/1312/78-79/1701.—Whereas I, N. S. CHOPRA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. D-16 situated at Kamla Nagar Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on 19-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

(1) Shri Jagdish Lal Mehta s/o Sh. Ram Nath Mehta r/o D-16 Kamla Nagar Delhi through Smt. Pushpa Mehta w/o Sh. Mohan Lal Mehta r/o 16-D Kamla Nagar, Delhi as Gen. Attorney.
(Transferors)

(2) S/Shri Ramesh Kumar Mehta and Naresh Kumar Mehta s/o late Sh. Mohan Lal Mehta r/o 16-D Kamla Nagar,
(Transferee)

(3) M/s. Gupta Industries.
(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One half share of house No. D-16 Kamla Nagar, Delhi Back Portion double storeyed with miani constructed on a freehold land underneath 323 sq. yds. and bounded as under :—
North : Road
West : Property No. 17-D
South : Service Lane
East : Open.

N. S CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II, Delhi/New Delhi

Date : 12th July, 1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 12th July 1978

Ref. No. IAC/Acq II/1311/78-79/1701.—Whereas I, N. S. CHOPRA
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 25/75 situated at Shakti Nagar, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on 4-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Boor Chand s/o Lala Bahali Ram, r/o Kadar Building, Mukim Pura, Mun. No. 957, Malka Ganj, Delhi
(Transferor)

(2) Shri Ram Kishan Agarwal s/o Sh. Kishan Saroop r/o 8247 New Delhi Anaj Mandi, Near Filmistan, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 200 sq. yds bearing plot No. 75 in Block 25 situated at Shakti Nagar, Delhi and bounded as under :—

North : Road
South : Gali
East : Road
West : Plot No. 74

N. S. CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 12th July, 1978.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 15th July 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/179/Oct.II(31)/78-79/1699.—Whereas I, J. S. GILL

Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. 39 situated at Lajpat Nagar-IV, Ring Road, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto); has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at

New Delhi on 19-10-1977

for an apparent consideration whic is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shipra Ghosh, w/o Sh. I. Ghosh r/o, A-40, Chitranjan Park, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Prem Kumar Goyal, s/o Sh. Bishan Chand Goyal, r/o 2, Flag Staf Road, Delhi & Shri Omesh Kumar Goyal, s/o Sh. Prem Kumar Goyal, r/o Karthal Road, Pehowa, Haryana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A bungalow built on plot No 39 measuring 767 sq. yds situated at Lajpat Nagar-IV, Ring Road, New Delhi and bounded as under :—

East : Road
West : Service Lane
North : Plot No 38
South : Bungalow No 40

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I, New Delhi.

Date : 15-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

COMMISSIONER OF INCOME TAX,
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
ACQUISITION RANGE III, NEW DELHI

New Delhi, the 17th July 1978

Ref. No. IAC-Acq.III/Jan /1637(38)/77-78/1703.—Whereas I, A. L. SUD
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 21/60 situated at Punjabi Bagh, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 30th January 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I herey initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Prem Kumar Narula & Sh. Subhash Kumar Narula sons of Sh. Sohan Singh Narula, deceased, r/o 41 & 29, North Avenue, Punjabi Bagh Delhi respectively.

(Transferor)

(2) Shri Man Mohan Singh, Avtar Singh & Surinder Singh sons of Sh. Harnam Singh, 29/6, Punjabi Bagh New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House on plot No. 21 on Road No. 60, in Class 'D' measuring 279.55 sq.yds. situated in the residential colony known as Punjabi Bagh, area of Village Madipur, Delhi State, Delhi and bounded as under :—
North : House on Plot No. 19
South : House on Plot No. 23
East : Road No 60
West : Service Lane

A. L. SUD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III, New Delhi

Date : 17th July 1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 29th June 1978

Ref. No. Raj/IAC/Acq/423.—Whereas, I, M. R. VASISHTHA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. A-28 & B-25 situated at Fathenagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mavali on 17-11-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ganeshlal s/o Devilal Hingad, Akola Teh. Kapasan, Distt Chittorgarh

(Transferor)

(2) Shri Yaswant Kumar minor through Gaurdian, Sh. Gopilal Agarwal Fathnagar, Teh. Mavli Distt Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house situated on plot No A-28 and B-25 at Fathenagar more fully described in conveyance deed by S R. Navli vide No. 657 dated 17-11-77.

M. R. VASISHTHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 29-6-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 4th July 1978

Ref. No. Raj/IAC/Acq./420.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No, Plot No. 19 situated at Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Officer
at Jaipur on 28-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sunderlal Godika s/o Sh. Kastoorchand Godika resident of Bodh ka Rasta, Jaipur

(Transferor)

Shri Omprakash Kasat s/o Nenuram C-16 New Anajmandi, Jaipur

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property constructed upon Plot No. 19 Madhuan Colony, Rampura Rupa, near Tank Road, Jaipur and more fully described in the conveyance deed registered by S. R. Jaipur vide his No. 2248 dt. 28-11-77.

M. P. VASISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 4-7-78
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

OFFICE OF THE I.A.C. ACQUISITION RANGE JAIPUR

Jaipur, the 4th July 1978

Ref. No. Raj/IAC/Acq./420.—Whereas, I M P VASISHTHA
being the competent authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 19 situated at Jaipur
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jaipur on 28-11-1977
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Sunderlal God'ka s/o Sh. Kastoorchand Godika, resident of Bordi ka Basta, Jaipur.

(Transferor)

(2) Shri Jagdish Chandra Kasat s/o Sh. Nenuramji C-16 New Anajmandi, Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property constructed upon plot No. 19 Madhuvan Colony, Rampura Rupa, near Tonk Road, Jaipur and more fully described in the conveyance deed registered by S. R. Jaipur vide his No. 2256 dated 28-11-77.

M. P. VASISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 4-7-78
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JAIPUR

Jaipur, the 4th July 1978

Ref. No Raj/IAC/Acq /421. - Whereas, I M. P. VASISHTHA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No 19 situated at Jaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 28-11-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sundarlal Godika s/o Sh. Kastoorchand Godika, resident of Bordi ka Basta, Jaipur.

(Transferor)

(2) Shri Sohanlal Kasat s/o Sh. Nenuramji C-16 New Anajmandi, Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property constructed upon plot No. 19 Madhuvan Colony, Rampura Rupa, near Tonk Road, Jaipur and more fully described in the conveyance deed registered by S. R. Jaipur vide his No. 2249 dated 28-11-77.

M. P. VASISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date . 4-7-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 4th July 1978

Ref. No Raj/LAC/Acq/422.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 19 situated at Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jaipur on 28-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Sunderlal Godika s/o Sh. Kastoorchand Godika, resident of Bordi ka rasta, Jaipur.
(Transferor)

(2) Sh. Jethamal Kasat s/o Sh. Nenuramji, C-16 New Aanajmandi, Jaipur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property constructed upon plot No. 19 Madhuvan Colony, Rampura Rupa, near Tonk Road, Jaipur and more fully described in the conveyance deed registered by S. R. Jaipur vide his No. 2247 dt. 28-11-77.

M. P. VASISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 4-7-78
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 1st July 1978

Ref. No. Raj/IAC/Acq./425.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. A-28 & B-25 situated at Fatehpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mavali on 17-11-77
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Madanlal lunatic through Guardian Sh. Devilal Mahajan Oswal Hingad, Akola Tehsil Kapasan, Distt. Chittorgarh.

(Transferor)

(2) Smt. Gunwanti Devi wife of Sh. Sureshchander Agarwal resident of Fathenagar, Teh. Mavli, Distt. Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property situated on plot No. A-28 & B-25 at Fathenagar, more fully described in conveyance deed registered by S. R. Mavli vide No. 656/77 dt. 17-11-77.

M. P. VASISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 1-7-78

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 1st July 1978

Ref. No. Raj/IAC/Acq/424.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
A-28 & B-25 situated at Fathenagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Mavli on 18-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amritlal s/o Shri Devilal Mahajan Oswal Hingad resident of Akola Tehsil, Kapasan Distt. Chottorgarh.

(Transferor)

(2) Smt. Sampati Devi w/o Sh. Satyanarain Agarwal, resident of Fathenagar Tehsil Mavli Distt., Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property situated on plot No. A-28 & B-25 at Fathepur more fully described in the conveyance deed registered by S. R. Mavli vide No. 765 dt. 18-11-77.

M. P. VASISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 1-7-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDINGS, M.G. ROAD, ERNAKULAM

Cochin-682016, the 13th July 1978

Ref. No. I.C.213/78-79.—Whereas, I, P. O. GEORGE, being the competent authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Trivandrum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Sasthamangalam on 17-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid propery and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri C. K. Narayanan Nair.

(Transferor)

(2) Sri Shaji B. John.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

13.125 cents of land with building in Jawahar Nagar, Trivandrum—vide schedule to Document No. 2654/77.

P. O. GEORGE,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 13-7-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDINGS M. G. ROAD, ERNAKULAM

Cochin-682016, the 13th July 1978

Ref. No. L.C.212/78-79.—Whereas, I, P. O. GEORGE, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Trivandrum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Chalai on 7-11-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sarojini Amma

(Transferees)

(2) (1) Mrs. Grade K. Oomen
(2) Aby Philip

(Transferees)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 55 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 55 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

13.832 cents of land with building in Jagathy Trivandrum—vide schedule to Document No. 2496/77.

P. O. GEORGE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 13-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-1

Bangalore-1, the 11th July 1978

C.R. No. 62/13824/78-79/Acq./B.—Whereas, I, J. S RAO
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Old No. 458, & New No. 15 situated at IV 'T' Block, Jayanagar, B'lore-11.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Jayanagar, B'lore, Doc. No. 1890/77-78 on 5-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri A. K. Venkatachalu Setty,
S/o A. Venkataramaiah Setty,
No. 458/15, 18th Main Road, IV 'T' Block,
Jayanagar, B'lore-11.
(Transferor)

(2) Dr. MP. Konanhalli,
S/o P. C. Konanhalli,
No. 94, IV 'T' Block, 16th Main, 34B, Cross,
Jayanagar, B'lore-11.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THTFT TSCHEDULE

[Registered Document No. 1890/77-78. Dated 5-11-77.]
All that the premises bearing Municipal Old No. 458 & New No. 15, 18th Main Road, IVth T Block, Jayanagar, B'lore-11.

Boundaries.

East : Site No. 471,
West : Road,
North : Site No. 457 and
South : Site No. 459

J. S. RAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 11-7-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (3 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-1

Bangalore-1, the 11th July 1978

C.R. No. 62/13868/78-79/Acq/B.—Whereas, I, J. S. RAO, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2493/2494 and New No. 2494, situated at Vinayakanagar, Tumkur Town.
(and more fully described in the Schedul annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tumkur, Doc. No. 2666/77-78, on 2-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Wow, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) (1) Shri G. V. Siddaveeraiah, S/o Sri Veerabhadraiah.

(2) Smt. Gangamma, W/o Shri G. V. Siddaveeraiah.

(3) Kum. Sushcelamma
(4) Kum Anasuya Devi
(5) Kumar Ramesh
(6) Kum. Sarvamangala
(7) Kumar Shivakumar
} (Minors)

Children of late Smt. Jayamma, rep. by their father & natural Gaurdian Sri G. V. Siddaveeraiah. All are residing at Vinayakanagar, *Tumkur Town.*

(Transferors)

(2) (1) S. Sharadamma, W/o Sri G. K. Seshagiri Proprietor of Udipi Krishna Bhavan, Pidugurala Village, Gurujala Taluk, Gundur Dist. (A.P.)

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Doc. No. 2666/77-78 Dated : 2-11-77.
Property of site No. 13 MNKTH Old No. 2493/2494 and New No. 2494, Vinayakanagar, Tumkur Town.

Bounderies :

East . Property belonging to Sri G. K. Sheshagiri.
West : Property belonging to Sri G. L. Padmaraju,
North : Road and
South : Property belonging to Sri K. Narayana Shetty

J. S. RAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date . 11-7-1978
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978